राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का २४वां दिवस [संख्या १५

शनिवार, दिनांक १८ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक, निर्माण, भाखरा योजना, स्वायत्त शासन, सिंचाई, गृह, विद्युत, यातायात, आबकारी, चिकित्सा एवं राजस्थान कैनाल —विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री भैरोंसिंह :

स्टेट आर्किटेक्ट के पद पर नियुक्त श्री परमानन्द गजरिया

३७५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि श्री परमानन्द गजरिया, स्टेट आर्किटेक्ट के पद पर कार्य कर रहे है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो वे कब से किस पद पर कार्य कर रहे हैं?

(ख) क्या यह सही है कि श्री गजरिया को इस पोस्ट के लिये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट तथा पी. एस. सी. ने रिजेक्ट कर दिया था? यदि हां, तो कब कब?

(ग) इनको इस रिजेक्शन के बाद किस आधार पर इस पद पर रखा गया और क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां, ये १९ जनवरी, १९५० से कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां। एकीकरण १९५१-५२ के समय।

(ग) कोई योग्य व्यक्ति पी. एस. सी. से प्राप्त न हो सका। पी. एस. सी. ने इनकी योग्यता तथा जूनियर आर्किटेक्ट के पद पर

Page No.2

(श्री हरिश्चन्द्र)

नियुक्ति के लिए अपनी अनुमति दे दी । सरकार द्वारा इनको कार्य-भार संभालने की आज्ञा १४-६-१९५८ को जारी कर दी गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ये जूनियर आर्किटेक्ट के पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री हरीश्चन्द्र : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने पी. एस. सी. को स्टेट आर्किटेक्ट के पद के लिये रिक्विज़िशन भेजा था और उनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला इसलिये, क्या श्री गजरिया इस पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री हरीश्चन्द्र : पी. एस. सी. ने अनुमति दी की श्री गजरिया जूनियर आर्किटेक्ट के पद पर काम कर सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जूनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट स्वीकृत नहीं थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : जूनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट क्रिएट की गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस समय उनका अपोइन्टमेन्ट जूनियर आर्किटेक्ट के पद पर किया गया उससे पहले वे किस पद पर काम कर रहे थे ?

श्री हरिश्चन्द्र : सीनियर आर्किटेक्ट का पद था उस पर कर रहे होंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जूनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट कब क्रिएट की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : सन् ५८ में ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ५८ से पूर्व जब से इनको रिजेक्ट कर दिया गया था तब सन् ५८ तक किस प्रकार कार्य करते रहे ?

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरा आदमी नहीं मिला इसलिये करते रहे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय पी. एस. सी. को दुबारा लिखा गया था क्योंकि योग्य व्यक्ति के लिये दुबारा एडवटाइज़ करें ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये सन् ५२ में लिखा था, फिर ५५ में लिखा था और उसके बाद ५७ में फिर लिखा था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ५० और सन् ५८ के बीच में उनको जो तनख्वाह मिली वह जूनियर आर्किटेक्ट के पद की मिली या सीनियर आर्किटेक्ट के पद की मिली ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब से वे काम कर रहे थे सन् ५२ में उनको ४८० रु० मासिक मिल रहे थे बाद से क्या मिल रहा है मुझे मालूम नहीं है ।

भाखरा में हुई दुर्घटना पर समिति की जांच-रिपोर्ट

३७६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Bhakra Project be pleased to state :—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Is it a fact that a commitiee was set up to enquire into the mishap at Bhakra last august ? If so, has the Government received its report? If yes, please place a copy of the same on he Table of the house.

उप मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी हां, पंजाब सरकार ने एक समिति स्थापित की थी जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When was this committee appointed by the punjab Government and when did this committee submit its report be fore the pvnjab Government ?

श्री दौलतराम सारण : पंजाब गवर्नमेन्ट ने सितम्बर १९५९ में कमेटी अपॉइन्ट की थी जिसकी रिपोर्ट उन्हें २० अप्रेल, सन् १९६० को प्राप्त हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने लिखा है कि भाखरा मिसहैप की जांच करने के लिये जो कमेटी अपॉइन्ट की गई थी उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान सरकार को भी भेजी जाय ?

श्री दौलतराम सारण : रिपोर्ट के लिये कब लिखा है, यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि रिपोर्ट के लिये कब लिखा है, यह मालूम नहीं; लेकिन लिखा जरूर है?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास सूचना नहीं है।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको फिर यहां क्या सूचना देनी थी ? मैंने यही तो पूछा था कि भाखरा में मिसहेप हुआ उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आई या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : आप मेरा जवाब तो सुन लीजिये। मैं निवेदन यह कर रहा था कि उस समिति की रिपोर्ट पंजाब गवर्नमेन्ट के सामने प्रस्तुत हुई है और उस पर पंजाब सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसकी जानकारी नहीं है; किन्तु राजस्थान सरकार रिपोर्ट मंगाने के लिये प्रयत्न कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि भाखरा के निर्माण में राजस्थान सरकार का भी हाथ है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि जो मिसहेप भाखरा में हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त करे ?

श्री दौलतराम सारण : भाखरा कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है जिसमें राजस्थान भी सदस्य है। टैक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी पंजाब सरकार ने बनाई थी। उसकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार के सामने विधिवत् नहीं आई है। पंजाब सरकार ने कमेटी बनाई थी इसलिये

(श्री दौलतराम सारण)

उसके सामने और भाखरा कंट्रोल बोर्ड के सामने वह रिपोर्ट आई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाखरा कंट्रोल बोर्ड में राजस्थान सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस बारे में सरकार को क्या रिपोर्ट दी ?

श्री दौलतराम सारण : उक्त कमेटी पंजाब सरकार द्वारा ही बनाई गई थी इसलिये उसने पंजाब सरकार को ही अपनी रिपोर्ट दी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी आप फरमा रहे थे कि भाखरा कंट्रोल बोर्ड में राज्य सरकार के प्रतिनिधि मौजूद हैं, तो उन प्रतिनिधियों ने आपको क्या रिपोर्ट दी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह कहा था कि भाखरा कंट्रोल बोर्ड में अपने प्रतिनिधि हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भाखरा के निर्माण में राजस्थान सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन है, शेअर है, तो राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया, यह जानने के लिये कि किस कारण से मिसहेप हुआ, कितने का लोस है, उसके लिये क्या करना चाहिये । पंजाब गवर्नमेन्ट ने कमेटी अपॉइन्ट कर दी वह ठीक है This is a separate matter. लेकिन राजस्थान सरकार भी तो जिम्मेदार है उसके निर्माण के लिये तो उसने जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की ? You are not in a minor stage.

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी यह कह रहे हैं कि भाखरा कंट्रोल बोर्ड इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है उसके सामने रिपोर्ट आई है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या भाखरा कंट्रोल बोर्ड में राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : अपना प्रतिनिधि है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो दुर्घटना हुई उसके बारे में राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और पंजाब सरकार ने कमेटी बैठाई, उसकी रिपोर्ट की कॉपी भी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई; तो कैसे माना जाय कि गवर्नमैन्ट ने कोई एक्शन लिया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This was such an important matter, and the Government is not trying to obtain a copy even.

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : ऐसा आप कैसे मानते हैं कि गवर्नमेन्ट ने कोई एक्शन लिया नहीं होगा । कभी-कभी ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Government should have taken some interest in the matter.

श्री रामकिशोर व्यास : राज्य सरकार का इन्ट्रेस्ट कैसे नहीं है, कंट्रोल बोर्ड में आदमी मौजूद हैं, इंजीनियर मौजूद हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Government has all along been idle in the matter.

श्री मुरलीधर व्यास : मौजूद होने पर भी पता क्यों नहीं लगा कि क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप यह चाहते हैं कि रिपोर्ट आनी चाहिये, लेकिन रिपोर्ट अभी आई नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सदन में बताना चाहिये कि कितने का नुकसान हुआ, क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस बारे में अगर आप पूछें तो जानकारी दी जा सकती है लेकिन रिपोर्ट की कॉपी चाहते हैं तो रिपोर्ट की कॉपी अभी तक आई नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट की कॉपी नहीं आई है और आपको जानकारी है तो बता दीजिये, कितने की हानि हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

देवली तथा उनियारा नगरपालिकाओं के चुनाव

३७७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) [श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

क्या यह सही है कि देवली तथा उनियारा को नगरपालिकाओं में करीब तीन साल से प्रशासक (Administrators) कार्य कर रहे हैं और चुनाव नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और अब कब तक निश्चित् रूप से उनका चुनाव होगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ के प्रकाशित हो जाने से वार्डों के विभाजन व सदस्यों की संख्या का निर्धारित करना आवश्यक था इसलिए चुनाव में देरी हुई। चुनाव प्रोग्राम के अनुसार देवली नगरपालिका के चुनाव दिनांक २८-५-६१ को व उनियारा नगरपालिका का चुनाव दिनांक ५-५-६१ को सम्पन्न होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : इन नगरपालिकाओं को पुरानी अवधि कब समाप्त हुई थी और उसके बाद कितने साल से चुनाव नहीं कराया गया ?

श्री सम्पतराम : इसकी तारीख इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन अब चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। मई में चुनाव होगा।

चम्बल बांध सिंचित जमीन

३७८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चम्बल बांध के निर्माण हो जाने के बाद से अब तक कितनी जमीन को सिंचाई के लिये पानी दिया जा रहा है ?

Page No.6

(श्री मुरलीधर व्यास)

(ख) इसके द्वारा कुल कितनी जमीन सिंचित होगी ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) चम्बल बांध की नहरों से अब तक ३१४०१ एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये जल दिया जा चुका है।

(२) चम्बल बांध की नहरों से कुल भूमि निम्न प्रकार सिंचित होगी :

राजस्थान	७ लाख एकड़
मध्य प्रदेश	७ लाख एकड़
	कुल १४ लाख एकड़

बाडमेर के एस. डी. एम., श्री ताराचन्द, के विरुद्ध दायर रिश्वत का मामला

३७६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बाडमेर के एस. डी. एम. श्री ताराचन्द जैन को भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस विभाग ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो कब और कितने रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में किसके द्वारा और किस तरह ?

(ख) क्या इस मामले का अदालत में चालान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री जैन के मकान की तलाशी ली गई ? यदि हां, तो तलाशी से क्या क्या बरामद हुआ ? कृपया उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) श्री जैन अब कितने रुपयों की जमानत पर हैं तथा यह जमानत कब और किसके द्वारा ली गई थी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, श्री ताराचन्द जैन उप-जिलाधिकारी को ५००) रिश्वत लेते हुए उप-अधीक्षक, आरक्षी, भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, जोधपुर ने रंगे हाथों तारीख ३०-३-६० को गिरफ्तार किया था।

(ख) जी हां, इस अभियोग का चालान अदालत में दिनांक ६-१-१९६१ को पेश कर दिया गया है।

(ग) जी हां, बाडमेर में श्री जैन के मकान की तलाशी ली गई थी और ११,४५०) और ३१ मामलों की फाइलें तलाशी के द्वारा प्राप्त हुई। इसकी सूची संलग्न है।

(घ) श्री जैन को ता० ३०-३-६० को गिरफ्तारी के तुरन्त बाद ही १०,०००) की जमानत तथा मुचलकों पर उप-अधीक्षक, आरक्षी भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, जोधपुर द्वारा मुक्त कर दिया गया था।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन एस. डी. एम. को सस्पेन्ड कब किया गया ?

Page No.7

श्री रामकिशोर व्यास : इमीजियेटली हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सस्पेन्ड हो गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन मुकदमों की फाइल इनके घर पर बरामद हुई उन केसेज़ को राज्य सरकार ने दूसरे के पास ट्रान्सफर किया है, क्या व्यवस्था है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह सस्पेन्ड हो गया, वर्क किया नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५००) का भ्रष्टाचार का मामला है, बयान अलग पेश किये गये और मुकदमों को फाइल घर पर बरामद हुई ; उसमें क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : फाइल बरामद हो सकती है, जजमेंट लिखवाने के लिए और फाइल देखने के लिए ले जाते हैं। उसमें कोई चीज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ३०–३–६० को मामला पकड़ा गया और ६–६–६१ को केस चालान किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टीगेशन में काफी टाइम लगता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फाइल बरामद हुई और रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर इन्वेस्टीगेशन के लिए क्या बाकी रह गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टीगेशन करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट में केस गया है, सस्पेन्ड कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट में भेज दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिपार्टमेंटल एक्शन इस सम्बन्ध में हो सकता है कि ३१ फाइलें घर पर कैसे ले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : घर ले जा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घर नहीं ले जा सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ले जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस रेफरेंस–कॉन्टेक्स्ट में ले जा सकते हैं। कोर्ट में हो सकता है, केस प्रूव नहीं हो। डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता था, डिपार्टमेंटल एक्शन सेपरेट करना चाहिए था।

प्रश्न संख्या ३८०

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

दौसा-लालसोट लाइन पर बिजली का कार्य

३८१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आपके विभागीय पत्र संख्या डी. २४०८ पी. ए. ६० में इस सदस्य को दौसा लालसोट लाइन पर बिजली का कार्य चालू होने की सूचना दी गई है ?

(ख) उक्त कार्य कब से प्रारम्भ हो गया है, कहां से शुरु हुआ है, एवं कितने आदमी उक्त काम में लगे हैं ?

(ग) यह काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

(घ) उक्त बिजली की लाइन कहां से होती हुई कहां तक जावेगी और कब तक बिजली प्राप्त होगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) उक्त कार्य पहिले पहल सन् १९५३–५४ में दौसा की ओर से प्रारम्भ हुआ था, परन्तु कुछ समय के लिये वह स्थगित कर दिया था । फिर सन् सितम्बर ६० में फिर से गंगापुर से प्रारम्भ कर दिया गया था । इस काम पर ५० से ७० व्यक्ति काम कर रहे हैं ।

(ग) इस काम की समाप्ति १९६१–६२ में होने की आशा है ।

(घ) अब वह लाइन गंगापुर से मंडावरी और बामनवास होती हुई लालसोट जायगी और बिजली की प्राप्ति सन् १९६१–६२ के अन्त में हो सकेगी ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह काम कहां पर कर रहे हैं इस वक्त में ?

श्री हरिश्चन्द्र : लालसोट से गंगापुर के बीच में ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : मैं खुद देख कर आया हूँ, एक आदमी भी काम नहीं कर रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : गंगापुर से लालसोट गया, वहां काम नहीं हो रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : गंगापुर में काम कुछ नहीं हो रहा है ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जी नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी सूचना है कि काम हो रहा है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : मैं देख कर आया हूँ, सिर्फ खम्भे गाड़े गये हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

ग्राम कोलासर (सुजानगढ़) के अर्जुनराम को जिन्दा जला देने का मामला

३८२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : द्वारा पूछा गया] क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कोलासर, तहसील सुजानगढ़ में अर्जुनराम चौधरी को जिन्दा जलाये जाने की रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाने में की गई है ? यदि हां, तो कृपया इस घटना के पूर्ण तथ्य सदन के सामने रखे जावें ।

(२) इस मामले में किन किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा किन किन को वापिस छोड़ दिया गया और क्यों ?

(घ) इस मामले की तफतीश किन किन पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई तथा किन किन पुलिस अधिकारियों के इस दौरान में स्थानान्तरण किये गये और क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इस मामले में मुलजिमान का पुलिस द्वारा चालान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, ऐसी रिपोर्ट थाना भीमसर में दिनांक २२–६–६० को प्राप्त हुई जिस पर प्रकरण सं० ३३ भारतीय दंड संग्रह धारा ३०२ के अन्तर्गत अंकित किया गया और अनुसन्धान की गई । अनुसन्धान से ७ व्यक्ति श्री धन्नाराम, नाथूराम, सुरजा राम, लालू राम, गणपत राम, ईशर एवम् मुसम्मात भूरी अपराधी पाये गये जिनका चालान कर दिया गया ।

(२) इसी मुकदमें में उपरोक्त ७ व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया जिनमें से केवल मुस्म्मात भूरी को अदालत से जमानत पर छोड़ दिया गया है ।

(३) प्रारम्भ में अनुसन्धान एस. आई. श्री खुशालदान थाना भीमसर ने डी. एस. पी. हल्के की निगरानी में की व बाद में सी. आई. रतनगढ़ श्री बालचन्द ने की । इसके पश्चात् इसकी तफतीश अमृतसिंह सी. आई. ने अन्त तक की ।

(४) जी नहीं, इस मुकदमे का चालान हो गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अर्जुनराम को जिन्दा जलाया गया है, उसकी पुलिस को कितनी देर बाद रिपोर्ट मिली ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया २२–६–६० को प्राप्त हुई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घटना कब हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : २२ को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन्दा जलाने से पूर्व पुलिस को रिपोर्ट नहीं मिली कि किसी व्यक्ति को जिन्दा जलाया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं ।

Page No.10

श्री मुरलीधर व्यास : जो आदमी जिन्दा जला दिया गया, उसके बाद पता कब लगा कि जिन्दा जलाया गया है ?

श्री रामकिरशोर व्यास : रिपोर्ट हुई तब मालूम हुआ।

प्रश्न संख्या ३८३

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३८४

श्री मोतीबाबा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८५

श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर नगरपालिका का चुनाव

३८६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) बीकानेर नगरपालिका का कार्यकाल कब समाप्त हुआ ?

(२) क्या कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी इसकी अवधि सरकार ने और बढ़ाई है ? यदि हां, तो कब कब और कितने समय के लिये और क्यों ?

(३) अब सरकार वहां की नगरपालिका के चुनाव कब करा रही है ? चुनाव सम्बन्धी क्या कार्य पूरा हो गया है तथा क्या बाकी है और वह काम कब तक पूरा कर देने क व्यवस्था सरकार ने की है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) दिनांक ३–४–६० को।

(२) जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत नगर परिषद् के चुनावों हेतु बार्डों के विभाजन का कार्य पूर्ण न होने से अवधि बढ़ाई गई है। अब अवधि ३१–५–६१ तक बढ़ा दी गई है।

(३) वार्ड विभाजन का कार्य सरकार के विचाराधीन है। बार्डों के विभाजन के अन्तिम प्रकाशन के बाद ही चुनाव की कार्यवाही हो सकेगी।

श्री मुरलीधर व्यास ; नम्बर दो में कहा गया कि वार्ड विभाजन के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए उसकी अवधि बढ़ाई गई; जब उसकी अवधि एक दफा बढ़ा दी गई उस अर्से में वार्ड विभाजन का काम क्यों नहीं हुआ ?

श्री सम्पतराम : काम तो बाकायदा चल रहा है। उस समय वार्ड बन कर म्युनिसिपैलिटी और कलेक्टर की सलाह से आये, उस पर नियमानुसार आब्जेक्शन इनवाइट किये गये। उसके बाद नोटिफिकेशन निकाली; तो लागू करने में लीगल सपोर्ट नहीं मिला। दुबारा बन कर आये उनमें कोई लेकुना न हो, इसलिए स्क्रूटिनी करना जरूरी था। मैंने

Page No.11

(श्री सम्पतराम)

कहा कि जुलाई के महीने तक बड़ी म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव खत्म करना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वार्ड्स की स्क्रूटिनी का काम है वह समाप्त हो चुका है बाकी है ?

श्री सम्पतराम : मैं इतना कह सकता हूँ कि जल्दी ही प्रकाशित हो जायेंगे।

डॉ०. बहादुरसिंह (धौलपुर) : जल्दी प्रकाशित हो जायेंगे, आप यह कैसे सोचते हैं कि उसकी हाई कोर्ट में कोई रिट नहीं करेगा ?

श्री सम्पतराम : कानून की व्यवस्था है, अगर इसके अन्दर लेकुना होंगे तो जायेंगे उनको अधिकार है।

डॉ० बहादुरसिंह : सरकार व्यवस्था करेगी कि लेकुना न रहें जो रह चुके हैं।

श्री सम्पतराम : ऐसा यकीनन मान सकते हैं, इस बात को ख्याल में रख कर काम करते हैं।

अवशिष्ट बस मार्गों का राष्ट्रीकरण एवं बस स्टेन्ड्स पर उपयुक्त व्यवस्था

३८७ **डॉ० चन्द्रकला** : (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) जिन बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं हुआ है उनका कब तक हो जायेगा ?

(२) क्या इन राष्ट्रीयकरण किये हुए मार्गों के बस स्टेन्ड्स पर यात्रियों के लिए छाया, पानी आदि की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त व्यवस्था की जायगी ?

(३) जयपुर शहर में सब मार्गों के लिए केवल एक ही बस स्टैण्ड है या अलग अलग ? इस बस स्टैण्ड के विकास के लिये क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सरकार के विचाराधीन है।

(२) राजस्थान राज्य परिवहन के अन्तर्गत पड़ने वाले मुख्य स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों, जलगृहों तथा शौचालयों को निर्मित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(३) पोलो विक्ट्री छविगृह के निकट राजस्थान राज्य परिवहन का एक केन्द्रीय बस स्टेशन स्थापित किया गया है। इस स्थान पर प्रतीक्षालयों तथा शौचालयों, टिकटघरों, जलगृहों तथा आराम घरों आदि का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि जयपुर में बस स्टेन्ड बताया गया वह बन चुका है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बनाया जा रहा है, अन्डर कन्स्ट्रक्शन है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि बस स्टेशन के पास बस्ती बसी हुई थी उसको हटाने की कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से पूछें।

डॉ० चन्द्रकला : जहां बस स्टेन्ड बना रहे हैं वहां से बस्ती को हटाने को कार्यवाही नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है तो स्टेशन के विकास का काम कैसे होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस जगह गवर्नमेंट की भूमि होगी उसमें बनेगा। नहीं होगा तो एक्वायर करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : कब तक हो जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : कानूनी दिक्कत नहीं होगी तो जल्दी हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

बिहार बांध (नीम का थाना)

३८८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) तहसील नीम का थाना में बिहार का बांध कब टूटा ?

(२) यह बांध कब बनाया गया था ?

(३) इससे अधिक से अधिक कितनी भूमि की सिंचाई, जब यह ठीक था, की गई ?

(४) इसकी मरम्मत कराने के लिये कितनी धन-राशि किस किस वर्ष में खर्च की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१, २, ३) इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है, यह बहुत पुराना बांध है और बहुत समय से टूटा हुआ पड़ा है।

(४) कोई धन-राशि खर्च नहीं की गई।

श्री रामकरणसिंह : १, २, ३; इस बारे में सूचना मिल नहीं सकती क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह हमारे और आपके बुजुर्ग थे, उनके टाइम का टूटा हुआ है: ५०, ६० वर्ष से ज्यादा की बात है। इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : यह माना जाय कि जब राजस्थान बना, राजस्थान बनने के बाद बांध के टूटने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी विभाग में नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं उत्तर निवेदन कर चुका हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने कहा कि ५० साल से ज्यादा का टूटा हुआ है, यह जानकारी कैसे मिली कि ५० साल पहले टूट गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : आसपास के लोगों से, दंत कथाओं से; बचे हुए अवशेषों से।

श्री मुरलीधर व्यास : आसपास की जानी हुई बातें भी बताई जाती हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : सभी बातें कही जाती हैं।

Page No.13

श्री रामकरणसिंह : ५०, ६० वर्ष पहले जब बांध बनने की योजना नहीं थी, उस समय बांध बन गया था, अब सरकार इस प्रकार इसे नये बांधों में शामिल करके बनाने की योजना नहीं सोचती ?

श्री रामकिशोर व्यास: हां, योजना तो है; सर्वे भी कराया है। लेकिन टैकनिकल प्रश्न हैं, जिनकी वजह से बांध को लिया नहीं जा सकता, इसकी डूब में काफी जमीन आती है, इसलिए वहां के लोगों को एतराज है, दूसरी बात है इसके ओवर फ्लों के लिए इसका कैचमेंट एरिया, बहुत सी बातें ऐसी हैं, बेस बेअर के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है। कई प्रकार महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विचार करने के बाद कार्यवाही की जा सकती है....

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : सर्वे करा दी है तो कितनी जमीन इस प्लान से सिंचित की जा सकती है ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): ४१८ एकड़ जमीन डूब में आती थी, अब इसको और नीचा करने की तजवीज़ की जा रही है जिससे डूब में जमीन कम आवे, ताकि वहां के लोगों के ओब्जेक्शन्स कम हों, वहां के इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री भीमसेन : इस बांध के बन्द जाने से कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सोहनलाल भटनागर।

नीमच से चम्बल की बिजली का प्रान्त में वितरण

३८६. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नीमच से चम्बल की बिजली राजस्थान के किन किन शहरों, कस्बों व गांवों के उपयोग के लिये किस किस वर्ष से दी जायगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : निम्नलिखित क्षेत्रों को चम्बल पॉवर नीमच सब-स्टेशन से १९६१–६२, १९६२–६३ में मिलने की आशा है :

१. उदयपुर	७. भीन्डर
२. चित्तौड़	८. नींबाहेड़ा
३. भीलवाड़ा	९. सांगानेर
४. छोटी सादड़ी	१०. मांडल
५. बड़ी सादरी	११. सुवाना
६. कानोड़	१२. पुर

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इन गांवों के अलावा और गांवों को भी देने का विचार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां और जगह भी जायगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अवेलेबल पॉवर है वह युटिलाइज़ नहीं हो रहा है ?

Page No.14

श्री हरिश्चन्द्र : क्या बताऊं ?

श्री अध्यक्ष : यह बताइये कि सलूम्बर को कब देंगे ?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.) : क्या यह सही है कि भोपालसागर को जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद यादव : कपासन जा रही है तो वहां से तीन मील दूर ही है, वहां शूगर फैक्ट्री लगा रखी है, ६० लाख रुपया आता है, तीन माइल दूर हमको देने में मन्त्री महोदय ने जबाब नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष : कम्पनी की ओर से पूछ रहे हैं क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने पूछा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

पाली जिले में तिजारे के डोडे बेचने का लाईसेंस

३६०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या आबकारी मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) पाली जिले में किन किन लोगों को सन् १९५८ से कब कब तिजारे के डोडे बेचने का लाइसेंस मिला है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार ने उक्त लाइसेंस देने के लिये कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो उन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) दी राजस्थान ओपियम (लान्स्ड पॉपी हैड्स) रूल्स, १९५८ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या ६०-६१ में पॉपी हैड्स का किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसकी सूची संलग्न कर दी है।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि ६०-६१ में किसी को लाइसेंस नहीं दिया है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जो सूचना उपलब्ध थी वह प्रस्तुत कर दी है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इसका मतलब

Page No.15

(डॉ० बहादुरसिंह)

यह समझा जाय कि ६०-६१ में किसी को पॉवी हैड्स का लाइसेंस नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सोहनलाल भटनागर।

प्रान्त में प्रस्तावित तृतीय मैडिकल कॉलेज

३६१. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलुम्बर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान में तीसरा मैडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार ने किसी कमेटी का गठन किया है ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है ?

(३) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में तीसरा मैडिकल कॉलेज कहां खोलने की सिफारिश की है ?

(४) सरकार उक्त रिपोर्ट के सुझाव के अनुसार कब तीसरा मैडिकल कॉलेज खोलेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री सिखरचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) उदयपुर।

(४) जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कमेटी अपोइन्ट करने की क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

किशनपोल, जयपुर, क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक पार्क्स व क्रीडांगनों का विकास

३६२. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर शहर के किशनपोल क्षेत्र में कुल कितने सार्वजनिक पार्क व क्रीड़ांगन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) इनमें से प्रत्येक पर इनके बनने से लेकर अब तक कितना कितना धन खर्च किया गया है ?

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश पार्क यों ही पड़े हैं ? इनके विकास की क्या योजना है ? क्या नगर विकास मंडल योजना बनाते समय केवल इनके लिए जगह सुरक्षित छोड़ देना भर ही अपना काम मानता है ? यदि नहीं, तो बस्ती बसने के साथ ही साथ इनका भी विकास क्यों नहीं होता ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, (ख) भाग का उत्तर प्राप्त करने में टाइम लगेगा, इसलिये १० दिन के लिये इसे पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह तो इसी शहर का प्रश्न है।

Page No.16

श्री सम्पतराम : इसमें पूछा गया है कि "इनमें से प्रत्येक पर इनके बनने से लेकर अब तक कितना २ धन खर्च किया गया है ?" तो इस प्रश्न का यह (ख) भाग डिफिकल्ट बनता है, इसमें टाइम की आवश्यकता है।

डॉ० चन्द्रकला : कोई खर्चा हुआ भी है क्या ? बने भी हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद यादव।

मालीखेड़ा तालाब (भूपाल सागर) का निर्माण

३६३. **श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभ नगर-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

भूपाल सागर तहसील के अन्तर्गत मालीखेड़ा तालाब को बनाने की मंजूरी हो जाने के बाद भी उसका कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ है ? उक्त कार्य अब कब प्रारम्भ किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : इस तालाब के बनाने के स्थान की मिट्टी उपयुक्त नहीं है। अतः इस तालाब को नहीं बनाया जावेगा।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उप मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है वह ठीक नहीं है। इसमें १७ हजार रुपया लगा है ?

श्री अध्यक्ष : भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : इस तालाब से जुड़ा हुआ भूपालसागर का तालाब बिल्कुल ठीक है, उसकी मिट्टी बिल्कुल ठीक है; तो वहां की मिट्टी खराब होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री दौलतराम सारण : वहां की मिट्टी हाइली सेलाइन है।

श्री अध्यक्ष : इसकी लेबोरेटरी में जांच करवाई है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मिट्टी की जांच कराने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सेलाइन है तो क्या "चूना" नहीं डाला जा सकता ?

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : सेलाइन है तो पानी उसमें ठहरेगा।

श्री अध्यक्ष : मिट्टी सेलाइन हो तो बन्ध फूट जाता है।

(विराम)

नेक्स्ट।

पाली शहर का बिजली घर

३६४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करें :

(क) क्या पाली शहर के बिजली घर को सरकार अपने अधिकार में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

Page No.17

(श्री मूलचन्द डागा)

(ख) क्या यह भी सत्य है कि पाली का बिजलीघर पाली शहर को आवश्यक मात्रा में बिजली देने में असमर्थ है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस पर विचार हो रहा है।

(२) जी हां।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या यह सही है कि राजस्थान के जितने प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं उनको राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टेक-ओवर कर रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार ने कमेटी बना दी है, वह कमेटी इन पॉवर हाउसेज़ के बारे में विचार कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार जयपुर) : When was this committee appointed by the Government ?

श्री हरिश्चन्द्र : 20. 12. 60.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 20th December, 1960 ?

श्री हरिश्चन्द्र : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : And this Commiitee examined all the private owned power houses in the state ?

श्री हरिश्चन्द्र : पाली पॉवर हाउस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो साफ नहीं हुआ, पाली पॉवर हाउस को टेक ओवर करने के लिये कमेटी मुकर्रर की है या सारे प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ को टेक ओवर करने के लिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : All the power houses.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उदयपुर का निजी पॉवर हाउस है उसको भी सरकार हाथ में ले ले, क्या कमेटी इस पर भी विचार करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में मैला उठाने व ढोने की उपयुक्त व्यवस्था करना

३६५. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल, बाजार जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में कूड़ा कचरा डालने की कोई व्यवस्था न होने से जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं और आस-पास के रहने वाले लोगों के लिए कष्टकर होते हैं ?

(२) क्या यह सच है कि मैला उठाने और उसे ले जाने की कोई ठीक व्यवस्था न होने के कारण सफाई करने वाले हरिजनों को बड़ी असुविधा होती है ?

(३) क्या इसके लिए कुछ समय पहले हाथ गाड़ियों की व्यवस्था सोची गई थी और गाड़ियां आ भी गई थीं, फिर भी उनका उपयोग इस काम के लिये क्यों न हुआ ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(४) क्या अब जल्दी ही मैला उठाने व ढोने की कोई अच्छी व्यवस्था की जावेगी ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं, जयपुर शहर में कूड़ा-कचरा डालने की समुचित व्यवस्था है ।

(२) तहारतों में से मैला उठाने का काम म्युनिसिपैलिटी के आधीन नहीं है । यह काम प्राइवेट स्वीपर्स करते हैं । मैला ले जाने की समुचित व्यवस्था है ।

(३) हाथ गाड़ियों की व्यवस्था कूड़ा-कचरा उठाने के लिये है और उनका इस हेतु उपयोग किया जा रहा है ।

(४) सीवर लाइन डालने की योजना तैयार की जा रही है ।

डॉ० चन्द्रकला : अगर सफाई करने का काम प्राइवेट लोगों का है तो क्या नगरपालिका का देखने का काम नहीं है क्या कि सफाई ठीक तरह से की जाती हैं या नहीं ?

श्री सम्पतराम : जी हां, नगरपालिका का पूर्ण उत्तरदायित्व है और इसको निभाती भी है । प्राइवेट स्वीपर्स की तादाद बहुत ज्यादा है । उनके लिये कूड़ा कर्कट वगैरह रखने का, डालने का प्रबन्ध है । उसको हमारा म्युनिसिपैलिटी का स्टाफ है वह उठा कर ले जाता है, पर यह काम इतना बड़ा है कि इसमें कुछ कमी रह सकती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय उचित नहीं समझते कि मैला सिर पर ले जाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसकी जगह ठीक व्यवस्था की जाय ?

श्री सम्पतराम : जी हां, प्रबन्ध किया जा रहा है । इस तरह का सिस्टम तब्दील कर दिया जाय कि प्राइवेट स्वीपर्स रखने की आवश्यकता ही नहीं रहे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत खर्चा राज्य सरकारों को हाथ गाड़ियों और ड्रेनेज, फ्लश सिस्टम के लिये देती है ?

श्री सम्पतराम : नहीं, इस प्रकार का सुझाव राजस्थान सरकार के पास नहीं है । पर केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केन्द्रीय सरकार देती है । माननीय अध्यक्ष, मैं अभी देहली गया था तो इस प्रकार का सर्कूलर है केन्द्रीय सरकार का, यह मुझे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों ने लोक सभा में बताया कि ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के कार्य के लिये राज्य सरकारों को देती है कि हाथ गाड़ियों और ड्रेनेज फ्लश सिस्टम की व्यवस्था करे ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : The Hon'ble member is quite right.

श्री सम्पतराम : मैं पता लगाऊंगा । वैसे हम कच्ची टट्टियों को पक्की टट्टियां करने के लिये सब्सिडी देते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें नोट भी था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिये राज्य सरकार को लिखा कि ५० प्रतिशत सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी और ५० प्रतिशत राज्य सरकार दे, मगर राज्य सरकार ने कोई उसका रेस्पोन्स नहीं....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): इस विषय को लेकर समाज कल्याण बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है, माननीय सम्पतरामजी को इसकी मालूम नहीं है। वे मीटिंग में आये नहीं थे। ५ लाख रूपये समाज कल्याण विभाग को दिये हैं। मलकानी कमेटी टूर कर गई थी....

श्री अध्यक्ष : आप तो मन्त्री महोदय से ज्यादा जानते हैं। नेक्स्ट।

जमवा रामगढ़ से नये मोरे व नहरें निकालना तथा नहरों व नालों की मरम्मत करवाना

३६६. **श्री रामधन** (दौसा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या तहसील दौसा के ग्राम मंडाना, खैरवाल, जीरोता, बडा खेड़ा वगैरह के ग्रामीणों की दर्ख्वातें जमवारामगढ़ से नये मोरे व नहर निकालने, की नहरों और नालों की दुरूस्ती की सरकार के पास आई हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : केवल एक प्रार्थनापत्र ग्राम जोराता से आया था जिसमें ऐसी जमीनों के लिये नाले मांगे गये थे जो नहर से ऊंचे थे। इस कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप फिर से उत्तर दें।

श्री दौलतराम सारण : केवल एक प्रार्थना पत्र ग्राम जोरोता से आया था जिसमें ऐसी जमीन के नाले मांगे गये थे जो नहर से ऊंचे थे; इस कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री रामधन : क्या इसकी सर्वे भी हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसके लिये निवेदन कर चुका हूँ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उनका दुबारा निर्माण होना आवश्यक है ?

श्री दौलतराम सारण : कोई आपकी शिकायत आई हो।

श्री रामधन : ग्राम मंडाना, खैरवाल आदि के लोगों ने नये मोरे व नहर निकालने की वा नहरों और नालों की दुरूस्तो की रिपोर्ट सरकार के पास दी है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई।

Page No.20

श्री रामकरणसिंह : क्या आपके पास जो प्रार्थना-पत्र आया ग्राम जोरोता का, उस पर कोई कार्यवाही की है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कार्यवाही कर दी है।

श्री रामकरणसिंह : आपने बताया कि दूसरे ग्रामवासियों की अर्जियें नहीं आई, अगर आएंगी तो सरकार उस पर इस आधार पर कार्यवाही करेगी ?

श्री दौलतराम सारण : मैं धारणा के आधारित प्रश्न पर कोई उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप इसके लिये दूसरा प्रश्न पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा।

प्रश्न संख्या ३९७

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३९८

रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३९९

श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बी० एन० जोशी।

सहायक कलेक्टर व प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, बांदीकुई, हेतु उपयुक्त भवन

४००. **श्री बिशम्बरनाथ जोशी** (बांदीकुई) [डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : Will the Home Minister be pleased to state:—

(1) Whether it is a fact that in the absence of suitable Court building the Court of Asstt. Collector & Magistrate I Class, Bandikui has to function in the old building of the Customs' Office at Madhoganj, Bandikui, causing inconvenience to all concerned ?

(2) Whether any steps have so far been taken for providing a suitable building at the earliest for the Court of Assstt. Collector & Magistrate I Class, Bandikui ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. Yes, the building is not quite suitable.

2. Suitable building will be provided according to the phased building programme.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह प्रोग्राम क्या है और कब तक बनेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : वही उनको लिखा है।

Page No.21

प्रश्न संख्या ४०१

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

नगरपालिका के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

४०२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या नगरपालिका के सभी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाना शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि संचालक, स्थानीय निकाय ने राजस्थान सरकार से इस बात की सिफारिश की है कि नगरपालिका, पाली की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, ऐसी स्थति में राज्य कर्मचारियों के अनुसार बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता दिया जाय ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) नगरपालिका के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाता है ।

(ख) पाली नगरपालिका के जिन कर्मचारियों का वेतन १००—२५० के बीच में आता है उनको दिनांक १-१०-५८ से मंहगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है तथा संचालक स्थानीय निकाय ने इसकी सूचना नगरपालिका को २१-५-६० को ही दे दी थी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने उत्तर (क) में बताया कि नगरपालिका के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाता है । मैं कहूँगा कि किन किन म्युनिसिपैलिटीज़ को मिल चुका है ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि सब को दे दिया गया है । आप बतावें कि किन म्युनिसिपैलिटीज़ को नहीं मिला है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहूँगा कि बीकानेर में अभी तक मंहगाई भत्ता नहीं मिला है ।

श्री सम्पतराम: सब को पांच पांच रुपये देने थे, दिये गये हैं । १००) रु० से २५०) रु० के लिये लोकल ऑडिट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा । बीकानेर में सर्टिफिकेट ठीक तरह से नहीं दिया गया होगा ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : (ख) का उत्तर क्या दिया है ?

श्री सम्पतराम : मैंने उत्तर दे दिया है फिर पढ़ देता हूँ :—

"पाली नगरपालिका के जिन कर्मचारियों का वेतन १००—२५० के बीच में आता है उनको दिनांक १-१०-५८ से मंहगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है तथा संचालक, स्थानीय निकाय ने इसकी सूचना नगरपालिका को २१-५-६० को ही दे दी थी ।"

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आपने सारे कर्मचारियों को ५ रुपये माहवार की वृद्धि की है उसमें क्या हरिजनों के लिये भी वृद्धि की है ?

श्री सम्पतराम : जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : कोटा में आन्दोलन किया गया मगर उनको नहीं मिला।

श्री सम्पतराम : कोटा वालों का आपको मालूम नहीं होगा। दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। स्थगित प्रश्न।

दिनांक ८ मार्च १९६० का स्थगित प्रश्न

राजस्थान नहर के फ्लो एवं लिफ्ट एरिया में सम्मिलित बीकानेर जिले के ग्राम

२४०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या मन्त्री, राजस्थान केनाल विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर के फ्लो एवं लिफ्ट एरिया में बीकानेर जिले के कुल कितने गांव शामिल हैं ? जो गांव, उपरोक्त क्षेत्र में शामिल नहीं हैं क्या वहां के काश्तकारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५५ की धारा १५ के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त धारा के अन्तर्गत गांव सेरेरा, बड़ा बास, मालासर, नौरंगदेसर, गुंसाईसर आदि तहसील बीकानेर एवं खिपेरा, तहसील लूणकरणसर के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देकर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राजात किये जा चुके हैं ? अगर हां, तो कब इन्द्राजात किये गये ?

उप मन्त्री, राजस्थान कैनाल (श्री दौलतराम सारण) : (१) बीकानेर जिले में राजस्थान नहर के फ्लो एरिया में ७७ गांव एवं लिफ्ट एरिया में ४२४ गांव; कुल ५०१ गांव आते हैं। जो गांव उपर्युक्त क्षेत्र में नहीं आते हैं वहां के काश्तकारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५५ की धारा १५ के अनुसार खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं।

(२) जी नहीं। क्योंकि ये सभी गांव लिफ्ट एरिया में घोषित हो जाने से वहां के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि उनको रेवेन्यू कानून के मुताबिक नहीं दिये गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इस सम्बन्ध में उत्तर कल हाउस में दे दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : किसने दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : टीनेन्सी लॉ के अन्तर्गत राज्य सरकार ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह किस प्रकार से निर्णय किया कि यह अधिकार उनको दिया जावे और उनको नहीं दिया जावे ?

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न का उत्तर सुना नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने सुन लिया है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि जो गांव लिफ्ट एरिया में घोषित हो

(श्री दौलतराम सारण)

गये हैं उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं, कॉलोनाइजेशन की स्कीम लागू होने के कारण।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सीकर नागरपालिका द्वारा ट्रेक्टर व ट्रॉली की खरीद

२६०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) [श्री सतीचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका द्वारा एक ट्रेक्टर व ट्रॉली खरीदी गई है? यदि हां, तो कब और किस किस कीमत में तथा किस काम के लिये?

(ख) यह ट्रेक्टर व ट्रॉली कहां कहां से खरीदी गई? कृपया इसका पूरा विवरण (full description) सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में जनता अथवा सरकारी अधिकारियों से शिकायत मिली है कि ट्रेक्टर पुराना खरीदा गया है तथा नये की कीमत दी गई? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(घ) क्या यह सही है कि इस ट्रेक्टर की ट्रॉली खराब हो गई है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। दिनांक २७-४-६० को रु० १७,३०५ में एक ट्रेक्टर तथा दिनांक १८-५-६० को रु० २,४६८.६० नये पैसे में एक ट्रॉली खरीदी गई। ये दोनों ही खाद के कम्पोस्ट के लिये खरीद किये गये हैं।

(ख) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) जी हां, यह सही है। इसकी शिकायत पर सरकार द्वारा जांच कराई जा चुकी है।

(घ) यह सही नहीं है।

(ङ) नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच किस अधिकारी ने की?

श्री सम्पतराम : जांच असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़, इन्जिनियर, स्टेशन वर्कशॉप और असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच का क्या नतीजा रहा?

श्री सम्पतराम : जांच की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ट्रेक्टर नया है। उसमें एक, दो चीज़ पुरानी होने का संदेह है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि ट्रॉली खरीदते समय रूल्स को फोलो नहीं किया गया?

Page No.24

श्री सम्पतराम : रूल्स को फ़र्मली फौलो किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्रैक्टर खरीदने के लिये नियमानुसार स्वीकृति नहीं ली गई थी, इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : उन्होंने डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ को टेलीग्राम दिया था और हमने उसका इसे परचेज़ करने के लिये स्वीकृति दी थी । उन्होंने कहा कि यहां की आबादी बढ़ती जा रही है और इसके लिये इसकी जरूरत है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि वह जिस समय खरीदा गया नया नहीं था ?

श्री सम्पतराम : हमने इसकी जांच कराई है । इसके लिये स्पेशलिस्टों की कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जांच की है । उसने बताया कि कुछ पार्ट्स खराब थे । हमने उस कम्पनी को लिखा है कि आप इन पार्टस को बदलें, अदरवाइज़ आपके खिलाफ दावा दायर किया जावेगा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपको कब मालूम हुआ ?

श्री सम्पतराम : हमने जांच कराई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकारी अधिकारी ने शिकायत की, वे कौन अधिकारी थे ?

श्री सम्पतराम : इसमें श्री भैरोंसिंहजी ने भी शिकायत की थी । ए. आई.सी. सी. की भी शिकायत आई । मैंने उस पर कलेक्टर को टेलीग्राम किया कि वे डिटेल्ड रिपोर्ट भेजें और उसके बाद हमने ट्रैक्टर को भेज कर उसकी जांच कराई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कलेक्टर के पास खुद के पास शिकायत की गई थी ?

श्री सम्पतराम : मैंने खुद ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने उसके लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री सम्पतराम : जिस कम्पनी से यह खरीदा उसको नोटिस भेज दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसने बिना अनुमति से खरीदा उसके खिलाफ क्या किया ?

श्री सम्पतराम : मैं यह कहूँगा कि सवालों के दौरान में लॉबी को खुश करने की कोशिश की जा रही है ।

जो रूल्स हैं उसके मुताबिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि नगरपालिका ने इसकी जांच नहीं कराई कि जिस समय ट्रैक्टर खरीदा गया उस समय वह नया थ या पुराना ?

श्री सम्पतराम : आप भी बहुत सी जीपें आदि खरीदते हैं । जिस समय खरीदते हैं उस समय किसी से एग्ज़ामिन नहीं कराते । We have taken action. But the

(श्री सम्पतराम)

defects are not of this nature. We shall file a suit against the company in case it does not supply the required material.

श्री दयाकृष्ण विजय : कम्पनी को नगरपालिका, सीकर की ओर से जो नोटिस दिया गया वह कितने समय पहले दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ३८३ का जवाब दिलाया जाय।

काली सिन्ध बांध

३८३. **श्री रामचन्द्र** (डग–सु०) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) झालावाड़ जिले में काली सिन्ध बांध बंधवाने का कार्य किस साल आरम्भ हुआ और कितने वर्षों में बांध बन कर तैयार हुआ ?

(ख) इस बांध के बनवाने के लिये इब्तदाई तखमीना केवल बांध के लिये कितने रुपयों का था और नहरों के लिये कितने रुपयों का ?

(ग) पूरा बांध बन कर अन्त में कितने रुपयों में तैयार हुआ, जिसमें केवल नहरों के लिये कितने रुपये खर्च किए गए ?

(घ) यह बांध कितनी बार किन किन सालों में टूटा ?

(ङ) अब तक इस बांध की मरम्मत में कितने रुपये खर्च किये गये हैं ?

(च) क्या इस बांध से सिंचाई आरम्भ हो गई है ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : झालावाड़ जिले में काली सिन्ध सिंचाई योजना का काम सन् ५५ में शुरु किया गया और बांध दो साल में तैयार हुआ।

(ख) इस योजना के इब्तदाई तखमीने में बांध के लिए २,१५,२६०) रुपये थे और नहरों के लिए ८,६३,३००) रुपये का प्रावधान था।

(ग) पूरा बांध ४,५५,४४०) रुपये में बन कर तैयार हुआ और नहरों पर अब तक १८,५०,०१७) रु० खर्च हुए हैं।

(घ) यह बांध दो बार टूटा है। पहली बार जुलाई १९५६ में और दूसरी बार अगस्त सन् १९६० में।

(ङ) इस बांध की मरम्मत में अब तक ५०,१५०) रु० खर्च किये गये जिसमें से ४९,२६०) रु. १९५६ में जो भाग टूटा उसको वापिस पूरा बनाने में लगे।

(श्री दौलतराम सारण)

(च) इस बांध से अभी सिंचाई आरम्भ नहीं हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बांध टूटा उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कोई जांच कराई ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्नोत्तर काल के समय पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूँ कि राज्य सरकार की ओर से इस विषय में एक कमेटी बैठाई गई थी। जिसमें कमिश्नर, कलेक्टर और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर थे। जांच उसके द्वारा कराई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों बार बांध टूटा उसकी जांच कराई गई थी या अभी टूटा उसकी कराई गई ?

श्री दौलतराम सारण : अभी जो टूटा उसकी ओर इसके लिए सेंट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन को इसकी टैक्निकल एडवाइस के लिए जांच और सौंप रखी है कि आइन्दा यह बांध न टूटे उसके लिए एडवाइस करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सन् १९५६ में बांध टूटा तो राज्य सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई ?

श्री दौलतराम सारण : उस समय टूटा तो दुबारा बना दिया गया। अन्दाज यह लगाया गया था कि वह दुबारा नहीं टूटेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: दुबारा टूटेगा या नहीं, तो यह इन्तजार था। पहले जब टूटा तो आपने जांच क्यों नहीं कराई जब कि इस बांध में सब करके २२ लाख रुपया लगा है ? इन्क्वायरी क्यों नहीं पहले कराई ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि उस समय इसकी जांच क्यों नहीं कराई। प्राय: होता यह है कि जो भी बांध टूटता है उसकी जांच कराई जाती है। उस समय कराई गई या नहीं, इस समय उसके लिए मेरे पास जानकारी न होने से मैं आपको डेफिनिट जवाब नहीं दे सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठेकेदार या जो सम्बन्धित अधिकारी थे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है कि सन् ५६ में जब बांध टूटा तो जांच कराई गई थी या नहीं और क्या एक्शन लिया गया था।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): सिंचाई आरम्भ नहीं हुई है, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : बांध टूट गया है और उसमें पानी नहीं है।

श्री सम्पतराज जैन : मरम्मत क्यों नहीं हुई उसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य ने शायद मेरे प्रश्नोत्तर को नहीं सुना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बांध दो बार टूट गया था। पहले टूटा तो मरम्मत करा दी गई थी और दुबारा टूटा तो जांच कराई गई।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : पहले सन् ५६ में जब पहली बार बांध टूटा और

Page No.27

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उसकी मरम्मत करा दी गई और ६० में फिर टूटा तो उन चार साल के बीच के पीरियड में सिंचाई न कराने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : बांध टूट गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ५६ में जब बांध टूटा तो उसकी मरम्मत कब कराई गई और सन् ५६ में यदि मान लिया जाय कि मरम्मत कराई गई तो फिर ५६ और ६० के बीच के पीरियड में जांच क्यों नहीं कराई गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय ३६८ का जवाब दिलाया जाय ।

महुवा मुख्य सड़क पर पैट्रोल पम्पों के बीच मकान का निर्माण

३६८. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) [रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि महुवा, जिला सवाई माधोपुर में मुख्य सड़क पर पी. डब्ल्यू. डी. क्षेत्र के भीतर दोनों पैट्रोल पम्पों के बीच एक शकूर नाम के व्यक्ति ने पक्का मकान बनवाया है ?

(ख) क्या उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मकान बनाने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो कब और उस स्थान को किस आधार पर उन्हें दिया गया तथा इससे सरकारी खजाने में कितनी आय हुई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

(११. ५५ म०पू०)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्रीदामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। उसके सम्बन्ध में मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है कि इस विधेयक को १५ अगस्त, १९६१ तक जनमत के लिए प्रसारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है, सबसे पहले जब पंचायत समितियां और जिला परिषद् का गठन हुआ और फिर उसके बाद चुनावों के द्वारा पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद् बनीं उस समय कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां और कुछ व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयां ऐसी आ गई थीं जिनमें संशोधन करना आवश्यक था। इसमें साफ लिखा हुआ है कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय में मूल अधिनियम के प्रवर्त्तनशील रहने के परिणामस्वरुप जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यह प्रकट है कि अधिनियम के प्रावधानों में कुछ कमियां हैं तथा कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण उसे क्रियान्वित करने में व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती है। ऐसी कमियों तथा कठिनाइयों का निवारण करने के लिए समुचित संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

विधेयक में जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं उनके द्वारा सरकार ने अपने पक्ष की व्यवहारिक और व्याख्या सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है। लेकिन इस विधेयक का राजस्थान की प्रत्येक वयस्क जनता से सम्बन्ध आता है और अभी जो चुनाव हुए उसका अनुभव जनता को भी हुआ है और जिस तरह का अनुभव जनता ने किया है, तरह तरह से, उसके सम्बन्ध में जनता की प्रतिक्रियायें सामने आयी हैं, उसको देखते हुए मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि इस विधेयक में अगर सरकार की कठिनाइयों के साथ साथ जनता की कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दे सकें तो यह विधेयक अधिक उपयोगी हो सकता है। जैसा कि विधेयक में बताया गया है कि इसके द्वारा पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषदों के कुछ सदस्यों को बढ़ाना और कुछ का सहवरण करना और कुछ को अपदस्थ किन्हीं परिस्थितियों में करना और उनको पदस्थ न रहने देने के लिए क्या शर्तें होंगी, यह इसमें बताया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है।

(१२. म. प.)

हम सब यह जानते हैं कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में जो कदम हमारी सरकार ने उठाया है यह एक साहसिक और बहुत उचित और सामयिक कदम है। इसका न केवल अपने प्रान्त में, न केवल अपने देश में; बल्कि दूर दूर तक इसकी चर्चा हुई है। अब भी लोग हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हमने इसमें सफलता प्राप्त कर ली तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा आदर्श जनतान्त्रिक प्रणाली सरकार दे सकेगी। लेकिन जहां पर अपने इस कदम के ऊपर गर्व करते हैं वहां पर कम से

Page No.29

(डॉ० चन्द्रकला)

कम हम लोग, जिनको पिछले चुनावों में भाग लेने का मौका मिला है, जिस तरह से पंचायत समितियों में हुई गडबड़ियों को देखने का मौका मिला है, तो हम जहां इसके लिये गर्व करने लायक हो गये, वहां जो गड़बड़ियां हुई उनके कारण हम आसानी से सिर ऊंचा नहीं कर सकते। जिस तरह से पंचायतों के गठन का सवाल था, पंचायतों के चुनावों का सवाल था, सबने मत देकर पंचायतें बनायीं, वहां तक तो किसी को शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन पंचायत समितियों में जो डाइरेक्ट इलेक्शन्स की बात की है और इसमें जो कुछ हुआ है वह बहुत सोचनीय है। इसलिये हमें सोचना पड़ेगा कि इस तरह का कदम जिससे हमारा सिर नीचा हुआ है, उस तरह के कामों की पुनरावृत्ति न हो, इस पर हमें विचार करना है।

पंचायत समितियों और जिला परिषदों के गठन के सम्बन्ध में बहस के दौरान में बहुत कुछ कहा जा चुका है! मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहती। लेकिन मैं यह भूल नहीं सकती कि जिस तरह से चुनावों में सरपंचों का अपहरण किया गया जो अपनी जीत की खुशी तक मना नहीं सके और उनका अपहरण कर लिया गया और जब तक उनके मताधिकार का प्रयोग नहीं कर लिया गया उनको आजाद नहीं होने दिया गया। इस विधेयक में जो बातें कही गई उनके आधार पर मुझे जनमत की सर्वथा उपेक्षा करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें सब से पहले जो बताने का प्रयत्न किया गया है वह यह कि ग्रामदानी गांवों का प्रतिनिधित्व पंचायत समिति में होना चाहिये। राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ी संख्या में ग्रामदान हुए हों, यह बात तो मैं यहां के गांवों की संख्या को देखते हुए नहीं मानती, इसे बड़ी संख्या नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की परिस्थिति में लगभग जो २५० गांव ग्रामदान में प्राप्त हुए वह भी कोई छोटी बात नहीं है। इस प्रकार की जागृति ही होना एक बहुत बड़ी बात है। ग्रामदानी गांवों की रचना का जहां तक सम्बन्ध है, उनकी रचना अपने ही ढंग से होगी। जिनको ग्रामदानी गांव घोषित किया गया है, सरकारी सहयोग से, भूदान यज्ञ बोर्ड के सहयोग से जहां काम शुरू हुआ है जो कि ग्रामदानी गांव का आदर्श है वह आचार्य विनोबा भावे और सर्वोदय के आदर्श के अनुरूप हुआ है। उन गांवों में चुनाव सर्व सम्मति से होना चाहिये। उन गांवों की व्यवस्था अलग ढंग से चलने वाली है इस बात की मान्यता हमने दे दी है, परन्तु विकास के कामों का जहां तक सवाल है वह पंचायत समितियों के जरिये से होगा इसलिये पंचायत समितियों में उनका प्रतिनिधित्व होना ठीक है, पर इसमें जिस तरह की व्यवस्था की गई जो उसमें सहवरण की बात कही गई है, अध्यक्ष महोदय, सहवरण की बात का, जो कटु अनुभव हमें गत चुनावों में हुआ है उसको हम भूल नहीं सकते। इसके बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूँ।

आज देखा यह गया है कि सहवरण उन लोगों का किया जाता है जिनको जनता अस्वीकार कर देती है और चुनाव में हार जाते हैं। उनके लिये यह सहवरण का द्वार खुला है। वे सहवरण प्रावधान आधार पर पंचायत समितियों में घुस सकते हैं। पर पहले भी मैंने कहा था, जहां तक सहवरण के

(डॉ० चन्द्रकला)

रखने का प्रश्न है, उसमें प्रशासनिक अनुभव के लोग हों उनके अनुभव से लाभ उठाने के लिये यह ठीक है। लेकिन इसमें मेरा सुझाव यह भी है, सहवरण किये हुए जो सदस्य हैं उनको ऐसा सदस्य माना जाय जो अपने अनुभवों का लाभ देने के लिये वहां बैठ सकते हैं। लेकिन जहां मत देने का प्रश्न है उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इससे बहुत सारे सवालों का अपने आप हल हो जाता है। सहवरण के लिये जो लोग बहुत उतावले रहते हैं, यदि हम उनके मत देने के अधिकार को छीन लेते हैं तो कोई भी इस तरह की हरकतें करके आगे नहीं आयगा। वैसी हालत में वे ही लोग आयेंगे, जिनसे सही मायने में पंचायत समितियों और जिला परिषदों को लाभ मिल सके। हमने इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया लेकिन हमने यहां तक करने का सोचा है, ग्रामदानी जो गांव होंगे, ग्राम सभा का सभापति या प्रधान का उसमें सहवरण होगा। यहां हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि ग्राम ग्राम एक मत से काम करने वाला गांव है वहां हमें फूट पैदा करने की बातें नहीं करनी चाहिये। पिछली पंचायतों के चुनावों में जिस प्रकार से गांव गांव में फूट पैदा हुई है उसको हमें बड़ी नम्रता के साथ स्वीकार करना होगा। उनमें मंत्री-गण का पूरा हाथ रहा अगर उनमें डिस्टिंक्शन मार्क्स किसी मंत्री महोदय के आ सकते हैं तो वे हमारे राजस्व मंत्रीजी हैं। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ। जिस तरह से इन पंचायतों के चुनावों में गांव गांव में फूट पैदा की है कि कम से कम आप ग्रामदानी गांव को तो इस फूट-परस्ती से बचाये रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां पर आप सहवरण की प्रथा को तो मत डालें। ग्रामदानी गांव जिस व्यक्ति को चाहे ग्राम सभा का प्रधान बनाना या किसी को पंचायत समिति में भेजना चाहे वह उनकी इच्छा पर आप छोड़ दें। मैं समझती हूँ, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कानून बना कर ग्रामदानी गांवों में फूट पैदा नहीं होने देनी चाहिये। वे जिस तरह से भी चाहें अपना प्रतिनिधित्व पंचायत समितियों में कर सके, यह उन्हीं पर छोड़ दें। इसमें सुझाव दिया गया है। मैं सोचती हूँ, कोई भी व्यक्ति इससे सहमत नहीं हो सकता कि ग्रामदानी गांव के प्रतिनिधित्व के बारे में सरकार कानून बनाये। हमने उनको अपने विकास के लिये, उनको अपने सब कामों के लिये सभी तरह की सुविधा प्रदान कर दी है। वहां उनको हमें यह भी सुविधा देनी चाहिये जिसको चाहें वे अपने प्रतिनिधित्व के रूप में भेजे। ग्रामदानी गांव एक आदर्श को लेकर चलने वाले गांव हैं, जो कि हमारे पूज्य बापू ने ग्राम राज की कल्पना की उसी दिशा में ये गांव प्रयत्न करने में लगे हैं। मैंने कुछ ग्रामदानी गांवों को देखा है जो बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। सहकारी खेती का वे प्रबन्ध करते हैं, और भी सुधार वे अपने आप करते हैं। अगर उनमें ले जाकर इस सहवरण की प्रथा को डालेंगे तो वहां के लोगों में एक प्रकार से फूट पैदा होगी। इसलिये जहां तक ग्रामदानी गांव के प्रतिनिधित्व की बात है वहां हमें यह छूट अवश्य देनी होगी।

इस विधेयक के द्वारा पंचायत समितियों में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों की संख्या बढ़ाई गई है। जहां तक संख्या बढ़ाने की बात है वह तो ठीक है लेकिन जहां तक

(डॉ० चन्द्रकला)

इनके चुनाव का संबन्ध है इस एक बार के चुनाव से जो बातें हमारे सामने आयी हैं उनसे एक बात का अनुभव हुआ है कि पंचायत समितियों में जो सहवरण होता है हरिजन और महिला का उसके लिये यह नियम हैं कि नगरपालिका क्षेत्र के वे नहीं होने चाहिये । यह ठीक नहीं है, इसको मंत्री महोदय भी स्वीकार करेंगे । जहां पर प्रशासनिक क्षेत्र का अनुभव होता है उन्हें कोई बन्धन नहीं । मैं ऐसी पंचायत समिति को भी जानती हूँ कि एक नगरपालिका के अध्यक्ष एक जगह की पंचायत समिति में आते हैं, नगरपालिका के अध्यक्ष होते हुए पंचायत समिति में आते हैं, लेकिन उसी क्षेत्र का हरिजन जो नगरपालिका क्षेत्र में निवास करता है वह पंचायत समिति के सहवरण में नहीं आ सकता । यही नियम जिला परिषद् में भी है । जहां तक हमें इसका व्यवहारिक रूप देखने को मिला है यह नियम महिलाओं के लिये भी है । इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है । महिला और हरिजन पर ही यह नियम लगाने की आवश्यकता नहीं । अगर पालिका का अध्यक्ष पंचायत समिति में उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो कोई कारण नहीं नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले हरिजन या महिला पंचायत समिति के सहवरण में नहीं आ सकते । यह बात हमारी समझ में नहीं आती है ।

इसके साथ साथ जो हिन्दी में विधेयक है, उसको मैंने देखा और सोचा कि शायद हिन्दी अनुवाद में इस प्रकार की गलती हो गयी है । किन्तु जब उसका अंग्रेजी प्रारूप भी देखा उसमें भी यही था कि पंचायत समिति के सदस्य के लिये एक पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, वह पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेगा तो अपने आप ही पंचायत समिति में सदस्य नहीं रह जायगा । विधान सभा के सदस्य के लिये कोई पाठ्यक्रम नहीं । जहां तक पाठ्यक्रम का सवाल है वह हो भी नहीं सकता क्योंकि यह ठीक नहीं कि तुम अमुक पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर लोगे तो तुम इस पद के लिये लायक नहीं रह जाओगे, यह समझ में आने लायक बात नहीं है । आखिर इसमें सरकार की मंशा क्या है ? हमारी पंचायत समितियों में योग्य आदमी आने चाहिये लेकिन जहां तक निर्धारित पाठ्यक्रम के पूरा करने का सवाल है यह ठीक मालूम नहीं होता कि निर्धारित पाठ्ययक्रम पूरा करना ही चाहिये, लेकिन पाठ्यक्रम निर्धारित करना योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से दूसरी बात है, पर सदस्यता की शर्त के रूप में रखना समझ में नहीं आता । आप प्रमाण—पत्र हासिल कर लेना ही योग्यता मानते हैं क्या ? फिर हम एक छोटी सी पंचायत की इकाई में ही इस तरह की शर्त क्यों रखते हैं, जब कि बड़ी से बड़ी विधान एवं लोक सभा में इस तरह की कोई शर्त नहीं है ?

सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में प्रावधान रखा गया है, पर जनता जिसको चुन कर भेजती है उसको सरकार कैसे अयोग्य मानती है ? हां, जनता से अगर कोई गल्ती हो जावे तो उसे सुधारने का अधिकार सरकार को जरूर हो सकता है पर जिस तरह से ये अधिकार सरकार हाथ में लेना चाह रही है, यह समझ में नहीं आता । इसमें यह लिखा है कि अगर कोई ऐसा सदस्य कि जिसकी सूचना सरकार के पास आती है कि उसने यह गल्ती

(डॉ० चन्द्रकला)

की तो एक मौका दिया जावेगा, पर किन्हीं स्थितियों में सुनने का भी मौका न देकर फैसला किया जावेगा। योग्यता की शर्त कोई नहीं होती। हम बराबर देखते हैं योग्यता अयोग्यता का फैसला बहुत कुछ ऊपर के लोगों की मर्जी पर होता है। बड़ी बड़ी अयोग्यताएं योग्यताएं सिद्ध हो जाती हैं और बड़ी बड़ी योग्यताएं अयोग्यताओं में बदल जाती हैं। मुझे अनुभव है। एक पंचायत समिति के प्रधान का जो काम था, जो गल्ती थी अगर उस मामले को मामूली आदमी के सामने भी रख दिया जाता तो वह कह सकता था कि यह गलत है। पर हम जो बड़े बड़े ओहदों पर ऊंचे बैठे हैं उनकी राय में वह क्षम्य अपराध माना गया और चेतावनी देकर अभय-दान दे दिया गया उसको। पर दूसरा व्यक्ति जिसका कुसूर इतना बड़ा कुसूर नहीं हो सकता था उसे बड़ा भारी कुसूर मान कर तुरन्त सस्पेन्ड किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : वह कौनसी पंचायत समिति है ?

डॉ० चन्द्रकला : सांगानेर पंचायत के प्रधान राजमलजी जैन।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनका कसूर मामूली था आपकी राय के अनुसार ?

डॉ० चन्द्रकला : जी हां। जिला परिषद् में इस पर अच्छी तरह से विचार हो चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरे का नाम बता दीजिये, ताकि मुझे जवाब देने में आसानी हो।

डॉ० चन्द्रकला : दूसरा मौजमाबाद का। मैं मानती हूँ, सरकार के पास जवाब तो हर बात का है। दोनों सरपंचों की बातें हमारे आपके सामने हैं। मैं नहीं कहना चाहती कि सरकार के पास जवाब नहीं है। जवाब तो हर व्यक्ति के पास हर बात का है, पर यह देखना पड़ता है कि वह वाजिब है या गैर वाजिब है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह बता दें कि बड़ा कुसूर किसका है और मामूली किसका : यह आप बता दें ?

डॉ० चन्द्रकला : मैं यहां इस बात को लेकर प्रसंग नहीं बढ़ाना चाहती। आपको सब मालूम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : She has made allegation against the Government that we have not taken proper action. Let her explain.

कौनसी पंचायत समिति का था कि जिसको सस्पेन्ड कर दिया गया। कुछ कुसूर नहीं होने पर भी और कौनसा था कि जिसको केवल चेतावनी दे दी बड़ा कसूर होने पर भी ? यह आप बता दें, ताकि मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूं सदन में, जो भी हो, और फिर सदन तय करेगा कि कौनसा एलीगेशन साधारण था और कौनसा बड़ा।

डॉ० चन्द्रकला : यह बहुत अच्छा होगा कि यह मामला सदन की मेज पर रख दिया जावे, उनके चार्जेज़ भी। मैंने बताया कि सांगानेर की समिति के प्रधान की पहले

(डॉ० चन्द्रकला)

जब कलेक्टर ने जांच की थी तो सस्पेन्ड कर दिया, पर और ऊपर से एन्क्वायरी कराई गई तो बरी कर दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सांगानेर वाला है ?

डॉ० चन्द्रकला : जी हां, जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : I can only say that the Hon'ble member is misinformed. Suspension order was never withdrawn against the Pradhan of Sanganer Panchayat Samiti.

डॉ० चन्द्रकला : मैं खुद उस जिला परिषद् में मौजूद थी। बहस में मैंने भी भाग लिया है और बहस की गई हो, यही नहीं; वे सभी निर्णय हमारी मौजूदगी में उस दिन हुए हैं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : सही किसको मानें ?

डॉ० चन्द्रकला : अपने आप रिपोर्ट आ जावेगी। आपको अपनी अलग राय हो सकती है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि पंचायत समिति के सदस्य को अपदस्थ करने के लिये जो सरकार ने अधिकार चाहा है वह मैं नहीं कहती, नहीं दिया जावे, सरकार को हर तरह के अधिकार होने चाहिये, पर जब उनका दुरुपयोग होता है तब लगता है कि यह नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। जहां एक ओर सरकार की सुविधा देखते हैं तो पंचायत समिति की और उनके सदस्यों की सुविधा भी दूसरी ओर हमें देखनी पड़ती है। यह एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे उदाहरण तो बहुत हैं और दिन प्रति दिन प्रश्नोत्तर काल में और वैसे भी सामने आते हैं कि कहां कहां किस तरह का पक्षपात होता है और अगर आप चाहेंगे तो उनको इकट्ठा करके बराबर देते भी रहेंगे। पर हम देखते हैं कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है।

यहां विचाराधीन जो है सब पर पंचायत समिति और जिला परिषद् पर लागू होने वाला है इसलिये अपना कर्त्तव्य समझ कर सरकार को यह चेतावनी अवश्य दे देना चाहती हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो और यह देखे कि इसका दुरुपयोग होकर कितने सदस्यों को उनके काम करने में कितनी बाधा पड़ती है।

इसके साथ ही जो सदस्यों की अनुपस्थिति की बात है हम सब जानते हैं कि स्थायी समितियों का बड़ा मूल्य है और महत्व है और उनमें सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी भी है, पर कई समितियों में चाहते हुए भी कुछ सदस्य मजबूरन नहीं जा पाते किसान लोग हैं, कई काम हो सकते हैं, आकस्मिक परिस्थितिवश भी नहीं आ सकते कभी तो यह छूट अवश्य देनी चाहिये कि बिना इजाजत अनुपस्थित रहते हैं तो इस तरह की वार्निंग दी जावे। फिर हमारी सूचना देने की पद्धति भी दोष–पूर्ण है। कभी कभी तो मीटिंग हो जाती है उसके बाद सूचना मिलती है। इस तरह से चार मीटिंगों में अगर वह नहीं आवेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। यह भी प्रावधान है। मैं पूछती हूँ आखिर इसमें ऐसी कौनसी दिक्कत आ गई

(डॉ० चन्द्रकला)

है ? यदि कोरम भी पूरा हो जावे तो काम हो सकता है, फिर अगर एक बार कोरम के अभाव में स्थगित भी होती है तो दूसरी बार कोरम नहीं होने पर भी निर्णय हो सकता है। इस तरह की बात कि चार मीटिंग में नहीं आवेगा तो पांचवीं मीटिंग के वक्त उसकी सदस्यता खत्म मानी जावे, इसमें कही गई है। और हटाये जाने और डिसक्वालीफिकेशन की बात, मैं, अध्यक्ष महोदय, कह चुकी हूँ।

इसके अलावा जिला प्रमुखों को भी थोड़ा अधिकार देने की बात इसमें की गई है। हम सब जानते हैं कि जिला परिषदें पंचायत समितियों के बीच और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करने वाली संस्था है और असल में हमारा उद्देश्य तो जो सबसे छोटी इकाइयां पंचायतें हैं उनको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का है। जिला प्रमुख को यह अधिकार देने का प्रयत्न किया गया है कि वह जिले के तमाम पंचायत के पंच और सरपंच के त्याग-पत्र पर विचार करेगा और उसे मन्जूर करेगा। तो त्याग-पत्र के स्वीकार की जो बात है या उसे स्वीकृत करने की बात है जिला प्रमुख को अधिकार देने की बात नहीं है तो इस पर हम देखते हैं कि सदस्यों को सहवरणों द्वारा लेने का और कुछ सदस्यों को किन्हीं परिस्थितियों में हटाने का जो अधिकार सरकार लेती है उस पर इससे अधिक विचार करने की आवश्यकता है और अब तो जब पंचायतों के चुनाव हुए और सारी जनता ने उसमें भाग लिया तो उसमें जनता का भी अनुभव है, उसकी भी राय है और उसकी प्रक्रिया हम समय समय पर देखते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जहां सरकार अपनी कठिनाइयों को दूर करती है और अपनी सुविधाओं को देखती है वहां पर जनमत को भी देखे। क्योंकि सरकार को वहां काम नहीं करना है, काम तो पंचायतों को करना है सरकार से तो सहायता मिलेगी, निर्देशन मिलेगा, काम करने वाली संस्थायें तो पंचायतें और पंचायत समितियां होंगी। इस तरह से हमारी सर्व-साधारण जनता इससे सहमत हो इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि अगर इस विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित करें तो इससे जनता की राय मालूम होगी और जितनी कठिनाइयां सरकार को होती हैं उससे अधिक कहीं कठिनाइयां हमारे सरपंच और पंचायत समिति के प्रधानों को हुआ करती हैं, तो उन सब पर भी विचार किया जाये। इसलिए अगर हम जनमत जानने के लिए इस विधेयक को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बातें करते हैं और जिसमें सबसे बड़ा अगुआ होने का प्रयत्न करते हैं उसमें हम अधिक अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं, इसी आशय से मैं अपना यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान पंचायत और जिला परिषद विधेयक पर मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। इस विधेयक के अन्दर केवल उन ऑर्डिनेन्सेज़ को जो कि राजस्थान पंचायत और जिला परिषद एक्ट बनने के बाद राजस्थान सरकार को समय-समय पर जो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कठिनाइयां आईं उनको दूर करने के लिए कुछ अध्यादेश निकाले उनके अध्यादेशों के अन्तर्गत कुछ बातें तो ऐसी थीं कि जिनसे कुछ रास्ते सरल हुए और जिनसे पंचायत और पंचायत समितियों में जो कठिनाइयां थी चुनावों में उनको जरूर मदद मिली है। इसलिए अध्यादेश जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहे और जिन्होंने समय–समय पर मदद की वह सराहनीय है, लेकिन कुछ ऐसे अध्यादेश थे जिनकी वजह से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हुई और जिन जिन बातों की तरफ जो अभी विधेयक लाया गया है उसके द्वारा ध्यान दिलाया गया है इसमें सबसे पहली बात यह है कि उन ग्रामदानी गांवों को इन पंचायत समितियों के अन्तर्गत लाना है। वैसे मैं यह मान सकता हूँ कि कोई भी गांव पंचायत समिति से अलग नहीं रहना चाहिए क्योंकि जितने भी गांव हैं वे पंचायत समिति के अन्दर ही रह कर अपने विकास कार्य कर सकते हैं। लेकिन जिस अनुपात में दूसरे गांव हैं, उनका और इनका ठीक रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं रखा। क्या व्यवस्था रखी है कि ग्रामदानी गांवों के अन्दर से १ हजार की संख्या पर एक प्रतिनिधि पंचायत समिति में जायेगा जब कि दूसरे गांवों से ३ हजार की जनसंख्या पर २ प्रतिनिधि समिति में जायेंगे और २ हजार की संख्या पर १ जायेगा ?

मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का भिन्नता का व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जो लोग बैठते हैं वे सोचते हैं कि जो धन-राशि आई है उसका समान रूप से वितरण कर लिया जाये। यदि इस प्रकार की बात आती है तो उन गांवों के साथ जिन गांवों के प्रतिनिधि कम आते हैं वहां के गांवों के लिए कम धन-राशि मिलेगी और जो ग्रामदानी गांव हैं जहां से एक हजार पर प्रतिनिधि आता है तो उनको यह राशि अधिक मिल जायेगी। मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि ग्रामदानी गांवों का एक अलग एक्ट बना हुआ है, उनके कार्य संचालन का तरीका ही अलग है और हमारे यहां पर पंचायत एक्ट में संशोधन हुआ है कि कहीं पर श्रमदान नहीं होता है तो फोर्स्ड लेबर ले सकते हैं, इस प्रकार के प्रावधान उस एक्ट में नहीं मिलेंगे। यदि हम इन गांवों को अलग रखते हैं और उन गांवों को अलग रखते हैं तो यह एक तरह से पक्षपात होगा कि एक ही तहसील में एक ही जगह रहने वाले गांव अलग अलग व्यवस्था रखें। यह सराहनीय नहीं हो सकता और इन बातों पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जब राशि मिलने का समय आयेगा तो राशि ग्रामदानी गांव के एक ही गांव को मिल जायेगी और दूसरे ज्यादा संख्या के ऊपर वह राशि मिलेगी। इससे पक्षपात होने का बड़ा भारी भय रहता है। मैं तो यह समझता था कि ग्रामदानी गांव का जो कानून हमने पास किया है, हालांकि वह हमारे द्वारा पास हुआ है लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है। अलग से उनका प्रावधान रखना ठीक नहीं होगा। वैसे कानून में प्रोविज़न भी नहीं है कि ग्रामदानी गांवों के लिए पंचायत समिति में अधिकार किस तरह से होगा ? तो दोनों में जो भिन्नता का व्यवहार है, जिला परिषद् और पंचायत एक्ट के तहत ही उनकी सारी कार्य–प्रणाली होनी चाहिए। हमारे ग्राम पंचायत के जितने गांव हैं सारे राजस्थान में गांवों में सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए हैं और ग्रामदानी गांवों में भी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

चुनाव ऐसे ही होंगे, लेकिन हो सकता है पार्टी-बाजी के कारण हों। मैं इसमें अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन सारी बातों को देखते हुए यह कह सकता हूँ कि भिन्नता की बात नहीं रहनी चाहिए। यह ठीक है गांव के लोग मिल कर काम करने की बात करते हैं और मैं तो यह कहता हूँ कि गांवों के विकास का जहां प्रश्न आता है गांवों के लोग मिल कर काम करें ऐसा हम कहते हैं तो उसके लिए ग्रामदानी गांवों को नहीं रखें, उनकी अलग से प्रक्रिया चलती रहे और उनको बराबर पंचायत समितियां में प्रतिनिधित्व मिलता रहे, यह मैं समझता हूँ कि न्याय संगत बात नहीं है। ....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझ सका कि वह क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है शायद यह कि इस बिल में केवल यह प्रोविज़न है कि उनका पंचायत समिति में रिप्रेज़ेन्टेशन होना चाहिए उसके लिए प्रोविज़न रखा गया है। जहां तक प्रश्न यह है ग्रामदान एक्ट के अन्दर जो सभा या कमेटी के प्रेसीडेन्ट बनते हैं तो उसका ताल्लुक इस बिल से नहीं है। तो ग्रामदानियों का रिप्रेज़ेन्टेशन पंचायत समिति में हो तो इसके अलावा कौनसा तरीका आप बताते हैं या आप यह कहते हैं कि उनका रिप्रेज़ेन्टेशन होना ही नहीं चाहिए ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा ख्याल है कि रिप्रेज़ेन्टेशन हो और उसी आधार पर जिस आधार पर ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व पंचायत समिति में होता है। उसका अलग से एक्ट बना रखा है। केवल १ हजार के ऊपर एक प्रतिनिधि बैठेगा जबकि दूसरी पंचायतों से २ हजार के ऊपर एक प्रतिनिधि आता है। यदि आज कार्यों के लिए राशि के समान वितरण करने को बात की तो एक हजार वाला ज्यादा राशि ले जायेगा और दो हजार से आने वाला प्रतिनिधि नुकसान में रहेगा। जैसे एक तहसील में सड़क बनती है तो ग्रामदानी गांव में भी बनती है और दूसरे में भी बनती है, तो दोनों को समान रूप से राशि नहीं मिल पायेगी। तो इस प्रकार से इसको अलग रखना, केवल एक विशेष गांव कह कर अलग रखना, मैं समझता हूँ कि पक्षपातपूर्ण तरीका होगा, केवल इसके कारण यह किया है। यही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह बहस तो उस कानून में संशोधन आवे तब करें। यहां तो केवल रिप्रेज़ेन्टेशन पंचायत समितियों में उनको देने का सवाल है। ग्रामदान सभा कैसे बनेगी यह तो डिफरेंन्ट चीज़ है। That is altogether a different law. उनका रिप्रेजेन्टेशन पंचायत समिति में होना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न है और यदि होना चाहिये तो किस तरह से होना चाहिये। यह प्रश्न हाउस के सामने है। or you want to suggest some other method? आप बहस उस पर कर रहे हैं जो मसला इस समय हाउस के सामने नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : उनका रिप्रेजेन्टेटिव जाकर तरक्की वगैरह के काम में हिस्सा बंटायेगा या नहीं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : He will be a member for all purposes.

श्री दयाकृष्ण विजय : लेकिन आप कहते हैं कि वह एक हजार का प्रतिनिधि होगा और हमारी पंचायतों में २ हजार पर प्रतिनिधि है। मान लीजिये कोई रकम आई और उसको बराबर बांटने का सवाल आया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे ? तो मैं समझता हूँ इसमें भी दो हजार या डेढ़ हजार पर एक प्रतिनिधि होना चाहिये। वर्ना यदि ग्रामदानी सभाओं के सभापति को भी पंचायत समिति में वे ही अधिकार मिलें तो ग्रामदानी गांवों को अधिक लाभ होगा और पंचायतों को कम मिलेगा।

दूसरी बात, मैं यह कहूँगा कि ग्रामदानी गांवों पर प्रभुत्व पार्टी विशेष का है और वह कांग्रेस का कहा जा सकता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कांग्रेस का ही क्यों ? आप भी गांव दान में दीजिये वर्ना विनोबाजी के पैरों में बैठ कर ग्राम दान किया है उनका प्रभुत्व होगा ही।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप विनोबा जी क्यों, गांधीजी के पैरों पर भी बैठे हैं ....

श्री मोतीलाल : यह तो सेकि-फाइड है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तो सभी जानते हैं कि जितनी भूमि ग्रामदान के नाम पर मिली है उसका विश्लेषण करना चाहें तो वह बंजर है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो उसके पास से ही नहीं गुजरे हैं तो विश्लेषण क्या करेंगे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : पास से गुजरने का अलग अलग तरीका है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था कि जहां इस प्रकार की परिस्थिति है उसमें ग्रामदानी गांवों के प्रतिनिधि को विशेष प्रकार से रखना अलग सी बात होगी। वे सिर्फ पंचायत समितियों में बैठ कर आपका बहुमत बढ़ावें और आपका कब्जा पंचायत समितियों पर बना रहे, मैं तो ऐसी चाल समझता हूँ। ग्रामदानी गांवों के प्रतिनिधि एक हजार पर लाने हैं तो उनके लिये धन-राशि वगैरह भी अलग होनी चाहिये जिससे और पंचायतों के लोगों को नुकसान न हो। इसके अलावा नहीं होना चाहिये।

तीसरी बात, मैं कृषि निपुण के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी आपने दो-तीन महीनों पहले अध्यादेश निकाला है, उसमें आपने यह प्रोविज़न किया है कि जहां आवश्यक समझेंगे वहां कृषि निपुण रख सकेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी पंचायत के लिये आपने कृषि निपुण नियुक्त नहीं किया है। लेकिन जिला परिषद् को अधिकार है कि वह कृषि निपुण को नियुक्त कर सकती हैं, लेकिन अब यह आया है, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा तो बहुमत पार्टी वाले अपने बहुमत के आधार पर कृषि निपुण को नियुक्त करेंगे और वह वहां बैठ कर उनको संख्या को और बढ़ायेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वर्ना इसमें यह रखना चाहिये था कि कृषि निपुण किस तरह का व्यक्ति होना चाहिये। आप कहेंगे कि यह बात नियम मे आयेगी। मैं मानता हूँ कि यह बात नियम में भी आ सकती है, लेकिन इतना समय निकल जाने के बाद भी आज तक मेरे ध्यान में नियम नहीं

Page No.38

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आये हैं, कृषि निपुण है क्या ; तो केवल अपने व्यक्तियों को, अपने आदमियों को रखा जाय । इसके अलावा और कोई चारा नहीं । इसके अलावा मैं यह भी कहूँगा कि ये बातें साफ साफ आनी चाहिये । वे एक्ट में भी साफ हो जाती हैं तो लाभदायक होंगी । केवल गुटबाजी और पार्टीबाजी को बढ़ावा देने के लिये अस्पष्ट बातें रखी जाय तो नुकसान देती हैं । इस नाते कृषि निपुण के जो अधिकार हैं उन पर फिर से बैठ कर विचार करना होगा कि किस प्रकार के नियम बनावें ताकि प्रगति नहीं रुके ।

इसी प्रकार से यह रखा है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को जो राज्य सरकार ने काम दिया है यदि वे राज्य सरकार द्वारा दिये गये काम या निश्चय को करने में असफल रहती हैं, तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करके इस प्रकार का कार्य करा लेगी । मान लीजिये टैक्स लगाने के बारे में सरकार तय करती है और पंचायत समिति कहती है कि हम नहीं लगाना चाहते या स्थगित करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार के परिपत्र हरएक पंचायत समिति के पास पहुँचते हैं जिनमें यह आदेश होता है कि टैक्स लगाया जाय और उनके प्रधान देखते हैं कि हमारी टर्म एक साल की है और इस अर्से में टैक्स लगायेंगे तो हमारी राजनैतिक मौत हो जायगी और ऐसा हुआ भी है । जो प्रधान कांग्रेस की चाल को नहीं समझ सके उनकी मौत इस प्रकार से हुई । कुछ ऐसे ही प्रधान चाहते हैं कि कुछ समय के लिये टैक्सेज नहीं लगे या ऐसा हो कि पहले जो लगे हुए हैं और चलते आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर काम करना चाहते हैं और राज्य सरकार अमुक तरीके से काम करना चाहती है और पंचायत का बहुमत नहीं चाहता तो राज्य सरकार ऐसे आदमियों को रखेगी और उनसे कार्य करायेगी । इसका मतलब यह होगा कि पंचायत समिति के बहुमत की राय की अवहेलना होगी और उसका कोई महत्व नहीं रहेगा और राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसी ही चीज़ पास होगी । इससे राज्य सरकार को कोई नुक्सान नहीं, चाहे कोई भी पार्टी बहुमत बनाती है । मैं समझता हूँ इस प्रकार का प्रोविजन रखना उचित नहीं है । चुनी हुई संस्था कोई काम नहीं करना चाहती और राज्य सरकार उसको किसी दूसरे आदमी के जरिये कराती है तो यह तानाशाही तरीका होगा और मैं समझता हूँ, आज के जनतंत्र के युग में इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सराहनीय नहीं कहा जा सकता ।

इसी तरह से चौथी बात यह है कि जो यह सहवरण करने की बात है किसी व्यक्ति का सहवरण करके उसको मान्यता देने का तरीका रखा है मैं उसके खिलाफ हूँ और इसके खिलाफ मैं हमेशा से रहा हूँ । यह पार्टी विशेष के आदमियों की

(१२. ०८ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ताकत बढ़ाने की बात है ।

इसके साथ ही जो पढ़ा-लिखा आदमी होने की बात है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई रिटर्निंग ऑफिसर पहुँचा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और उसने देखना चाहा कि न्याय पंचायत में हिन्दी अच्छी तरह से पढ़ा-लिखा आदमी है या नहीं, हालांकि हम दिन-रात देखते हैं कि हिन्दी अच्छे पढ़े-लिखे जिनको हम समझते हैं शुद्ध वाक्य लिखाये जांय तो वे नहीं लिख सकेंगे, लेकिन उनको कठिन हिन्दी लिखाते हैं। जो लोग गांवों से आते हैं वे मैट्रिक तो क्या चौथी-पांचवीं तक पढ़े हुए होते हैं जो अच्छी हिन्दी नहीं लिख सकते लेकिन वे पंचायत में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर उसे कहेगा कि हिन्दी लिखिये और उनसे कहीं "संघर्ष" का 'र' ऊपर चढ़ाने के बजाय इधर उधर लिख दिया या और कोई गलती हो गई तो नोमीनेशन पेपर खारिज कर दिया जायगा। ये उदाहरण मिलते हैं कि सारे के सारे नोमीनेशन पेपर्स खत्म कर दिये। कानून का रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञान नहीं। खारिज होता है उसी समय दूसरा मांगना चाहिये। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर वापिस आ गया और उसने चुनाव नहीं कराये, दुबारा नोमीनेशन पेपर मांग कर तहसीलदार के पास कांग्रेस वर्कर पहुंचते हैं और उनका इशारा हो जाता है कि अमुक आदमी का मनोनयन होना चाहिये। इस तरह से मनोनयन होता है। न्याय पंचायतों में ऐसा हो रहा है। सारे खारिज कर दिये और मनोनयन कर दिये और इस प्रकार से जहां बहुमत बनने वाला था जनसंघ का वहां इस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर गड़बड़ करते हैं....

श्री मोतीलाल : जनसंघ आ गया क्या?

श्री दयाकृष्ण विजय : बराबर हर न्याय पंचायत में कब्जा किया है कोटा जिले में। नागौर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस समय मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार का नाजायज तरीका, मनोनयन का गन्दा तरीका है, इसको हटाना है और इसके बजाय जो चुनाव पद्धति है, वह होनी चाहिए। हम हारते हैं इसलिए कह रहा हूँ या हम जीतते हैं इसलिए कह रहा हूँ यह बात नहीं है, मैं न्याय की दृष्टि से कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कल आपके सामने भी यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए जहां कहीं मनोनयन का तरीका है, इसका विरोध होना चाहिए क्योंकि मनोनयन का तरीका जनतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता। मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की व्यवस्था करें। आपका तहसीलदार जाता है, वह दो दिन में चुनाव करा सकता है। फिर मनोनयन की आवश्यकता क्या है? एक तारीख निश्चित कर दे, उस दिन वहां पहुँचे और उस दिन ही चुनाव करा सकता है, इसमें मुश्किल बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो तरीका है इस तरीके का विरोध होना चाहिए।

आज कई जगह इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। मैं दृष्टान्त के तौर पर कहना चाहता हूँ कि बालोतरा में एक सरपंच आ गया पंचायत में उसने किसी तरह दो औरतों को कोऑप्शन में ले लिया और उन दोनों महिलाओं के नाम पंचायत समिति में भेज दिये। बाद में मालूम हुआ कि बहुमत जनसंघ पार्टी का बन गया, तो जिन दो महिलाओं का नाम था उन दो की जगह दूसरी दो महिलाओं का नाम दे दिया। जब

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वोट देने के लिए दूसरी दोनों औरतों का नाम आता है, जब उनको वोट देने के लिए कहते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि तुम्हारा नाम नहीं है। इस तरह की ४२० और षड़यन्त्र जनता के साथ होता है। जो जनता के लोग बहुमत से चुन कर जाते हैं उनको एक दिन जबरदस्ती हटाया जा सकता है। यह जनतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है। इसको दूर करने के लिए यह आवश्यकता हो जाती है, जो बहुत सारे संशोधन आये हैं और अध्यादेश जारी हुए हैं इन पर अच्छी तरह से विचार कर इनकी कमियों को दूर करने के लिए यह आवश्यकता हो जाती है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि बहुत विस्तार से विचार करके इस पर निर्णय हो सके। इन परिस्थितियों के अन्दर मैं प्रस्ताव करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह अहम बिल है और इसका जनता से सम्पर्क है, केवल इसलिए नहीं कि अध्यादेश निकाल रखे हैं, उनको अवधि पूरी हो रही है। मैं समझता हूँ उस अवधि में ही पास करना है इसलिए प्रवर समिति अवधि में रिपोर्ट पेश कर दे। इन बातों पर गम्भीरता से विचार करने के लिए प्रवर समिति में बैठ कर सब तरह से इस पर विचार हो तो अच्छा होगा क्योंकि यह बिल जनता से सम्पर्क रखने वाला है। इसलिए इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय और नेक्स्ट वीक में विचार करके रिपोर्ट पेश की जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मेरा भी संशोधन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन अप्रेल के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के महत्व को देखते हुए और जितना यह व्यापक प्रभाव इस राज्य में रखता है उसको देखते हुए तो यह आवश्यकता है कि इस पर सर्वांगीण, सर्वरूपेण विचार किया जाय। बहुत सी कमियां इसके अन्दर ऐसी हैं। राज्य सरकार ने तो केवल उन्हीं को अनुभव किया है जो केवल उनके पास एक शिकायत के रूप में आई हैं। जो लोग आये हैं उन्होंने शिकायत की है, लेकिन अपने विधान सभाई वर्ग के लोग, जिनका रात–दिन काम जनता के इन प्रतिनिधियों, नये प्रतिनिधि जिनमें सरपंच, प्रधान, प्रमुख वगैरह हैं से पड़ता है और रोजाना मिलना जुलना रहता है उनके अनुभवों को सुनते रहते हैं ; वे ऐसा अनुभव करते हैं कि इसमें जो कुछ भी संशोधन सुझाये गये हैं उनसे भी कहीं अधिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन प्रस्तुत विषय, हमारे सामने विधेयक के संशोधन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज ही और बहुत जल्दी ही केवल जहां कहीं थोड़े सुधार करके इसको स्वीकार नहीं किया जाय, बल्कि कुछ लोग विशेष रूप से बैठें और एक एक धारा पर विचार करें और तब संशोधन करके एक अच्छे रूप में इसे पास करें जिससे अपनी जो विकेन्द्रीकरण की नीति है वह सफल हो सके, उस प्रकार से इसे स्वीकार करें।

छोटी मोटी चीजें जो मैंने इसमें देखी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यह संशोधन जिस वक्त, मैं समझता हूँ, एक्ट में रखा गया है, शायद हमारे बजट का भाषण उस समय तक प्रकाशित नहीं हुआ था

Page No.41

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जिसके द्वारा कमिश्नर के स्थानों को बिल्कुल हटा दिया गया है। इस संशोधित विधेयक में भी कई स्थानों पर सहवरण अथवा प्रमुख के चुनाव के सम्बन्ध में कमिश्नर के या सहायक कमिश्नर के सभापतित्व करने का उल्लेख आज भी मौजूद है। मैं नहीं समझ सका कि एक महीने में, दो महीने में, चार महीने में हमारे कमिश्नर के स्थान, जैसा सोचा जा रहा है, हटा दिये जायेंगे, तो फिर एक संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अब ही उचित समय है कि जब हम इस पर भी विचार कर लें कि जब कमिश्नर नहीं रहेंगे हमारे राज्य के अन्दर उस समय प्रमुख के चुनाव या सहवरण जिला परिषद् के होंगे, उनको कौन अधिकारी सम्पन्न करेगा। इस पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है।

दूसरे, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिली हैं कि उनको इस रूप में स्वीकार न करके यदि परिवर्तित रूप में स्वीकार किया गया तो उपयुक्त होगा। एक सबसे बड़ी चीज जो आम तौर पर अनुभव की गई है वह यह है कि जहां हमारे इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सिद्धान्त यह निश्चित किया गया है कि हमारी छोटी छोटी ईकाई हों वे भी सत्ता सम्पन्न हों, वे भी स्वतंत्र सत्ता के रूप में काम करें, लेकिन जो विधेयक बना पंचायत समिति और जिला परिषद का उसमें ऐसा मालूम होता है कि शायद जिस तरह हम पहले राजाओं को यह मानते थे कि हमारे सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं, आज पंचायत के अधिकार पंचायत समिति ने बहुत कुछ ले लिए हैं। पंचायत समिति यदि चाहे कि किसी भी पंचायत को काम न करने दे तो उनके बजट स्वीकार करना, उनको अधिकार देना पंचायत समिति के हाथ में है कि पंचायत अपने गांव के विकास के लिये कर लगाये। बहुत सी पंचायत समितियों ने इन करों को अपने हाथ में ले लिया है। उन करों को छोड़ कर अतिरिक्त कर पंचायत लगाये तो लगा सकती है। तो इस तरह गांव के विकास का सबसे बड़ा दायित्व है वह पंचायत पर है लेकिन उस पंचायत के साधन सीमित किये जाते हैं और पंचायत के अधिकार आखिर ले लेते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कहीं कहीं दुरुपयोग भी करता है, इस प्रकार की शिकायत भी सुनने को मिलती है। जहां कहीं भी प्रधान का हैड ऑफिस है उसमें खास तौर से जब से किसी सरपंच से प्रधान किसी वजह से यदि असंतुष्ट है तो छोटे छोटे कामों में कमी करना चाहता है और यह नोटिस जारी कर दिया जाता है कि यह काम नहीं कर सकते, पंचायत समिति की बगैर स्वीकृति के तुम नहीं करोगे। इस तरह का इसमें एक प्रावधान किया गया है, एक क्लॉज़ रखा है ४० के अन्दर :

"यदि राज्य सरकार की राय में, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप प्रधान राज्य सरकार की उक्त पंचायत समिति के समुचित रूप में कार्य करने सम्बन्धी आज्ञाओं का जान बूझ कर पालन नहीं करे या पालन करने से इन्कार करे या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करे या वह अपने कर्त्तव्य पालन में दुराचरण का दोषी पाया जाये, तो राज्य सरकार उक्त प्रधान या उप प्रधान, जो भी हो, को स्पष्टीकरण हेतु एक यथोचित अवसर देने के पश्चात् तथा उक्त मामले में जिला

(श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी)

परिषद् से परामर्श करने तथा उसकी सम्मति पर यदि वह ऐसे परामर्श के लिये प्रेषित पत्र को भेजे जाने की तारीख से ३० दिन के भीतर प्राप्त हो जाय, विचार करने के पश्चात्, ऐसे प्रधान या उपप्रधान, जो भी हो, को उसके पद से आज्ञा द्वारा हटा सकेगी।"

मैं समझता हूँ, इसको कुछ अधिक स्पष्ट किया जाय कि वह एक दफा शक्ति का दुरुपयोग करे, जो हमारी पंचायत है उस पंचायत के सरपंच या पंचायत ठीक तरह से नियमानुसार काम करती है, उसमें दिक्कत करता है, तो इस पर विचार किया जाना जरूरी है। इस तरह से इसमें एक जो आया क्लॉज़ ११ (ख) के अन्दर :

"शब्दों 'नहीं रहेगा' के स्थान पर शब्द 'बने रहने के योग्य नहीं रहेगा" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ...."

मैं समझता हूँ, यह थोड़ा सा शब्दों का फेर है, आशय दोनों का एक है। नहीं रहेगा, नहीं बना रहेगा, बने रहने योग्य नहीं रहेगा, ये सब एक ही हैं। इसमें 'नहीं रहेगा' के स्थान पर 'बने रहने के योग्य नहीं रहेगा' रखा है। इसके आगे है :

"जिला परिषद् द्वारा तत्प्रयोजनार्थ तीन बार मनोनीत किया जा चुकने पर भी निर्धारित पाठ–चर्या (कोर्स ऑफ स्टेडी) के लिये अध्ययन केन्द्र में उपस्थित होने में विफल रहता है, या।"

यह जो कुछ चीज है, वह मैं समझ नहीं सका कि इसका कानून के अन्दर वैधानिक रूप क्या हो सकता है। जो जनता की राय से चुन कर कोई सरपंच या पंच आता है उसके लिए और जो अयोग्यताएं हैं उनको छोड़ कर इस तरह की पाठ-चर्या में उपस्थित होने में विफल रहता है, –इस तरह की अनर्हता लागू जायगी तो कोई जाने में असफल रहेगा और इस तरह से जिसको जनता ने चुन कर भेजा है वह अपने प्रतिनिधि की योग्यता, ईमानदारी, कार्य–क्षमता इत्यादि गुणों से प्रभावित होकर ही भेजती है तो जिला परिषद् आदेश के अनुसार किसी प्रकार पाठ-चर्या में शामिल नहीं होता है तो उसको अयोग्य ठहरा दिया जाय। मैं समझता हूँ कि वैधानिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता, इस पर विचार करना जरूरी है।

इसमें जो एक मुख्य और कमी मालूम हुई वह यह है। यद्यपि आपके नियम ऐसे बने हुए हैं पंचायत समिति के प्रधान के अलावा कोई एक से अधिक स्थाई समिति का प्रधान नहीं हो सकता, पंचायत समिति का प्रधान है वह दो स्थाई समितियों से ज्यादा का अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसका आशय यह है कि प्रधान स्थाई समितियों का अध्यक्ष भी हो सकता है, पर दो से ज्यादा का अध्यक्ष न हो। लेकिन इसमें यह अधिकार है कि कोई भी प्रधान दो से ज्यादा स्थाई समितियों का अध्यक्ष हो गया और पंचायत समिति का एक सदस्य दो से ज्यादा स्थाई समितियों का अध्यक्ष या सदस्य बन जाता है तो इसका निवारण किस प्रकार से हो? इसमें मुझे बतलाया गया है कि राजस्थान सरकार के हाथ में इस कानून के बनने के बाद कुछ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। किसी को शिकायत हो तो वह याचिका करे, इलेक्शन पिटीशन करे। मैं समझता हूँ,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

यह हमारी पंचायतों की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त नहीं होगा। इलेक्शन पिटीशन, याचिका कोई साधारण चीज नहीं है। खाली अर्जी लिख कर दे दें, यही बात नहीं, वहां रुपया जमा कराना पड़ता है, वकील भी करना पड़ेगा, और भी चीजें आती हैं तो लोग ज्यादा उत्साहित हों ऐसा करने को, ऐसी सम्भावना नहीं है। जब आपके स्पष्ट नियम हैं, कानून हैं तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार अपने किसी अधिकारी को, कलेक्टर को या और किसी अधिकारी को इस प्रकार का अधिकार दे देती जब कि आपके कानून और नियमों के विरुद्ध जा रहे हों? मुझे तो पता चला है कि एक पंचायत समिति का प्रधान छः, सात स्थायी समितियां होतीं हैं उनका प्रधान बन जाता है। उसके खिलाफ कौन इलेक्शन पिटीशन करने जायेगा?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अब तो एक का ही रखा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: बन रहे हैं। भरतपुर में एक तहसील से यहां मामला आया। इसके लिए बताया गया कि सिवाय इलेक्शन पिटीशन के और कोई चारा नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आपके बनाये हुए कानून को तोड़े उसके लिये कोई दूसरा इलेक्शन पिटीशन में जाय तो यह अधिक उपयुक्त और न्याय-संगत नहीं है।

अनुपस्थित रहने पर भी जिनको हटाने का प्रावधान है उसको भी अधिक लिबरल बनाना चाहिये और खास तौर से इस दृष्टि से, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह दुर्भाग्य है कि चुनाव गुट्ट और पार्टियों के आधार पर होते हैं, पूरी तरह से दलों की घोषणा हो जाने के बावजूद भी कि हम हमारी ग्राम पंचायतों को, हमारी इन पंचायतों को दल के दलदल से दूर रखेंगे, वहां इनसे चुनाव दलबन्दी के आधार पर होते हैं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): कांग्रेस ही पहल करती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: सभी करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: We have denounced that proposition with a resolution of Jan Sangh आपने अमल रूप में भी किया है। अभी डिनाउन्स किया है.....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: जितने साधन आपके थे उतना आपने भी किया है। तो इस प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिये इसको ज्यादा रिजिड नहीं बनाया जाय तो अच्छा होगा।

अब तक की चीजों को देखते हुये सहवरण के बारे में प्रश्न उठाये जाते हैं। सहवरण प्रशासनिक अनुभव के ऊपर किया गया है, वह अच्छा प्रावधान न होकर हानिकारक सिद्ध हुआ है.......

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि बिल के स्कोप के बाहर

Page No.44

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बहस करने से सदन का वक्त व्यर्थ जाया होगा। सहवरण का प्रशासनिक सदस्य हो, इसका इस बिल में कहीं डेस्क्रिप्शन नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्ट में है, इस बिल में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : सहवरण है इसमें।

श्री दामोदरलाल व्यास : ग्राम-दान का है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स वाले के सहवरण का नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : कुछ भी हो, सहवरण तो है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सहवरण का दुरुपयोग हुआ है। प्रशासनिक अनुभव के नाम पर जिन लोगों का सहवरण किया गया है वे ऐसे लोग भी हैं जो निरक्षर हैं, पुलिस की दफा १० कहलाती है वह दफा क्या है, वकील साहबान बतावें, उसमें किसका नाम है? वे लोग प्रशासन के अनुभव के आधार पर आ जाते हैं। जब अच्छी चीज करते जा रहे हैं तो अच्छी चीज लावें, तो सहवरण का भी सुधार इसमें होना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : As a member I can draw the attention of the Hon'ble Dy. Speaker as well as the member concerned. He is free to speak on Sahavaran, (Co-option). Yon can look it up in clause 5, sub-part (b) making amendment in sub-section (2) of the Section 8 of Rajasthan Act Section 8 of Rajasthan Act deals with composition of the Panchayat Samitis that, however, the Panchayat Samitis consist of so and so, so and so, and, therefore, in sub-section [2] it has been given that the following persons should be co-opted in the prescribed manner. So there is the manner. And the following persons shall be persons of administrative experience, Scheduled Castes, Women and everybody come.

श्री दामोदरलाल व्यास : Can you amend the law relating to co-option by this amendment? Can you amend that clause?

श्री पी० के० चौधरी : The discussion will not be confined when we are amending a Section.

श्री उपाध्यक्ष : We will proceed with the debate, Mr Chaudhary.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सहवरण के प्रसंग में इसलिये कहा है कि सहवरण का इसमें उल्लेख आया है; तो कम से कम इस प्रकार के सुझाव हैं, सहवरण से प्रभावित होते हैं, सहवृत व्यक्ति हैं वे प्रधान और प्रमुख भी बनते हैं। ६०, ७० फी सदी अधिकतर चुने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हुए व्यक्तियों में से प्रधान नहीं हुए हैं, सहवृत व्यक्ति ही प्रधान बने हैं, वकील, डॉक्टर वगैरह शहरों में रहते हुए सहवरण के आधार पर प्रशासन में आते हैं और प्रमुख बन जाते हैं। तो जो हमारा उद्देश्य है ग्रामीण जनता के हाथ में शासन देने का कार्य वह पूरा नहीं होता। हम ग्रामीण जनता के हाथों में शासन देना चाहते हैं, वे गलती भी करते हैं तो सीखेंगे, पर हमारे तथाकथित शिक्षित् व्यक्ति उन पर शासन करते हैं और उनमें भावना पैदा करते हैं ग्रामों के लोगों में भाई-चारे की भावना पैदा करनी चाहिये। पहले जहां पांच पंच वहां परमेश्वर की भावना पैदा होती थी और हमारे पूर्वज कहते आये हैं कि जहां पांच पंच वहां परमेश्वर होता है; वहां आजकल कानून को बातें पैदा कर देते हैं और वे इस बात को भुला कर कि पांच पंच जहां परमेश्वर है इस प्रकार की भावना लोगों में पैदा करने की चेष्टा करनी चाहिये, तो इससे सहवरण पर भी सुधार होना चाहिये।

(१.०० म० प०)

इसमें कृषि निपुण का सवाल आता है। इसमें यह बताया गया है कि जिला परिषद् से ही कृषि निपुण का चुनाव किया जायेगा और जिला परिषद् ही इसका तस्फिया करेगी। मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी इस पर काफी चर्चा हुई थी और मुझे जहां तक स्मरण है कृषि विभाग के एक्सपर्ट से इसका तस्फिया कराया जाता तो ज्यादा अच्छा होने की बात कही गई थी। मैं समझता हूँ कि २०, २५ या ३० आदमी जो जिला परिषद् में बैठनेवाले होते हैं वे ग्रामीण जनता में से ही आते हैं और जो प्रधान चुन कर आता है वह भी उन्हीं लोगों में से होता है। वास्तव में देखा जाए तो कृषि निपुण वह है जो अच्छी खेती करता है और दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छा नाज पैदा करता है। जो लोग जिला परिषद् में आवेंगे वे ग्रामीणों में से ही होंगे और अगर वे अपनी राय से किसी कृषि निपुण को तय करेंगे तो मैं यह निश्चित तौर से कहूँगा कि कृषि निपुण का सही चुनाव नहीं होगा। वहां पर ज्यादा सहवरण लोग ही आते हैं। इसके अलावा गावों में अधिकतर वे ही लोग होते हैं जो खेती करते हैं। अधिकतर उन्हीं लोगों को इसमें लिया जाना चाहिये जिनको खेती के मामलों में बहुत अच्छा ज्ञान हो, अनुभव हो और जिन्होंने अपने खेतों में व खेती में बहुत सुधार किये हों और खाद में भी सुधार किये हों। अगर एक किसान ५ मण प्रति बीघा पैदा करता है, तो वह १० मन प्रति बीघा पैदा करता है ऐसे आदमी जो अच्छी फसल पैदा करते हों और कृषि के कार्य में बहुत होशियार हों, उनको कृषि पंडित की उपाधि दी जाती है। ऐसा अधिकारी जो ब्लॉक में हो, वह यह कह दे कि फलां किसान ने एक बीघा में इतना गेहूँ पैदा किया है जिसको तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा समझा जाता है उसको कृषि निपुण रखा जाना चाहिये। मगर आपके इस कानून से जिला परिषद् के सामने जब पांच नाम चुन कर आते हैं तो उन्हीं नामों में से जिला परिषद् को किसी एक को कृषि निपुण चुनना होगा। मैं कहूँगा कि यह उपयुक्त नहीं हो सकता। पंचायत समितियें काफी युनिट्स में हो रही हैं। उनमें काम होना चाहिये। पहले कृषि के लिये लोगों ने निवेदन किया कि पंचायत समितियों में दो प्रतिशत को-

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ऑप्शन नहीं होना चाहिये और उसके बाद कोऑप्शन की व्यवस्था को समाप्त किया और अमेन्डमेंट लाया गया कि कृषि निपुण का कोऑप्शन नहीं होगा। अब यह अमेन्डमेंट लाया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे जो दिक्कत आप दूर करना चाहते हैं वह दूर नहीं होने वाली है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जिला परिषद् उनकी नियुक्ति करे; यह युक्तियुक्त नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इसको प्रवर समिति के पास भेजा जावेगा तो वह इस बात पर अच्छी तरह से विचार कर सकेगी।

मैं यह कहूँगा कि इसमें जल्दी नहीं करके यदि १०–१५ दिन बाद में ठंडे दिल से विचार करेंगे तो अच्छा होगा। इसलिये मैं यह सिफारिश करता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे। मुझे आशा है कि हमारे प्रभारी मंत्री इस भावना से इसको स्वीकृत करेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर यह प्रस्ताव रखा है कि इसको तीन दिन के लिए प्रवर समिति में भेज दिया जावे। चूंकि ऑर्डिनेन्स पास हो चुका है इसलिये इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये। २ अक्टूबर को हमारा पंचायत राज्य कायम हुआ था, उसके बाद आज १॥ वर्ष का समय गुजरा, क्या क्या अनुभव हुआ और क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आईं, उनको देखते हुए यह अमेन्डमेंट इस बिल में किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ अमेन्डमेंट यहां पर लाये हैं उससे पहले जो कम्पलीकेसीज हुई उनसे कम नहीं, और ज्यादा बढ़ेंगी। हम गत अनुभवों को देखना चाहते हैं। सबसे पहले हमने जो अनुभव किया वह यह कि हम फॉर्म पर ज्यादा जोर देते हैं और फॉर्म पर ज्यादा वक्त दिया है। सारी पब्लिक और लोगों का इलेक्शन और बोर्ड आदि में फॉर्म पर ज्यादा ध्यान दिया। हम देखते हैं कि जितना कार्य तेजी से पिछले ६ माह में होना चाहिये, नहीं हो रहे हैं। इसलिये इस अधिनियम द्वारा इसमें शक्ति लाई जावे और जो रुकावटें हों उनको दूर किया जाने के लिये यह है। मगर जो स्थिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह ठीक नहीं होगी।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि नई पंचायत समिति के सदस्यों में हमने पंचों आदि की संख्या बढ़ा दी है और इससे काफी पंचों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले जहां पर १०–१५ थे वहां पर अब २५–३० हो गये हैं। इसलिये अब सदस्यों की संख्या इस तरह से अधिक नहीं बढ़ाई जावे। यह मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि पहले ही संख्या अधिक होने से वहां खर्चा बढ़ गया है और इस तरह से सदस्यों को और बढ़ाने से और ज्यादा खर्चा बढ़ जावेगा। पहले कृषि निपुण के लिये लोगों ने निवेदन किया कि पंचायत समितियों में दो प्रतिशत कोऑप्शन नहीं होना चाहिये और उसके बाद में वह जो कोऑप्शन की व्यवस्था थी वह समाप्त की और उसके लिये अमेंडमेंट लाया गया कि कृषि निपुण का कोऑप्शन नहीं होगा। अब यह अमेंडमेंट लाया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे आपकी दिक्कत

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सोचा नहीं होने वाली है। कृषि निपुण को जिला परिषद् कभी नियुक्त नहीं करेगी। कृषि निपुण का चुनाव प्रति वर्ष होगा और अच्छे लोगों को चुनेंगे। अगर वह कृषि निपुण बराबर अच्छी तरह से काम करता रहा तो वह दूसरे साल भी चुन कर आ जायगा और चलता रहेगा और ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से किसी प्रकार से कृषि निपुण को बढ़ाना ठीक नहीं होगा। इसलिये यह कृषि निपुण का जो प्रावधान रखा गया है वह समाप्त होना चाहिये, क्योंकि यहां तो पहले ही बहुत ज्यादा लोग आये हुए हैं।

इसके बाद कृषि के लिये जो स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं उसमें कृषि निपुण आ जाता है। मेरा मत है कि इसके बाद इसका रहना उचित नहीं होगा।

दूसरी व्यवस्था ग्रामदान के बारे में है। मेरे ख्याल से ग्रामदान को इसमें नहीं लेना चाहिये। ग्रामदान की संख्या भी होगी तो कितनी होगी? मैं यह कहूँगा कि ग्रामदान को राजनीति से और चुनावों के संघर्ष से दूर रखना है, क्योंकि उनकी दुनिया ही अलग है। उनको इस पचड़े में नहीं डालना चाहिये। इस पचड़े में उनको डालना ठीक भी नहीं होगा। इसके अलावा हमने कोई अलग व्यवस्था नहीं की है कि जहां ग्रामदान है और ग्राम सभा है वहां के प्रेसीडेन्ट हैं उनका क्या आउट स्टेन्डिंग होगा। वहां पर भी सरपंच आ जाता है। उस क्षेत्र को डबल रिप्रेज़ेन्टेशन देना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा संत विनोबा भावेजी ने ग्रामदान के सदस्यों के लिये कहा है कि ग्रामदान वालों को जनता की सेवा करनी है व सुधार करना है। इस पचड़े में उनको नहीं फंसाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : उनके कहने का सवाल ही कहां पैदा होता है? It is a hypothetical issue.

श्री सोहनलाल भटनागर : उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : Let us be convinced with some evidence if you have to prove...

श्री सोहनलाल भटनागर : यह सही है कि हमारे पंचायत राज्य को हमें सफल बनाना है। इसके लिये पंच लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिये और इसके लिये सरकार ने उनके लिये ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की व्यवस्था की है और उनको ट्रेनिंग में जाने के लिये पर्सुएड किया है, लेकिन उसमें फैल हुए हैं। कई सदस्यों को जब ट्रेनिंग के लिये जाने के लिये कहते हैं तो जाते नहीं। इसका विश्लेषण करना चाहिये कि वे क्यों नहीं जाते। आखिर क्या बात है? या तो ट्रेनिंग खराब है या उनको वहां जाकर अध्ययन करने के लिये ज्यादा सामग्री नहीं मिल सकती हो, इसलिये नहीं जाते हों। यदि इसमें यह रखा जावेगा कि जो ट्रेनिंग में नहीं जावेगा तो उसको डिस्क्वालिफाइड समझा जावेगा, मैं समझता हूँ कि यह रखना उनके लिये ठीक नहीं होगा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ कि बिना ट्रेनिंग के काम कर सकते हैं। जब ट्रेनिंग के बिना काम किया जा सकता है तो फिर ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है? ट्रेनिंग तो

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सिर्फ किसी व्यक्ति को पॉलिश कर सकती है, बना नहीं सकती। आज हमारे देश में कई अनपढ़ हैं और पंचायत राज्य में उनका बहुत बड़ा सम्मान है, गौरव है और वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। उनके किये हुए फैसले आदरणीय माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहते, मगर कानून में इस प्रकार का जब प्रोविज़न आप करेंगे तो उनके लिये बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये इस प्रकार के प्रोविज़न को रखना, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४० है पर्फोर्मेन्सेज़ ऑफ ड्यूटीज़ के लिए। क्लॉज़ २० में लिखा है कि पॉवर्स डेलिगेटेड टू सरपंच एन्ड उप–सरपंच, उसमें डिफॉल्ट करता है, ड्यूटी नहीं करता है तो हटा दिया जावेगा और उसकी जगह मेम्बर भिजवा दिया जायगा। एक्स ऑफिशियो, उपाध्यक्ष महोदय, मेजोरिटी मेम्बर्स की होती है। पंचायतों के सरपंच वगैरह आते हैं और अगर वे अपनी ड्यूटी को पर्फोर्म नहीं करते हैं तो एक्ट के माफिक उसके लिए प्रावधान है। वह पंचायत का तो सरपंच रह सकता है और पंचायत समिति का सदस्य नहीं रह सकता है, तो इसमें एक एनोमोली रहेगी। स्टेन्डिंग कमेटी के चेयरमैन को तो पॉवर होता है और ऑर्डिनरी मेम्बर को एग्जीक्युटिव के पॉवर नहीं होते हैं। एक्स ऑफिशियो है तो उसके लिए पंचायत एक्ट में सेपरेट व्यवस्था है, इसलिए यहां पर यह रिडेन्डेन्ट है और प्रेक्टिकेबल नहीं है।

एक दूसरी बात रखी गई है ६६ ए० जोड़ने की। इसमें यह जोड़ा जा रहा है कि जिला परिषद् और पंचायत समिति काम न करे तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह उनको डाइरेक्शन दे और उसके बाद भी नहीं करते हैं तो स्टेट एक्सपेन्सेज़ पर कराये और जो भी खर्चा होगा वह पंचायत समिति और जिला परिषद् से लिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में विकेन्द्रीकरण किया और पंचायत राज्य की ओर कदम बढ़ाया, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में किस प्रकार से कार्य होते हैं, इस संशोधन के द्वारा कलेक्टर्स के पॉवर्स को बढ़ाया जा रहा है और उनके अंकुश को पंचायत समिति और जिला परिषद् के ऊपर जोरदार बनाया जा रहा है। यदि यह संशोधन यकायक यों पास कर दिया गया तो कलेक्टर जिला परिषद् और पंचायत समिति से अधिक ऊंचा है और वे जिला परिषद् और पंचायत समितियां उसकी मातहत हैं। प्रजातन्त्र का जब विकेन्द्रीकरण किया गया है तो हमारी भावना यह हो कि कलेक्टर एक एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी की तरह ही काम करें, न कि उनके ऊपर ऊंचे अफसर की तरह। जिला परिषद् और पंचायत समिति काम नहीं करती हैं, डिफॉल्ट करती हैं उनके उन मसलों को न कि कलेक्टर के पास भेजा जाय; बल्कि उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाय। स्टेट गवर्नमेंट उनमें ऑर्डर दे दे तो कोई वैसी बात नहीं। लेकिन कलेक्टर के लिए इस प्रकार की पॉवर बढ़ाई गई तो फिर यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र का एक मखौल होगा। जहां प्रजातन्त्र के विकास के लिए शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है उसमें यदि इस प्रकार के अधिकार कलेक्टर को दिये जाते हैं तो यह विकेन्द्रीकरण का, प्रजातन्त्र का मखौल होगा और मैं इसका जोरदार

(श्री सोहनलाल भटनागर)

शब्दों में विरोध करता हूँ। इसलिए कलेक्टर के जो अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं और उसका अंकुश जिला-परिषद् और पंचायत समिति के ऊपर बढ़ाया जा रहा है, वह उपयुक्त नहीं है।

क्लॉज़ २१ और जोड़ कर कॉम्प्लीकेशन्स पैदा किये जा रहे हैं और राजस्थान में झगड़े की बातें की जावेंगी। स्टेन्डिंग कमेटीज़ को अलग अलग क्षेत्रों के लिए अधिकार थे, वे डिसीज़न्स ले सकती थीं, उनको एक्ज़ीक्यूट कर सकती थीं और उनका रिविज़न नहीं होता था। हमने पंचायत के चुनावों में देखा कि आपस में काफी झगड़े हैं, द्वेष है, दलबन्दी है। स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव होंगे तो उससे और भी झगड़े होंगे। स्टेन्डिंग कमेटी का निर्णय पंचायत समिति बदल देगी तो उनके लिए कार्य करने को कुछ नहीं रहेगा। मान लीजिये कि स्टेन्डिंग कमेटी ने १५० की किसी को तकावी मन्जूर कर दी, उस पंचायत समिति में विरोधी दल है, आपस में इससे झगड़े पैदा होंगे, प्रधान नहीं चाहता कि उसका असर कम हो और वह चाहेगा कि उस तकावी में कमी कर दी जाय, १५० स्टेन्डिंग कमेटी ने मन्जूर किये हैं तो उसको ५० कर दें या १०० कर दे, प्रधान चाहेगा कि उसका रिविज़न कर दिया जाय। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि यह प्रोविज़न नहीं रखना चाहिये। मैं मानता हूँ कि स्टेन्डिंग कमेटी में और पंचायत समिति में कोऑर्डिनेशन होना चाहिये, लेकिन यदि गड़बड़ी हो रही है तो कौन्सिल जैसी चीज़ पैदा करें लेकिन रिविज़न के पॉवर्स इन्ट्रोड्यूस करेंगे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपस में झगड़े बढ़ेंगे और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन किसी प्रकार से नहीं रहने वाला है।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा। जब कि पंचायत अधिनियम चल रहा था मैंने निवेदन किया था कि पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनका यदि विश्लेषण किया जाय तो हम देखेंगे कि जनता का काफी खर्चा हुआ है, सरकार का भी काफी खर्चा हुआ है और वह खर्चा अब पंचायतों के लिए किया गया था, पंचायतों से वसूल किया जा रहा है। इसकी टर्म तीन वर्ष के लिए रखी गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि साल, डेढ़ साल तो लगभग लड़ने-झगड़ने में ही निकल जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि खर्चा कम हो, काम अधिक हो और उनमें स्थायित्व आये इस दृष्टि से तीन साल के बजाय इसकी मियाद पांच साल कर दी जाय और इसको कर देने से स्थायित्व भी रहेगा और खर्चा भी कम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो सुझाव मैंने प्रस्तुत किये हैं उनको मान लिया जाता है तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो विथड्रॉ करना पड़ेगा।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडिंग बिल हमारे सामने है वह ४६ क्लॉजेज़ का बिल है और टाइम शिड्यूल है कि तीनों रीडिंग इसके आज ही करने हैं। It is as good as a Bill.

Page No.50

(श्री पी० के० चौधरी)

ऑरिजिनल बिल जैसा ही है। ४६ क्लॉजेज़ का अमेन्डिग बिल है। मैं समझता हूँ कि इस बिल को एक दिन में पारित करेंगे तो it will be doing injustice to this House and injustice the to subject matter of this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को मैंने देखा। इसमें जो अमेन्डमेंट्स लागू किये गये हैं पंचायत समितियां और जिला परिषदों में, ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स, प्रि-इलेक्शन डेज़ का जो एक्सपीरियेन्स था उस पर लाये गये हैं। ड्युरिंग इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन के जो अनुभव हुए हैं डीमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के बारे में, उनका समावेश इसमें नहीं है। जो अमेंडमेन्ट्स लाये हैं प्रिइलेक्शन डेज़ के हैं। प्रिइलेक्शन के माने यह हैं कि पंचायतों के इलेक्शन्स हुए उससे पहले जो अनुभव हुए हैं उनको शामिल करने की कोशिश की गई है।

मैंने सिलेक्ट कमेटी के लिए मूव किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सिलेक्ट कमेटी देखकर इस बिल को कॉम्प्रीहेन्सिव बना सके। चुनावों से पहले जो चीज ठीक लगती थी, जो अमेंडमेंट सरकार ने ऑर्डिनेन्स से पास किया था, उसको प्रिन्सिपल एक्ट में शामिल करना चाहिये। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आगे जाकर बदलेंगे। मेरा सुझाव इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का है।

एक बात जो कि चुनाव के सिलसिले में हमें एक्सपीरियन्स हुआ है, उस बात के लिये प्रावधान रखा है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का जो रिप्रेज़ेन्टेशन है, उसको बढ़ाने का। जहां पर पहले एक का प्रावधान था वहां पर दो कर दिया गया है जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का एक सदस्य होता था वह दो कर दिये गये यह हमने एनहेन्समेंट ऑफ रिप्रेजेन्टेशन किया है। यहां राज्य में साढ़े सात हजार पंचायतों के चुनाव हुए, २३२ पंचायत समितियों के चुनाव हुये हैं, इसमें शिड्यूल्ड कास्ट के सरपंच और प्रधानों का हिसाब लगालें तो हम देखेंगे कि राजस्थान में जहां १७ पर्सेन्ट पोपूलेशन शिड्यूल्ड कास्टस की है उतनी ही शायद शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की भी है वहां पंचायतों के चुनावों में मुश्किल से एक पर्सेन्ट सरपंच शिड्यूल्ड कास्ट से आये होंगे। हमारे जयपुर में लगभग ६०० पंचायतें हैं जिनमें से केवल दो सरपंच शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। इसी प्रकार पंचायत समितियों के अन्दर जो सरपंच बनकर आते हैं इनमें दो का प्रावधान कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम एनहेन्समेंट ऑफ रिप्रेजेन्टेशन करने जा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि आया इसका कोऑप्शन ही एक तरीका है जिससे हम इन कॉम्युनीटिज़ को रिप्रेजेन्टेशन दे सकते हैं। चन्द महीनों पहले यहां पर महाराष्ट्र को प्राक्कलन समिति के सदस्य आये थे, उनसे बातचीत करने का मौका मुझे भी मिला था। उन्होंने कहा कि हमारे वहां पर पंचायतों के पंचों का जो इलाका होता है वहां हम रिज़र्व कर देते हैं कास्टस के हिसाब से; कोऑप्शन के द्वारा हम महिलाओं को लेते हैं क्योंकि महिला वर्ग ऐसा है जो पर्दानशीन रहता है, कमजोर है, चुनाव में भाग ले नहीं सकता और उसी तरह का हमने हरिजनों को भी माना है। इसीलिये हमने उसको कोऑप्शन का तरीका

(श्री पी० के० चौधरी)

रखा है पहले नोमीनेटेड हुआ करते थे उसकी जगह कोऑप्शन से लेना तय किया। लेकिन जहां तक इलेक्टेड मेम्बर्स का स्ट्रक्चर है और कोऑप्टेड मेम्बर्स का स्ट्रक्चर है उसमें फर्क रहता है उसमें एक प्रकार से इनफीरियरीटी कॉम्पलेक्स फील होती है। कोऑप्शन से आने वाला हमेशा यह महसूस करता है I will feel an inferiority complex before an elected member of the same House जहां हम एनहैन्समेंट ऑफ रिप्रेजेन्टेशन करते हैं वहां हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। पिछले चुनावों में हमने देखा है जिस कॉम्युनीटी की पोपूलेशन राजस्थान में सत्रह प्रतिशत है, यह नहीं कि यह सब जगह बिखरी हुई है बल्कि कई जगहों पर कन्सन्ट्रेटेड पोपूलेशन है। आया हम इस प्रकार का तरीका नही कर सकते जिससे कि ये १७ पर्सेन्ट पोपूलेशन है उसमें से पांच या दस व्यक्ति भी इलेक्शन से आ सके। जो तरीका दूसरे प्रान्तों में है वह भी हम क्यों नहीं ले सकते? जिस प्रकार का रिज़र्वेशन है जैसा कि असेम्बली के लिये है उसी प्रकार का यहां भी क्यों नहीं कर दिया जाता? इनके लिये वार्डस रिज़र्व कर दें ताकि वे चुनाव लड़कर आ सके और इस तरह से चुनाव लड़कर आयेंगे तो उनमें एक प्रकार का स्वाभिमान होगा, वे अपने आप में इन्फीरियोरिटी कॉम्पलेक्स का अनुभव नही करेंगे। आउट ऑफ वे जाकर के कोऑप्शन दें और उससे दो-चार सीटें आती हैं उससे कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। बाई वर्च्यु ऑफ देअर नम्बर्स वे ज्यादा सीटें प्राप्त कर सकेंगे।

मैंने जो मोशन रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमिटी के सुपुर्द किया जाय वह इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही रखा है। यह जो बिल ड्राफ्ट किया गया है वह प्री-इलेक्शन के अनुभव के आधार पर किया गया है। इलेक्शन के दरमियान या इलेक्शन के बाद जो जो अनुभव हुए हैं उसका समावेश यहां नहीं हो पाया है हो सकता है किसी प्रकार का अमेंडमेंट करने से वह पूरा हो सके तो बहुत ठीक रहेगा।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, रिमूवल ऑफ मेम्बर्स के लिये क्लॉज २० में प्रावधान किया गया है। ओरीजिनल एक्ट में प्रधान और उपप्रधान के लिये था कि यदि वे सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं, अपनी ड्यूटी बराबर नहीं करते हैं तो उनको हटाने के स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिये थे। लेकिन अब जाकर इसमें मेम्बर्स को भी हटाने का प्रावधान कर रहे हैं, सरकारी आज्ञा की अवहेलना करने पर उनके ऑर्डर्स केरी आउट न करने पर या कामों में रुकावट डालने पर या मेम्बर्स द्वारा अपने अधिकारों का मिस यूज़ करने पर मेम्बर्स को हटाया भी जा सकता है। मैं समझता हूं, यह जो अमेंडमेंट है, it is the negation of democracy. It is an elected body. It is a forum of the representatives. यहां पर जो मेम्बर्स हैं उसमें उनके पास एक्ज़ीक्युटिव पॉवर्स नहीं हैं। आज कोई यह कहे कि इस सदन के मेम्बर्स सरकारी आज्ञा को केरी आउट नहीं करते तो क्या उनको मेम्बरशिप से हटाया जा सकता है? जहां तक पंचायत समितियों का सवाल है वहां पर तो हमेशा दो पार्टीज रहेंगी, there will be some position of the Pradhan... प्रधान रहेगा वह ट्रेज़री बेन्चेज़ की माफिक

(श्री पी० के० चौधरी)

होगा और दूसरे जो लोग होंगे वे अपोजीशन की तरह से होंगे। अब सरकार की आज्ञा की अवहेलना हुई है और उस कारण पर पंचायत समिति के मेम्बर को हटा देते हैं तो वह डेमोक्रेसी नहीं, It will be the democracy of Ayub यह तो अयूब की डेमोक्रेसी बन जायगी। मैं समझता हूँ और इसका मैं सख्त विरोधी हूँ, कम से कम मेम्बर्स को सरकारी आज्ञा की अवहेलना पर हटा देने का, unless it is a moral turpitude जहां तक प्रधान या उप-प्रधान का सवाल है, वह यदि आज्ञा का उल्लघंन करता है या किसी प्रकार की ड्यूटी से अपने आपको अलग रखता है तो उसके लिये तो यह ठीक है, लेकिन मेम्बर को जो अधिकार है अगर उसको हटा देंगे तो यह उस पर स्टीम रोलिंग हो गया। यह जो प्रोवीज़न रखा गया है बहुत ही अदूरदर्शिता-पूर्ण है, अनफोर्सीइटेड है, लेक ऑफ विज़न का परिचायक है।

दूसरी बात यह भी है इसमें जो स्टैंडिंग कमिटी का प्रावधान रखा है उसमें यह है कि स्टैंडिंग कमिटी के जो आदेश हैं, निर्णय हैं उसमें पंचायत समिति टू थर्ड की मेजोरिटी से रिवाइज़ कर सकती है। एक माननीय सदस्य ने जो सलूम्बर से आये हैं उन्होंने कहा है वह मैं मानता हूँ, गलत है। वे कहते हैं कि इस प्रकार के आदेश रिवाइज़ होने से झगड़े होंगे। मैं उल्टा उनसे कहना चाहता हूँ कि स्टैंडिंग कमिटी द्वारा जो निर्णय होते हैं उनके बारे में पंचायत समिति में बैठकर कुछ निर्णय लिया जाता है वह आम तौर पर राइट और करेक्ट निर्णय होगा। लेकिन जो स्टैंडिंग कमिटी के निर्णय हैं उसमें से ७० से ८० प्रतिशत डिसीज़न्स जो होते हैं वे तो पार्टी स्पिरिट से भरे होते हैं। इस प्रकार से स्टैंडिंग कमिटी के डिसीज़न्स नलीफाई करने का प्रावधान टू थर्ड मेजोरिटी से हम रखते हैं, तो वह गलत होगा। स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं उनमें प्रधान जो मेजोरिटी ग्रुप का होता है उसी के सारे सदस्य होते हैं और जो अदर इन्टरेस्ट्स हैं उनको स्टैंडिंग कमिटी में रिप्रेजेन्टेशन मिलता नहीं, उसको चेलेन्ज कर दें; Because people are aggriedev वे लोग जो स्टैंडिंग कमिटी में नहीं थे इसलिये नहीं थे कि They were in the minority अगर उनके अनजस्ट डिसीज़न्स को मेजोरिटी से कन्विन्स करवा कर बदल सकते हैं तो उसमें टू थर्ड मेजोरिटी अवश्य होगी। मैं समझता हूँ, इस प्रकार के अमेंडमेंट को लाने की जरूरत नहीं। अगर लाना ही है तो मेरी राय है उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस स्टैंडिंग कमिटी को और सब पॉवर्स दिये जाय फाइनेन्शियल पॉवर्स न हों।

किसी काम को एग्जीक्यूट कराने की पॉवर देने में हर्ज नहीं, वह दे देनी चाहिये। पर उसकी फाइनेन्शियल सैंक्शन के पॉवर्स नहीं देने चाहिये, ये तो पंचायत समिति के पास ही रखने चाहिये। It is a negation of the object for which you want to bring it.

तो इस प्रकार की और कई बातें हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। यह सही है कि ये सारे के सारे अमेन्डमेन्ट्स चुनाव से पहले बहुत हेस्टीली किये गये और Ordinances are brought out at top haste. मेच्योर कन्सीडरेशन को देखकर पास करते तो ज्यादा अच्छा होता। हम जो भी

(श्री पी० के० चौधरी)

डीसेन्ट्रलाइज़ेशन में चेन्जेज़ लावेंगे उसका असर हिन्दुस्तान में होगा, क्योंकि हमारा यह एक्सपेरीमैन्ट सब देख रहे हैं और जो हम यहां करेंगे उसी को वे लोग भी लेंगे।

आगे क्लॉज़ २८ लाये हैं। इसमें कलेक्टर को पॉवर्स दे रहे हैं। We are giving power to the Collector for over-riding the Zila Parishad and Panchayat Samiti. तो इसके बाद सारा अमेन्डमेन्ट इसमें जोड़ा जावेगा तो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का नक्शा बदल जावेगा। आज जो नक्शा है It is really democratic decentralisation. तो इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट न करके उसको सिलेक्ट कमेटी में देकर उसके बाद कॉम्प्रीहैन्सिव लेजिस्लेशन लाना चाहिये। नहीं तो इसका असर सारे हिन्दुस्तान पर पड़ेगा। This is an ideal democratic decentralisation और इसका खयाल रखते हुए इस बिल को पारित करेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि उनको पूरी तरह डेमोक्रैटिक स्पिरिट से सदस्यों की भावनाओं को समझ कर यह बिल समिति में भेज देना चाहिये।

एक एक्ट हमने बनाया और साल भर तक उसका अमल देखा और चुनाव के वक्त सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिये ऑर्डिनेन्स भी निकाल दिये; क्योंकि उस वक्त एक ही ध्येय सामने था कि इसके चुनावों को कामयाब बनाया जाय। सरकार की इस कठिनाई को हम समझ सकते हैं। सरकार ने व्यवहारिक काम किया जैसे; कपड़ा जहां से फटा तो तुरन्त वहां थेगली लगा दी।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपकी मार्फत बताना चाहता हूँ कि मैं इस डीसेन्ट्रलाइज़ेशन स्कीम का बहुत सपोर्टर रहा हूँ और मैंने यहां तक कहा है कि जो पांच साल यहां बिताये उसने अगर कोई ऐतिहासिक बात की है तो हमने इस डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के द्वारा गांव गांव में डेमोक्रेसी को पहुँचाने की बात की है। इतना होते हुए भी मैं आज यह महसूस कर रहा हूँ कि इससे हमारे मकसद में दिक्कत आवेगी। मैं ज्यादा सख्त भाषा का उपयोग नहीं करके सम्पतरामजी से अपील करता हूँ कि वे पास करेंगे तो कर दिया जावेगा पर सदन की भावनाओं को डेमोक्रेटिक ढंग से सामने रखते हुए उन पर विचार करना चाहिये। एक-दो रोज में कुछ नहीं होने वाला। रात दिन बैठ कर कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले सदन को कठिनाई आवेगी और उनको भी इसे अमेन्ड करना पड़ेगा, मुमकिन है अगले चुनावों के बाद इस तरह का आर्डिनेन्स निकालना पड़े। इसलिये वार्निंग देता हूँ कि खुले दिमाग से हमारे जज़बात को सुनने की कोशिश की जावें। जरुरत हो तो कल ही पेश किया जावे। रात दिन बैठ जावेंगे। मुमकिन है मिनिस्टर महोदय को दिन का समय नहीं मिले तो ईतवार के दिन रात-दिन बैठकर काम करें। इतनी हमारी इल्तिजा है। सरकार इस पर पूरा गौर करेगी।

अब मैं आपके सामने इस बिल के प्रोवीज़न्स पर आता हूँ। कोऑप्शन का मसला

Page No.54

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है, आमदनी का मसला है। सन्त लोगों की हम पूर्ति कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कौनसे सन्त ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : विनोबा भावे और सब लोग। जनता का विश्वास उनमें है।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ एक ही तो सन्त हैं, विनोबा भावे। आपने तो बहुवचन में प्रयोग किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वे सन्त हैं सभी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य मुझे बोलने दें। मैं आज बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीरियसली डिस्कस हो यह मामला। तो हमारी सन्त परम्परा है, उसके माफिक उनका एक विश्वास है। उनका जीवित विश्वास हो सकता है। आप लेजिस्लेशन से काम करते हैं उससे आदमी का दिमाग नहीं बनता है, कुर्बानी से बनता है। अगर विनोबा की चलती तो राजाओं को पहले ही ठीक कर देते। पर वह तो हमें करना पड़ा। पर उनकी आदर्श धारणा है। लोगों में कुर्बानी करने का मादा हो इसलिये अपील करते हैं। उस सिलसिले में जब यहां आये तो ग्रामदान का एक एक्ट बना लिया और उस एक्ट के बनने के बाद कुछ लोगों को प्रेरणा मिली कि सरकार उनकी तरफ अधिक ध्यान देगी। गांव के गांव कुर्बानी से सामने आये और गांव के गांव ग्रामदान में आये। अब हमने जिस समय इस एक्ट को बनाया उस समय एक्ट में यह रखा कि इनका भी समितियों में रिप्रेजेन्टेशन हो। पंचायत समितियों और इनके मामले में उनकी धारणा एक स्वर्गीय धारणा है वह यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : शब्द 'अनुपयुक्त' है। स्वर्गीय धारणा क्या है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यानी उसकी अच्छाई से इन्कार नहीं किया जा सकता। एक आदर्श चीज को अच्छा कहने के लिए मैंने स्वर्गीय कहा है। यह नहीं कहा कि वह मर गई....

श्री उपाध्यक्ष : Burried.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्वर्ग जैसी भावना से मतलब है मेरा। तो उस समय उन्होंने एक चीज रखी, मैं समझता हूँ कि सरकार मेरी इस बात की तरफ ध्यान दे रही है....

श्री उपाध्यक्ष : पूरा ध्यान दे रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उस सिलसिले में ग्रामदान में दिए हुए गांवों के लोग तो आपकी पार्टीबाजी में पड़ते नहीं हैं। अब आप कहते हैं कि चुनाव करेंगे और उनका रिप्रेजेन्टेशन तब लायेंगे जब कि वहां पर चुनाव होंगे। अब यह सरकार उनको चैन से नहीं बैठने देना चाहती। मैं आपको बताऊं कि वे आपका रिप्रेजेन्टेशन नहीं चाहते। वे अपनी व्यवस्था अलग बनाये रखने देना चाहते हैं। मैं आपको ऑथोराइज्ड स्टेटमेन्ट देता हूँ कि इस चीज़ को वे ग्रामदानी वाले लोग नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उनको रिप्रेजेन्टेशन नहीं दें तो आप न दें। वे कहते हैं कि हमारे सरपंच हैं वे समिति में जायें और वहां की जानकारी लें तो सरकार चाहे तो ले और नहीं लेना चाहे तो न ले। आप अजीब स्थिति पैदा करते हैं। उन्होंने अपने गांव ग्रामदान में दिये, ग्रामदान का एक कैम्पेन चला, विनोबा भावे आये और उसके लिए आपने अलग से एक एक्ट भी पास कर दिया है। सरकार को चाहिए कि उनकी व्यवस्था अलग हो रहे और यह ग्रामदानी गांव वाले अपना कोई भी रिप्रेजेन्टेटिव का नाम सरकार के पास भेज दें और उसको समिति में भेज दिया जाये और वह पंचायत समिति की एक्टीवीटीज़ में भाग ले और जो विकास का काम चारों तरफ हो रहा है उससे अपने को वाकिफ कर सकें। ऐसी ऑपोर्चुनिटी उनको मिले। आप क्यों इस तरह से उनको दिक्कत में डालना चाहते हैं? विनोबा जी....

श्री उपाध्यक्ष : I think, Mr. Jwala Prasad, the name of persons not connected with the Bill should not be referred to. उन व्यक्ति का नाम जिनका इस बिल से संबंध नहीं हैं उनको क्यों प्रांगण पर लाया जाये?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अर्ज यह है कि यह जो 'ग्रामदान' शब्द आ गया और जिन्होंने यह मूवमेंट चलाया तो उनका नाम भी इसके साथ आ गया। मैं कहता हूँ कि जिन्होंने आन्दोलन चलाया उनकी स्पिरिट को समझते हुए ग्रामदानियों को रिप्रेजेन्टशन देते हैं तो दें, नहीं तो मत दें। उनका यह ख्याल है कि वह किसी भी चुनाव में नहीं भाग लेना चाहते। सवाल अब दिक्कतों का आता है। दिक्कत ज्यादा जगह नहीं आई एक–दो जगह ही आई। उसके लिए सारे कानून को बदल दिया जाये। मैं आपसे इल्तजा करता हूँ कि पहले यह था कि जो सरपंच होता था वह प्रधान चुनकर आ गया तो समिति का मेम्बर बनेगा तो वहां पर सरपंच का चुनाव हो जाता था। अब क्या किया गया है कि अगर सरपंच का चुनाव हो जाये और अगर वह समिति का भी मेम्बर बन जाये तो उसके बाद वहां का उप–सरपंच सरपंच का काम करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत सरकार से कहता हूँ कि सरकार के लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनावों में जो होता है यह व्यवहारिक बात है और सब मेम्बर्स उनको जानते हैं। गांवों के सरपंच के चुनावों में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तहसीलदार जाकर उस चुनाव को करा सकता है। दिक्कत तो तब आती है जब कि नो-कॉन्फीडेन्स मोशन आ जाये। प्रधान चुना जाये उसके लिए आपने रखा है कि २।३ मैजोरिटी से होना चाहिये इसलिये वह तो बदलता है नहीं इसलिये परमानेन्ट सरपंच मिलना चाहिये. इसके पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

अब समय का सवाल आता है। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह कॉन्सीक्वेन्शयल अमेन्डमेंट है। मगर कॉन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेंट होते हुए भी जैसे ८६ अजमेर की पंचायतें थीं उनके सरपंच समिति में आ गये। यह सारा अमेन्डमेंट आपको मेरी वजह से करना पड़ रहा है। ये जितने अमेन्डमैन्ट्स हो रहे हैं; atleast haet to them, I can point out, have been brought out for Ajmer District,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ठीक है, वह दिक्कत आपको भी आ सकती थी। पहले से इसको कर लिया जाये फिर तो फिर दिक्कत नहीं है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि भंग होने का केस आता है। वे लोग एक साल पहले चुने गये थे तो उनको कहेंगे कि ८६ पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ वे समिति के मेम्बर्स बन जायें। ठीक है, समिति के चुनावों में ८६ सरपंचों ने भाग लिया और वे आज चुने गये। उनके दो साल बाकी थे तो सरकार के सामने पर्याय था कि जिन्होंने एक साल भुगत लिया है उसके २ साल की जगह ३ साल गांव के टेम्पोरेरी राइट्स खत्म कर दिये जायें। चार साल के लिए जो वहां की जनता है उनको कह दिया जाये कि हमारे पास कानून की ताकत है इसको चार साल का कर दिया है ये तो हमारे नज़दीकी बेटे हैं, इसलिये हम उनको चार साल के लिये करते हैं, आपका पर्याय यह था। दो साल उनके गये और सारे गांव की जनता को हक मिलता और चुनाव हो जाते हजारों ही लोगों के। लेकिन मैं ७५ हजार की गिनती लगाता हूँ। उन ७५,००० लोगों में से ८६ आदमियों के लिये यह कहते, ७५ हजार के सहारे कर सकते थे। उसके बजाय सवाल यह था कि २ साल बढ़ा दिये जाय या ३ साल बढ़ा दिये जांय तो २ साल का पहले ७५,००० आदमियों को कह दिया जाय। अब वे ८६ पंचायतों वाले आ गये समिति के अन्दर। अब सवाल आता है टाइम का। जब चुनाव होगा तो वे कहेंगे १ साल पहले चुने गये और ३ साल और होंगे, इस तरह से ४ साल के लिये वे निश्चिन्त हो गये, उनको अधिकार दे दिये गये। अधिकार भले ही दें आप, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन इसके साथ यह होना चाहिये कि इन ७५,००० लोगों को भी अधिकार मिलता। २ करोड़ आदमियों ने ७५,००० आदमियों को चुन कर भेजा था उनको १ साल भी आगे नहीं देना चाहते थे, जब कि वे चुन कर आये। मैं यह कहूँगा कि उनके रिफ्लेक्शन के लिये कुछ न कुछ होना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष, इसका........

श्री उपाध्यक्ष : I am also of the same opinion that we are going beyond the scope of the Bill.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अपनी रिलेवेन्सी बताता हूँ सदस्य साहब को। वे लोग चुनी हुई समितियों में हैं और यहां पर समितियों की बात आई है, इसलिये मैं कहता हूँ कि वे अलग जाति के लोग हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : यह बिल का आधार नहीं रहता है। What has happened before......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is happening. These privileged people are still the members of the Samitis,

श्री उपाध्यक्ष : So what can we do? Is there any amendment which reflects on these points?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहते हैं तो आगे बढ़ता हूँ। बहुत सी कमियां इसमें हैं....

एक माननीय सदस्य : हमको दिलचस्पी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको हो सकती है दिलचस्पी, मैं तो यही कहूँगा कि इसको प्रवर समिति को भेजना चाहिये। दामोदरजी साहब हमारी अपील को मंजूर करेंगे। उन्होंने काफी मैग्नानिमिटी दिखाई है। उनका डेमोक्रेटिक दिमाग है, वे सब सदस्यों की बात अवश्य मानेंगे। इसलिये आज जो सम्मति है हाउस की, इस बिल को दूसरे मिनिस्टर साहब ने पेश किया था लेकिन आज इसे दामोदरजी पाइलोट कर रहे हैं, उन मिनिस्टर साहब को शायद तबियत खराब है या बाहर गये हैं डयूटी पर इसलिये शायद यहां नहीं आ सके हैं। लेकिन दामोदरजी इस बात को बतला देंगे। यदि दिक्कत आती, जनता हाई कोर्ट में जावे और उसका फैसला हो जावे उसके बाद ऑर्डिनेन्स लावें तो यह अच्छी बात नहीं है। लेट दी हाई कोर्ट डिसाइड और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आप उस लाइट में अमेंडमेंट करें। यह मैं अपील करूंगा कि हाई कोर्ट में चले गये हैं उससे यदि उनको फायदा होता है तो जल्दी करने की क्या बात है? हमारे लॉ को इन्टरप्रिट करनेवाली हाइएस्ट ऑथोरिटी हाई कोर्ट है, उसका डिसीजन आने दीजिये। फिर सदन देखेगा कि क्या क्या गलतियें निकलीं और उनको सही करने के लिये क्या क्या करना चाहिये। जल्दी में आप सही अमेन्डमेंट नहीं लाते हैं इसलिये मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि इसको सोच-समझ कर किया जाय। कॉन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेंट आते हैं लेकिन यह एक ऐसा धब्बा है जो नहीं मिट सकता। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का एक धब्बा सारे राजस्थान पर होता है, इसलिये हम निवेदन करते हैं कि आप इसको मिटाइये।

अब मैं मेम्बर्स को हटाने के बारे में कहूँगा। मैं आपकी मार्फत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि मेम्बर्स चुने जाते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स के मुताबिक चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने गये उसके बाद वे आये तो पहले आधा पड़दा तो उससे साफ होता है कि उनमें ड्यूज बाकी हैं। गलत चिट बना दी और कह दिया कि ड्यूज बाकी हैं। मैं कहता हूँ कि ड्यूज़ के नाम पर यह एक बड़ी मखौल है। अभी इसका दुरुपयोग हुआ है। अंग्रेजों के टाइम में भी इस तरह का प्रोविज़न था, लेकिन तब इसका मिसयूज़ नहीं होता था अफसरों की तरफ से। लेकिन जो स्थिति हमारे सामने आई है उसको देखते हुए मैं स्पष्ट कहता हूँ, ड्यूज़ की बात नहीं उठाना चाहिये। हमारे हक में यह बात नही है। किसी मेम्बर ने तकावी रोक ली है, बराबर किश्त नही देता है तो उसको डिस्क्वालिफाई कर देंगे एक एम. एल. ए. को। सरकार के पास दूसरी मशीनरी है, आप उसको जेल भेज सकते हैं, कुड़की करा सकते हैं। लेकिन सरकार कुड़की नहीं भेजना चाहती क्योंकि जो ड्यूज बताये जाते हैं वे वास्तव में ड्यूज होते नहीं हैं, बेईमानी के लिये उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सरकार ने कह दिया कि इसके ड्यूज़ है इसलिये इसको निकाल दो। प्रवर समिति में यदि वे मुझे मौका देंगे तो मैं उनको कुछ इन्स्टान्सेज़ समझाऊंगा कि किस प्रकार के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ड्यूज़ होते हैं। चुनाव में खड़े होने के बाद डेमोक्रेसी डिमान्ड करती है कि लोगों को ताकत देकर छोटे मोटे ड्यूज़ निकाल कर और बेईमानी करके या यह कह कर कि यह आदमी पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिये यह मेम्बर नहीं रह सकता। क्या मखौल है, पंचायतों के मेम्बर पढ़े लिखे होने चाहिये, एम. एल. ए. पढ़ा लिखा नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ कि गांववाले चुनते हैं उनमें आप क्यों चार चांद लगाना चाहते हैं। यदि उनका काम ठीक नहीं है तो दुबारा नहीं चुनेंगे। सिर्फ उनको बाइ पास करने के लिये इस तरह की चीज आवे तो उससे बचना चाहिये। प्रवर समिति में मौका दिया तो मैं और भी इन्सटान्सेज बताऊंगा। मैं समझता हूँ, वे इसे एक्सेप्ट करेंगे।

दूसरी बात है स्टेन्डिग कमेटी की। म्युनिसिपेलिटीज़ का इतिहास कम से कम ८० साल का है। जो लोग चुनते हैं उनकी कमेटी में मेजोरिटी बन जाती है प्रेक्टीकली। स्टेन्डिग कमेटीज़ चुनी गई, चुनने के बाद काम करते हैं, फिर साल दो साल में दुबारा मौका मिलता है चुनाव का। यदि वे काम कर सकते हैं और इन्फलुएन्शियल हैं तो आप उनको क्या करेंगे? आप नहीं चुने जायेंगे। म्युनिसिपल कमेटीज़ में सात सात कमेटीज़ बनती हैं, उनमें भी इधर उधर हो। या तो कांग्रेस की बात है कि दो पदों पर एक आदमी नहीं रह सकता क्योंकि वहां इतने लोग लीडर्स हैं कि दो साल तक रह गये तो दूसरे लीडर्स को मौका नहीं मिलेगा। तो स्टेन्डिग कमेटी साल भर बाद फिर चुनी जाती है। उसमें दूसरे लोगों को चुन लेंगे या वे ही चुने जायेंगे। लेकिन आप यह आड़ जो लगाते हैं कि उनको अलग कर दिया जायगा, दुबारा खड़ा होने का मौका नहीं दिया जायगा। यह इस एक्ट के हित के भी खिलाफ है।

मैं यह बात भी उनको प्राइवेट में समझाऊंगा अच्छी तरह से........

(२.०० म० प०)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): प्राइवेट में क्या समझायेंगे?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: प्रवर समिति में बात करके।

अब एक और क्लॉज़ है, आप देखिये कि वे कहते हैं, कितने दिन हैं वह तो मैं भूल गया, दिन रखे हैं, इतने दिन रेज़ीडेन्स की बात है। अजीब तमाशा है, रेज़ीडेन्स इतनी लूज़ टर्म है, पचास रूलिंग हो चुकी है। रेज़ीडेन्स रहने का नाम है। पोस्ट ऑफिस का नाम लगा दें तो प्रेजेन्स समझी जायगी। कहां समझी जायगी? लॉ मिनिस्टरी का प्रोसीजर, यह लिखना हो कि मिनिस्टर साहब की रेजीडेन्स है तो रेजीडेन्स है, रेजीडेन्स नहीं है तो नहीं है। उसमें डेज हैं; २४०, १८०। मैं नहीं समझता उससे फायदा हो सकता है। आप यह रख दें कि ऐसी मीटिंग कान्सीक्युएन्टली अटेन्ड नहीं करेगा, दो–तीन मीटिंग, तो मीटिंग अटेन्ड करना रेज़ीडेन्स मान लें तो समझ में आ सकता है। लेकिन जिस रूप में यह लाया जा रहा है, उससे मालूम पड़ता है कि एप्रीहेन्शन्स इसमें हैं। मैं उदाहरण देकर बताऊं, भिस एप्रीहेन्शन नहीं करेगी सरकार

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

फिर भी लोगों के दिमाग पर वजन क्यों रखा जाय कि तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया जायगा, अगर नाराज हो जाय। इसलिए ये गलत हैं, डेज के रहने के बजाय दूसरा क्लॉज रखा है, यह रख दिया जाय। मैं इन्स्टान्स दे सकता हूँ, एक व्यक्ति अर्जेन्सी के कारण प्रधान को कह कर चला गया। प्रधान ने कह दिया, हां तुम चले जाओ। दो दिन निकल गये, उसके बाद प्रधान कह दे, मुझसे कह नहीं गया था, मैंने सैंक्शन नहीं दी थी। जिन लोगों से काम पड़ रहा है, उनको मद्दे नजर रखते हुए मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस पर विचार करें। क्योंकि सरपंच समिति के अन्दर है वह अपने काम में लगा रहे और २४० या १८० दिन ऐसे कर दे। मैं समझता हूँ, यह रिडन्डेन्ट है। इस तरह के इन्चार्ज लोग अटेन्ड नहीं करेंगे तो वह गल्ती समझी जायगी। इससे आगे चल कर कई प्रकार की दिक्कतें आ जाने वाली हैं, अगर रेजिडेन्स इसमें रहता है, इसके साथ ही अगर ये डेज इसमें रखते हैं तो उसकी वजह से भी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। तो जो मीटिंग का रखना चाहते है, इसके सम्बन्ध में सदन के सदस्य मिल कर प्रवर समिति में बैठकर सोच सकते हैं।

तीसरी बात और मेरे ख्याल में आखिरी बात है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह आखिरी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा ख्याल है हमारे मंत्री महोदय बहुत अच्छी तरह से जानते है तीसरी बात को और वह यह है कि कॉन्स्टीट्यूशन के प्रति हमारी आस्था क्या है यह सवाल है, एक मामूली बात है कि हम कॉन्स्टीट्यूशन के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं जनतंत्र में। मैं समझता हूँ, यह इतनी हल्की बात नहीं है, यह इतनी बड़ी बात है कि जिस समय हम सार्वजनिक कार्य के लिए अपने जीवन को डेडीकेट करते हैं, तो हम ईश्वर की शपथ लेकर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादारी हमारे जीवन का उद्देश्य है। यह पार्लियामेंट में भी होता है, यहां भी होता है। उस सिलसिले में इतनी लाइटली एक अमेंडमेंट लाया जाय। सरकार इसके महत्व को समझती है और मैं भी इसके महत्व को समझता हूँ और जो वर्तमान में इस बिल को पॉइलोट कर रहे हैं, वे भी समझते हैं और इनसे अधिक जो हमारे पंचायत मिनिस्टर हैं वे समझते हैं कि इस बात पर अमेंडमेंट लाना क्या मतलब रखता है, इसमें अमेंडमेंट क्यों लाया गया है? ७२ सेक्शन हैं, उसमें है कि मीटिंग जब होगी, उसमें सीट तब लेंगे जब कि वे कसम खा लेंगे। यह रूलिंग है हाई कोर्ट की कि अगर बगैर कसम खाये वोट दे दिया गया तो उसको वेलिड नहीं माना गया। इसका मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जनता के द्वारा चुने जाने के बाद भी जो सबसे बड़ी बात है, नैतिकता के ढंग से वह यह है कि कॉन्स्टीट्यूशन के प्रति वफादार रहने की कसम खाये। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जनता ने उसको चुन भी दिया है, लेकिन जो सब काम कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत चलते हैं, उसकी कसम जनता का प्रतिनिधि न खाले तब तक जनता से मिले हुए राइट्स हैं, उनको महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। यह सारी बात प्रजातंत्र में है। इस सिलसिले में क्या होता है, आप फर्माते हैं,

Page No.60

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जनाब, कह कर दिया जाय कि तीन महीने के अन्दर कभी भी टहलता हुआ चला जाय और कसम खा ले। इसका इतना भारी महत्व है कि जब पुजारी लोग इकट्ठे होते हैं उस दिन श्रीमान्, आपके सामने आते हैं और आप बुला बुला कर याद दिलाते हैं। देश की वफादारी की और कसम खाते है कि देश के ऊपर मर मिटेंगे, अगर देश के ऊपर कोई संकट आये। यह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादारी है। उसमें यह अमेंडमेंट लायें कि तीन महीने में चलते-फिरते जाकर कलेक्टर के यहां कसम ले लें। मैं पूछना चाहता हूँ, यह एक सीरियस बात है, आखिर आप कॉन्स्टीट्यूशन को समझते क्या हैं? जिस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारी आस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि मन्दिर मस्जिद बाद में हैं, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, वह हमारे देश की जान है। उसके अन्दर इसका अमेंडमेंट ला रहे हैं, वह क्यों लाये हैं? एक जगह दिक्कत हो गई, सारे राजस्थान में एक....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कहां हो गई?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं समझता हूँ, मिनिस्टर साहब को बतलाने की जरूरत नहीं है, वे इशारे में ही समझ गये हैं। तुम पूछते हो, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक अराई समिति है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, और वह कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिस्टर साहब की है। वहां क्या होता है, साहब, जिसके कारण यह अमेंडमेंट बिल लाये हैं। मैं यह समझता हूँ कि जैसा बहिन ने कहा कि लोगों को भगा कर ले गये, पकड़ कर ले गये और इस तरह डेमोक्रेसी को डेवियेट करने की कोशिश की। आप इस परिस्थिति से इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि उन दिनों हमारे पुष्कर में धर्मात्मा ही धर्मात्मा दिखते थे, १५० से ज्यादा धर्मात्मा थे। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी को डेवियेट करने की कोशिश की और उसको करने में किस हद तक कामयाब हुए? मैं समझता हूँ कि उस एक्ट की स्पिरिट नहीं थी कि कोई इस प्रकार की कार्यवाही कर सके। क्यों नहीं कर सके, पहला एक्ट है, उसमें क्लॉज़ रखा था कि एक मीटिंग होगी, उसका सात दिन पहले नोटिस दिया जायगा, सब उस मिटिंग में बैठेंगे और उसके बाद कसम लें। कसम लेने के बाद कोरम होगा, फिर वे कोऑप्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि इससे जिस तरह फ्री मिक्सिंग हो जाता है उस प्रकार फ्री मिक्सिंग न होने दें और इसलिए तीन महीने रख दिया। इससे क्या होता है कि उनको भगाने वाले ले जाते हैं, एक आदमी को पैक्ट्स में भेजते हैं, उनको पैक्ट्स में ले जाकर कहते हैं कि हमें वोट दो। पहले एक्ट का प्रोवीज़न इस बात के लिये काफी है कि इस तरह भगाने का काम नहीं हो सके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां बैठे, सब लोग बैठे, जैसे असेम्बली में बैठते हैं और उसके बाद कसम लें। उसके बाद उनको कह दें कि इस कमरे में मीटिंग चल रही है इस कमरे में बैठ कर सलाह करें और नाम प्रपोज़ कर दें। उसके लिए टाइम दीजिये, लेकिन इतना कह दीजिये कि आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, आप सलाह कीजिये। होता क्या है कि गांव के रिप्रेज़ेन्टेटिव आ रहे हैं, उनको मोटर में कैद करके गंगाजी पुष्कर जी में कसम खिला दी। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि मालिक जनता है, वे उस भगवान् को याद करें। तो दिन भर बातचीत

Page No.61

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करते रहे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, और आज की जनता ईश्वर है। यह उस भगवान के लिए नहीं सोचा गया, इस बात पर जोर नहीं दिया और कॉन्स्टिट्युशन की वफादारी की बात थी उसको भुला दिया और इस तरह राजस्थान के अन्दर डेमोक्रेसी को डेवीयेट करने की कोशिश की। मैं पोइन्ट आउट यह करना चाहता हूँ कि जब एक्ट में स्पिरिट साफ है, वे दिन भर बैठ सकते हैं, दूसरे दिन बैठ सकते हैं और तब तक बैठ सकते हैं जब तक कि एक राय नहीं हो। आप उसको डेवियेट करना चाहते हैं, उसको यह कहना चाहते हैं कि यह कसम खाने की बात कुछ नहीं है, कसम क्यों लें आज न लें, तीन महीने बाद ले लें। मैं इसको अपोज करता हूँ और जैसा एक्ट में रखा था कि मीटिंग बुलाई जाय और कमिश्नर जो ऑफिसर होता है वह नोटिस दे, वह मीटिंग का नोटिस दे, उसके बाद मीटिंग हो इसका टाइम साढ़े आठ बजे का कसम लेने का रखते हैं, उसके बाद नोमिनेशन नहीं होना चाहिये। साढ़े आठ बजे मेम्बर क्वालिफाई होने की कसम खाने के लिये मीटिंग में आये तो उस समय किसी को आने नहीं दिया जाना चाहिये। यह है कि कसम खायें उस वक्त किसी को आने नहीं दिया जायगा, सब के फ्री वोट से आने की ऑपोच्युंनिटी दी जायगी। जो आदमी अपने वोट का उपयोग करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्युशन की कसम खाये बिना उन्हें इसका उपयोग लेने देना ठीक नहीं होगा। तो सेक्शन ७२ को वैसा का वैसा रहने दीजिये। सैंटीमेंट्स की बात नहीं, इसमें बुराइयों को भी रोकना है, किवाड़ों को बन्द कर दीजिये। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को फोर्स करिये कि दिन भर लोगों की मीटिंग करते हैं तो उनको आपस में मिक्स अप होने दें; भीड़ न होने दें, दबाव डालने वाले और एड्वाइज़र्स हैं उनको आने मत दो। अराई की मिसाल....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिना शपथ लिये पंचायत समिति में भाग नहीं ले सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसमें अमेंडमेंट लाये हैं कि तीन महीने के लिये बिना शपथ लिये भाग लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : To the extent of this bill it cannot be relevant.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I would like to submit...

श्री उपाध्यक्ष : These are minute details.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I hope when you hear you will say that it is most appropriate to quote.

श्री उपाध्यक्ष : It is quite another thing to be interested in the details, we have to see how it is relevant?

श्री श्रीभानसिंह : By these examples he will explain his point and make it more explicit.

श्री उपाध्यक्ष : To discuss on other clause itself, it is irrelevant.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुख्तसर कहूँगा। वहां यह होता है कि मीटिंग होती है, पहले टाइम में कसम ले ली, कसम लेते वहां १७ आदमियों को अराईं में बन्द कर दिया जाता है। वहां पिटीशन पड़ेगी ही। वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा है, उसने साढ़े दस बजे कसम दिलाई। दूसरी मीटिंग दो बजे थी यूनानिमस चुनाव की। एक हजार आदमी वहां इकट्ठे हो गये। जिन लोगों को, जो लोग भगा कर ले गये थे वहां उनको लाने की हिम्मत नहीं हुई....

डॉ० बहादुरसिंह : यह थोड़ा बता दें कि कौन भगा ले गये थे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक पार्टी ले गई, कोई भी ले गया, पर्सनल नाम बताना मैं नहीं चाहता ; अमेंडमेंट आये तब समझ जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अजमेर जिले की यह बात है, झुंझुनू जिले में तो ऐसा आये दिन होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दूसरी मीटिंग हुई तब वहां एक हजार आदमी इकट्ठे हो गये, पहले ही से लोगों का एफीडेविट दिया हुआ था, वे हजार आदमी यह इन्तजार कर रहे थे कि भगाये हुए हमारे आदमियों को लायें तो कहें कि जेल में बन्द क्यों हो गये ? इसके बाद वे डरते हैं कि कैसे लावें ? १३ आदमी दो बजे कोऑप्शन में वोट दे देते हैं। गड़बड़ यह पड़ी कि दूसरी मीटिंग में वेलिड वोट्स थे, डाल दिये, साढ़े तीन बजे तक एक हजार आदमियों से घिरे रहे, उनकी भगाये हुए आदमियों को लाने की हिम्मत नहीं हुई। साढ़े तीन बजे दो जीप-मोटरों में आते हैं और घुस जाते हैं और कहते हैं कि कसम खिलाओ। वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ६ पेज का फैसला लिखा, काबलियत के साथ लिखा कि कसम खाये बगैर वोट नहीं दे सकते, कसम दो बजे तक ले सकता था, अब साढ़े तीन बजे लिख कर देते हैं हाथ से कि कसम दिलाओ। मैं कसम दिलाऊं या मीटिंग करूं ? और वह १३ के ऊपर ही चुने हुए घोषित कर देता है। इसके बाद वे हाई कोर्ट में जाते हैं और इसके बाद में सरकार के सामने कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में अमेंडमेंट आता है कि कसम खाने की आवश्यकता नहीं, तीन महीने के लिये लिया जा सकता है।

तो इन सब बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। हाउस के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक्स्ट्रा टाइम में बैठना पड़े तो एक्स्ट्रा टाइम में बैठना चाहिये। यह बड़ा अहम सवाल है, हमारी ५ वर्षों की मेहनत है। मेरी जिंदगी में तो ये पांच साल पार्लियामेंट से भी ज्यादा वकत रखेंगे कि जो सत्ता एक जगह कन्सेन्ट्रेट हो रखी थी उसको गांव गांव में जनता के पास पहुँचाया।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसको प्रवर समिति में भेज कर इस पर विचार करने का प्रवर समिति को मौका दे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जैसे इस्तरी करके कपड़े में चमक पैदा की जाती है उसी तरह इस एक्ट को भी चमका दें और

Page No.63

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

डीसेन्ट्रलाइजेशन का काम हम ही पूरा करके जाय, आने वालों को इसके लिये तकलीफ न दें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हाउस के अन्दर पंचायत समिति बिल और जिला परिषद् बिल पास हुआ था; जो एक्ट बना, उसके अन्दर कई तरह के अमेंडमेंट्स आज हाउस में आये हैं। जिला परिषद् और पंचायत समिति एक्ट में सरकार ने इतनी खामी रख दी है जिससे कि राजस्थान में घर घर के अन्दर राजनीति जो होनी चाहिये वह घर घर में फैल गई। इससे राजस्थान में जो विकास के कार्य और तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से चले, गांवों के आदमी इस काम में न लग कर आज राजनीति के स्तर पर पहुंचने को तैयार हैं। जिस तरह का यह एक्ट बना है उससे तृतीय पंचवर्षीय योजना के कामों में और दूसरे विकास के कामों में, जहां तक मेरी जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि इससे नुकसान ही है, फायदा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल किसलिये रहे हैं? क्या जनमत के लिये प्रसारित किया जाय इस सम्बन्ध में?

श्री मुक्तिलाल मोदी : जनमत के लिये बोल रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है उपाध्यक्ष महोदय, कि रशिया (Russia) के कानूनों की बातें बतायें, तो ज्यादा लाभप्रद होगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, इस पर आ जाइये। ऐसी साधारण बातों पर तो सभी माननीय सदस्य रोशनी डालते रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मन्त्री महोदय रशिया की बात को तो रिलेवेन्ट मानते हैं और मैं तो अराई की बात कह रहा था, उसे इर्रिलेवेन्ट बताया।

श्री उपाध्यक्ष : आप नजदीक की बात कहते थे जो सब जानते थे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, जनरल इलेक्शन से भी अधिक इस चुनाव में परेशानी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : वेदना हुई है, परेशानी नहीं। व्यथा हुई है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये क्योंकि इसके अन्दर काफी खामियां हैं और सरकार ने बीच बीच में जो ऑर्डर्स निकाले हैं वे नहीं निकालने चाहिये। मैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों के लिये भी अलग से कोऑप्शन अच्छा नहीं मानता। उनको भी चुनाव में हमारी तरह खड़ा होना चाहिये। यह नोमिनेशन और कोऑप्शन अच्छी बात नहीं है।

(श्री मुक्तिलाल मोदी) ।

रहा महिलाओं के लिये । माननीय उपाध्यक्ष जी, महिलाओं का जिस तरह से चुनाव हुआ वह इतना गलत हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : चुनाव गलत कह दिया, कोऑप्शन हुआ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जी हां, इतना इनका गलत कोऑप्शन हुआ जितना पहले कभी हुआ नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या गलत महिलाओं का चुनाव हुआ ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप मेरे को बीच बीच में चुकाओ मत।

डॉ० बहादुरसिंह : अपने लिये रिजर्वेशन चाह रहे हो क्या ? महिलाओं के चाहते ही नहीं हैं, कंवारे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप अपने घरों में जाकर पूछो। मुझे क्या मुश्किल आयेगी, मैं तो अकेला हूं। तो माननीय उपाध्यक्ष जी,....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो थोड़ा रशिया की बात कह दें। वहां कैसा है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : रशिया के लिये कहा तो रशिया के अन्दर कोई कोऑप्शन का तरीका नहीं है और नोमिनेटेड जैसी कोई चीज़ नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : रूस की बात तो अब जाने दीजिये, विषय पर आ जावें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो रूस की बात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मनुष्य जाति नहीं है वहां ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मनुष्य जाति तो है, पर जाट राजपूत शिड्यूल्ड कास्ट ट्राइब इस तरह की बातें नहीं हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वहां महिलाएं भी हैं कि नहीं, और कंवारे भी हैं कि नहीं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां आपकी तरह से थोड़े हैं। खुद ही चुनाव में खड़ी हो जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने माननीय, सदस्य, श्री बहादुरसिंह जी, को जो ये शब्द कहे उपयुक्त नहीं हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने यह थोड़े ही कहा। महिलाएं वहां जो हैं, पढ़ी–लिखी हैं। इस तरह की जैसी यहां हैं, वैसी महिलाएं नहीं हैं वहां। यह कहने का मेरा मकसद था। वहां पंचायतें जरूर बनी हैं, पर पंचायत समितियां या जिला परिषदें नहीं हैं। ये दो चीजें यहां हैं, वहां नहीं हैं।

श्री दलीपसिंह (बारां) : सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पंचायतों और म्युनिसिपेलिटियों को भी अधिकार जरूर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राजनैतिक पार्टियां कितनी हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : पार्टी तो एक ही है। जेकोस्लावेकिया में जरूर दो-चार पार्टियां हैं। पंचायतों को वहां अधिकार है और गांव वाले आराम से रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। विषय यह है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं यही तो बोल रहा था, पर बीच बीच में मुझे चुकाते बहुत हैं। यह जो राजस्थान में पंचायतें और पंचायत समितियां और जिला परिषदें जो बनाई हैं इससे एक बात तो जरूर मानता हूँ कि धन जो एक आदमी के पास रहता है वह तो फैल गया है। चुनाव में जगह जगह खर्चा होता है वह तो इसलिये सब जगह जरूर फैला है पर गांवों के अन्दर वैमनस्यता भी सबसे ज्यादा फैल गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, तो मैं कह रहा हूं कि पंचायत समितियों में कोरप्शन नहीं होना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): फिर होना क्या चाहिये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : पंचायतों का चुनाव हो गया वह प्रधान बना ले और वह प्रधान चुन कर जिला परिषद् का प्रमुख बना ले।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके प्रश्न पर मत चलिये, स्वतः ही चलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : महाराज, आप मना कर दीजिये उनको !

श्री उपाध्यक्ष : मना करे देता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो यह कोरप्शन का तरीका जब तक सिलेक्ट कमेटी में नहीं बैठेंगे तब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कम से कम कोरप्शन में एक प्रधान के पांच हजार रुपये के करीब खर्च होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर, ऐसे आंकड़े जो आप नहीं जानते हैं जिसका हिसाब न हो, कहना उचित नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हिसाब ? मैंने खर्च किया है, खर्च करवाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कैसे खर्च किया, यह बतला दीजिये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : लोगों को रोटी खिलाई, मोटरें दिलवाई। एक आदमी....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): भाषण दे दिया है। उनकी बात में काफी वजन है।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : यह कौनसी पंचायत समिति की बात है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : देखोजी, यह बात मत पूछो कि कहां का है, क्या खर्च किया है।

Page No.66

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण बड़ा ही विषद् और विस्तृत प्रकाश डालने वाला हो गया है। अब दूसरे को मौका दिया जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो इसलिये यह कोआॅप्शन का तरीका सरकार को बिल्कुल नहीं रखना चाहिये। और भी खामियां इसमें हैं जो सिलेक्ट कमेटी में जाये बिना पूरी नहीं हो सकतीं, इसलिये इसे वहां जाना चाहिये और पूरा विचार होकर फिर हाउस में आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

बात यह है कि जिस वक्त यह बिल पारित किया गया बहुत चर्चा और बहस के बाद पारित किया गया। चुनावों के दौरान में सरकार ने अनुभव किया कि इसमें खामियां हैं, जनता ने भी और जिला परिषद् ने, सभी ने यह अनुभव किया और इसके लिये चार आॅर्डिनेन्स सरकार ने जारी किये। यद्यपि वे चारों अलग अलग जारी न किये जाकर एक साथ एक में भी शामिल किया जा सकता था और इसके बाद भी कुछ नये अनुभव सामने आये और उन सब के आधार पर यह नया बिल सामने रखा गया है।

इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मूल एक्ट की थीम को बदलती हो या उसके उद्देश्य से परे जाती हो और इसलिये सिलेक्ट कमेटी में ले जाने की जरुरत नहीं है। इसमें वे ही बातें समाविष्ट हैं जिनका अनुभव सरकार, जनता और हम सब ने किया है।

इस मौके पर मैं इस बिल में कुछ विशेष बातें समाविष्ट की गई हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। सबसे पहले शिड्यूल कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व दुगुना करने की बात है। दरअसल यह ऐसा तबका है जो चुनावों के द्वारा आगे नहीं आ सकता और चूंकि आबादी के लिहाज़ से उनके प्रतिनिधित्व का अनुपात आता नहीं इसलिये उनके प्रतिनिधित्व को इफेक्टिव बनाने के लिये यह किया गया है। पार्लियामेन्टरी डेलीगेशन जो यहां आया था उसके सामने शहादत में जाने का मुझे भी मौका मिला था। उनकी भी राय में से एक राय यह भी थी, बल्कि यह भी राय थी कि यही नहीं, जिला परिषदों और पंचायतों में भी दुगुना करना चाहिये और न्याय पंचायतों में भी। तभी यह समस्या हल हो सकती है। फिर भी जो प्रावधान रखा गया है आवश्यक हैं। इसका हम स्वागत करते हैं।

दूसरी बात है, ग्राम सभाओं के प्रेसीडेन्टों को मेम्बरशिप दी है पंचायत समिति में। इसका विरोध किया गया है। हम देश में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और इसके हित में विनोबाजी ने एक ग्रामदान की योजना निकाली। ग्रामदान एक्ट भी पारित किया गया। हमारे यहां समाज में इन्डिविजुअलिस्टिक टेन्डेन्सी समाजवादी समाज रचना में बाधक है। यह दूर करने के लिये जो इसमें मूलभूत आधार माना है विनोबा ने वह ग्रामदान योजना है। इसके अन्तर्गत सर्व भूमि गोपाल की इस की तरह गांव की सारी भूमि गांव की हो जाती है, सोसाइटी की या

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

समाज की हो जाती है। इसलिये इस योजना में योग देकर जिन्होंने त्याग किया और इसलिये उनका उत्साह बढे और उनकी देखा-देख दूसरों को प्रोत्साहन मिले, इस दृष्टि से उनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया तो कोई बुरी बात इसमें नहीं है।

एक ने कहा कि इसका आधार ज्यादा रखा गया है। ग्राम पंचायतों में तो १५ सौ आदमियों पर एक पंच–सरपंच आता है और इसमें हजार पर एक है। ऐसा नहीं है। इसमें यों रखा है कि तीन हजार के नीचे दो आदमी। एक हजार है तो एक आदमी। ऊपर है तो हर पन्द्रह सौ पर एक आदमी। अब सिर्फ एक हज़ार पहली बार अगर है तो एक आदमी है। बाकी तो सब वैसा ही है। इसके बारे में भी बात हो सकती है, पर यह ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसके आधार पर ही उनका प्रतिनिधित्व समाप्त किया जावे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह चुनावों में खर्चे में कमी करने की दृष्टि से यह रखा है कि सरपंच के प्रधान चुन लिये जाने या प्रमुख बन जाने पर सरपंच को स्थान दिया जावे। अब सरपंच चूंकि डाइरेक्ट चुनाव से आता था इसलिये फिर चुनाव करावें तो सारी साढे सात हजार पंचायतों में कराया जाय। अब इतने सारे चुनाव में कितनी दिक्कतें और रुपया और श्रम खर्च होता है। यह हम सब जानते हैं। इसलिये यह सोचा गया कि उप सरपंच को कार्य करना है। वैधानिक रुप से वह सदस्य रहे और सरपंच भी एडीशनल मेम्बर रहे। उसको अब वोट देने का अधिकार नहीं होगा, दैनिक कार्यों में इन्टरफियर करने का अधिकार नहीं होगा। तो यह तो चीजें ठीक हैं। पर इसमें एक क्लॉज़ का समावेश नही किया गया। ऐसा सरपंच जो प्रधान बन जाता है पर जिसे इन्टरफ़ियर करने का अधिकार नही है केवल नाम–मात्र का सरपंच है उसके प्रधान या प्रमुख बन जाने के बाद वह ग्राम पंचायत अगर अविश्वास का प्रस्ताव लावे तो गोया वह ला सकते हैं या नहीं। मेरी मान्यता है कि ऐसी कोई रुकावट इस प्रावधान में नहीं है। पर रुकावट होनी चाहिये। क्योंकि वह बेचारा न तो वोट दे सकता है, न दैनिक कामों में रुकावट डालता है तो फिर अगर नाम मात्र के लिये भी रहे तो क्या दिक्कत है? फिर उसको पता भी न लगे और इस बीच अविश्वास प्रस्ताव लाकर पास कर दिया गया तो वह न प्रधान रह सकेगा, न प्रमुख ही रह सकेगा। वहां से भी हट जावेगा क्योंकि यह पोस्ट तो कॉन्सीक्वेन्शल है। तो अगर यह प्रावधान इसमें और आ जाता तो यह क्लॉज़ मजबूत हो जाता। मैंने इस बारे में यह तरमीम भी रखी है जो आगे चल कर आवेगी।

अब मैं एक बात को खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ जिसका कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया। अध्ययन–केन्द्र से जो प्रेस्काइब्ड कोर्स है उसको यदि पूरा नहीं करता है तो वह डिसक्वालिफिकेशन में आयेगा। मैं समझता हूँ यह क्लॉज़ बहुत आवश्यक है, पंचायत समिति के सुचारू रूप से फंक्शन के लिये। आपने देखा होगा इसके कितने रूल्स हैं और उसके साथ साथ समय समय पर कितनी विज्ञप्तियाँ प्रसारित की जाती हैं। ऐसी हालत में जो लोग उसमें चुन कर आते हैं उनको कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। उन परिस्थितियों को निभाने के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लिये यह आवश्यक है। उन में काम करने वालों को बड़ी जिम्मेदारियां जहां निभानी हैं वहां उन बड़ी जिम्मेदारियों को सही तौर से निभाने के लिये उसका ज्ञान होना आवश्यक है। वैसे ही हमारे प्रान्त में शिक्षा का अभाव है जब कि हमारे यहां पंचायतों की संख्या एक दम बढ़ गई है। अधिकांश पंचायतें हैं उनको इस बारे का पूरा ज्ञान नहीं हो तो वे अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा नहीं सकेंगी। इसलिये हम जब इस स्कीम को सफल बनाने जा रहे हैं तो हमें उनको इसका ज्ञान देना चाहिये। उस ज्ञान को देने के लिये डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर प्रशिक्षण-केन्द्र खोले हैं और उन प्रशिक्षण-केन्द्रों की हालत यह है कि जिन व्यक्तियों को नॉमीनेट कर देते हैं और वे नहीं जाते हैं तो प्रशिक्षण-केन्द्रों पर जो लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है उससे फिर फायदा क्या? मेम्बर्स, जो पंचायत समिति द्वारा नॉमीनेटेड हों वे यदि वहां नहीं जाते हैं उससे फायदा नहीं उठाते हैं तो उस प्रशिक्षण केन्द्र से फायदा क्या? इससे साथ-साथ पंचायतों और पंचायत समितियों में काम करने के लिये ज्ञान कहां से मिलेगा? उनको कैसे मालूम होगा कि वहां हिसाब किस प्रकार से रखा जाय, कौन से मद में से कौनसी ग्रान्ट का किस प्रकार से रुपया लिया जा सकता है? ऐसी सेकड़ों बातें हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाये तो वे कैसे जान सकेंगे? इसके अभाव में वे पंचायतों का काम सफलता पूर्वक चला नहीं सकेंगे और जब तक कोई ऐसा पेनल क्लॉज नहीं रखा जाता है तो कोई आदमी वॉलिन्टियरिली जाने के लिये तैयार नहीं होगा। इसलिये पंचायत समितियों के सुचारू रूप से फंक्शनिंग के लिये इस प्रकार का प्रावधान रखा है जिसके अनुसार जिला परिषद किसी सदस्य को तीन बार नॉमीनेट कर दे उसके बाद भी प्रेस्काइब्ड कोर्स की स्टडी के लिये न जाय तो उसको मेम्बरशिप के लिये अयोग्य समझा जायगा।

इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी प्रावधान रखा है कि कोई भी प्रधान या सदस्य पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटीज़ में एक से अधिक कमेटी में चेयरमैन या मेम्बर नहीं बन सकता। पहले प्रधान के लिये यह रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कितनी ही कमेटियो का वह मेम्बर बन सकता था और उस तरह से वह चेयरमैन भी हो सकता था। एक साल के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि कई जगह प्रधानों में मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी आ गई है कि दो तीन मेम्बर हो गये तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने के कारण उसके भी प्रधान बन जाते हैं। इस तरह से चार-पांच जो कमेटीज़ बनती हैं उनमें से दो, तीन में उप-प्रधान या प्रधान बन जाते हैं तो वैसी हालत में दूसरे सदस्यों को काम करने का मौका नहीं मिलता है। इस टेन्डेन्सी को कम करने की दृष्टि से चाहे प्रधान हो या कोई भी मेम्बर हो किसी एक स्टेंडिंग कमेटी के अलावा मेम्बर नहीं हो सकेगा और इस तरह से एक कमेटी का मेम्बर होने के कारण वह एक ही कमेटी का चेयरमैन हो सकेगा। इसमें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे वह बना नहीं रह सकेगा दो स्थानों पर। एक आदमी दो स्थानों के लिये खड़ा हो सकता है लेकिन वह सदस्य दो कमेटीज़ का रह नहीं सकता। जिस तरह से हमारी विधान सभा में एक आदमी दो स्थानों के लिये खड़ा हो

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

सकता है और दो स्थानों पर चुने जाने के बाद एक स्थान से इस्तिफा देना पड़ता है, अगर वह नहीं देता है तो दोनों स्थान रिक्त घोषित हो जाते हैं। इसी प्रकार का प्रावधान इसमें होना चाहिये। अगर एक आदमी दो कमेटीज़ का मेम्बर बन जाता है या चुन लिया जाता है तो स्टेच्युटरी प्रोविज़न इसमें यह होना आवश्यक है कि एक कमेटी से वह इस्तीफा दे। अगर वह नहीं देता है तो दोनों स्थान वेकेन्ट घोषित किये जाय। इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये। ऐसा नहीं होने से इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। इसीलिये चेयरमैन के चुनाव होने से पहले उसको दोनों कमेटीज़ में से किसी एक से इस्तीफा दे देना चाहिये तभी जाकर चेयरमैन का चुनाव होना चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिये।

एक महत्वपूर्ण बात और रखी है जिसका कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया है; वह है स्टेडिंग कमेटी के फैसले को पंचायत समिति द्वारा बदलने का प्रावधान रखा गया है। वह गलत रखा गया है। मैं समझता हूँ इस प्रकार का प्रावधान है, वह ठीक है। हमने देखा है कि स्टेडिंग कमेटीज़ जो कोई निर्णय ले लेती है उसकी अपील का प्रावधान, एग्रीव्ड पार्टीज़ को रिवाइज्ड करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से एक प्रकार से डिक्टेटरशिप हो जाती है। ऐसा हुआ भी है। उनके निर्णय को जब चैलेन्ज नहीं किया जा सकता तो इसके कारण कई स्टेंडिंग कमेटीज़ ने गलत निर्णय किये हैं और गलत फैसले किये हैं उनको बदला जाना चाहिये। इसमें जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार स्टेंडिंग कमेटी के निर्णय पर कोई आदमी, एग्रीव्ड पार्टी तीस दिन के भीतर भीतर पंचायत समिति के सामने ला सकते हैं और पंचायत समिति को अधिकार है कि वह उसको बदल दे। इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यह भी रीजन दिया कि इस तरह से रोजाना फैसले बदलते जायेंगे इसके कारण स्टेंडिंग कमेटी की स्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इसके ड्राफ्टिंग में सतर्कता बरती गई है जब तक टू-थर्ड मेजोरिटी बदलने के पक्ष में नहीं होगी वह निर्णय बदला नहीं जायगा। अगर २४ आदमी पक्ष या विपक्ष में हैं और राय को नहीं माना जाय तो अन-डेमोक्रेटिक होगा। इसलिये जो प्रावधान रखा गया है वह ठीक है।

कृषि-निपुण के क्लॉज़ के बारे में भी आशंका प्रकट की गई है। इसके लिये यह भी कहा गया कि कृषि-निपुण रहना नहीं चाहिये, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसके चुनाव का कोई तरीका नहीं, यह तो प्रधान की डिस्क्रीशन पर चला गया है। लेकिन अगर कानून को ध्यान से पढ़ें तो कृषि-निपुण की जो डेफिनशन दी हुई है वह इस प्रकार से है:

"'Krishi Nipun' means a person declared as such for every block by the Zila Parishad in accordance with the rules made in that behalf."

यह हो सकता है कि रूल्स अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन जैसी कि मुझे जानकारी है क्रॉप्स कम्पिटिशन होगा, पर्टिक्युलर पंचायत समिति के अन्दर, डिफ्रेन्ट क्रॉप्स का कम्पीटिशन होगा उसमें जो जो व्यक्ति प्रथम आयेंगे उनमें से किसी एक को कोऑप्ट

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करना है। इस प्रकार के कम्पीटिशन, जो रूल्स की तहत एग्रीकलचर डिपार्टमेंट द्वारा कराया जायगा के रिज़ल्टस पंचायत समिति को जायेंगे और वह अपने रिमार्कस के साथ जिला परिषद को भेजेंगे और जिला परिषद उन व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को कोऑप्ट करेगी और फिर उसके बाद कृषि–निपुण एक्स ऑफिशियो मेम्बर ऑफ दी पंचायत समिति होगा। इस प्रकार कृषि–निपुण की जगह पर जो आयगा वह कृषि के बारे में काफी सहयोग दे सकेगा और बैस्ट सलेक्टेड पर्सन्स में से आयगा। इस प्रकार के कृषि-निपुण के आने से कम्पीटिशन में उच्च स्थान प्राप्त करने का उसको एक ऑनर मिलेगा और उसे अपना काम दिखाने का मौका मिलेगा। इसलिये इस प्रावधान को हटाने की जो मांग की गई है वह अनुचित है। सेक्शन ६६ ए जो इस संशोधन बिल में जोड़ा गया है :

"Power to provide for performance of duties in default of Panchayat Samiti or Zila Parishad."

इसके अन्दर क्लेक्टर को होल एन्ड सोल बनाया गया है और इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। वास्तव में यह बात सही है कि हम कल्पना करते थे कि जिला परिषद ऐसी बोड़ी होगी जिसमें क्लेक्टर सेक्रेट्री होगा। उसको एक्स ऑफिशियो मेम्बर बनने का अधिकार दिया है। आज इस प्रावधान से स्थिति यह हो गई है कि वह जिला परिषद् में एक्सऑफिशियो मेम्बर होते हुए भी जिला परिषद् का अफसर बन सकता है और कह सकता है कि जिलापरिषद् कोई पर्टीक्युलर काम करे, यदि जिला परिषद् उस काम को नहीं करती है तो वह स्वयम् उस पर्टीक्युलर कार्य को करावे और उसका खर्चा वह उससे वसूल कर सकता है। वास्तव में यह जो प्रावधान रखा गया है अनडेमोक्रेटिक है और जिस समय सदन में मूल एक्ट प्रस्तुत हुआ था और जैसी कि माननीय सदस्यों की भावना थी, उसको ड्राफ्ट करने वाले और माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में जो बातें थीं उन सब को उलट दिया गया है। इसलिए सुझाव दिया गया था कि भाई, पंचायतों के लिए क्लेक्टर तो समझ में आ सकता था लेकिन जिला परिषद् के लिए क्या आवश्यकता है ? यदि करें तो कमीशनर करें अब कमीशनरस नहीं रहे और उनको बदल दिया गया है तो उस सम्बन्ध में सारे एक्ट में तरमीम होगी इस बिल में तरमीम की जा सकती है, क्लेक्टर के स्थान पर कमीशनर या ऐसे व्यक्ति को जो क्लेक्टर के दर्जे से ऊंचा हो, इस स्थान पर रखा जाता तो अच्छा होता।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रमुख के रेज़िग्नेशन को स्वीकार करने की असहमति प्रकट की थी। एक आदमी इस्तिफा देना चाहता है उसको क्यों न मंजूर करना चाहिये, गवर्नमेंट ही उसको मंजूर क्यों करे ? जिला परिषद् ही क्यों न कर ले उसमें क्या दिक्कत है ? मान लीजिये कि प्रधान इस्तीफा भेज देता है उसकी स्टेट गवर्नमेंट से मंजूरी न हो अथवा उसमें काफी समय लेंगे। जब तक मंजूर नहीं होता है वह काम नहीं करता है, पंचायत समितियों का काम सफर करता है और कॉम्प्लीकेशन्स खड़ी हो जाती हैं। उस डिफिकल्टी को देखते हुए पंचायत समिति के उप-सरपंच को यह अधिकार दिया है कि उसको

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

मंजूर कर ले और पंचायत समिति का काम ठीक प्रकार से चलता रहे। इस्तिफाउप—सरपंच को न देकर स्टेट गवर्नमेन्ट को ही देना चाहिये, ये माननीय सदस्यों के विचार मेरी समझ में नहीं आये। इसलिए जो इसमें प्रोवाइड किया गया है वह ठीक ही है।

यदि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक का प्रेसीडेन्ट ऑफिशियल हो तो नॉन-ऑफिशियल वाइस प्रेसिडेन्ट को जिला परिषद् का सदस्य बनाया जाय, यह प्रोविज़न था। लेकिन एक डिफिकल्टी आई कि कई बैंक ऐसे हैं कि जहां पर प्रेसीडेन्ट और वाइस प्रेसीडेन्ट दोनों ही ऑफिशियल हैं, उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। जहां पर प्रेसीडेन्ट और वाइस प्रेसीडेन्ट दोनों ही ऑफिशियल हों उस स्थिति में सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डाइरेक्टर जिसको चुन दे जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वह आदमी जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व कर सकता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पांच वर्ष की अवधि होनी चाहिये, जब कि एक्ट में तीन वर्ष की ही अवधि बताई गई हैं। इस बारे में पांच वर्ष की अवधि इसलिए बताई गई कि असेम्बली में भी पांच वर्ष की अवधि रखी गई है। उनकी तीन वर्ष की अवधि ही रखने से उनके स्थायित्व आदि पर भी असर पड़ता है। मैंने हिसाब लगाया कि तीन, चार और पांच वर्ष की अवधि में से कौनसी अवधि इसके लिए होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ यह भी देखा कि इनके इलेक्शन्स की डेट्स और इयर जनरल इलेक्शन की डेट्स और इयर से कोइन्साइड भी न करें। वह प्रणाली कौनसी हो सकती है? तीन साल की प्रणाली यदि हम इन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के इलेक्शन्स के लिए रखते हैं तो आम चुनावों की डेट और इयर इनके डेट और इयर से कोइन्साइड कर जाती हैं। पांच वर्ष की अवधि इसके लिए रखी जाती है तो १९७७ में डेट और इयर ऑफ इलेक्शन्स कोइन्साइड कर जाते हैं। इसलिए यह देखने की कोशिश की गई कि चार साल की अवधि कर दी जाय तो क्या कोइन्साइड करेगी या नहीं? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि इनकी अवधि चार साल के लिए कर दी जाय तो जनरल इलेक्शन्स की डेट्स और इयर से इनके डेट्स और इयर कोइन्साइड नहीं करेंगे। इस दृष्टि से तीन साल की प्रणाली कोइन्साइड करने वाली है और फिर माननीय मंत्री महोदय भी एक साल की मयाद बढ़ायेंगे और जरूर बढ़ायेंगे। इसलिए इसके लिए इस समय यह व्यवस्था कर दें कि जनरल इलेक्शन्स की डेट और इयर से इनकी डेट और ईयर कोइन्साइड न करें और वह प्रणाली चार साल की ही हो सकती है।

अन्त में प्रवर समिति में भेजे जाने के बारे में जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करते हुए और यह आशा करते हुए कि मैंने जो सुझाव रखे हैं उनको वे स्वीकार करेंगे, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : It is going to be 3 O,clock.

५ बजे तक इसको पास करना है। टाइम निर्धारित हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी चाहता हूँ कि समय निर्धारित हो जाना चाहिये। आज ही समाप्त करना है तो सीमित टाइम है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : प्रवर समिति बन जायगी फिर क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सजेशन है। क्या सदन की यही राय है कि दस–दस मिनट पर्याप्त हैं ?

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : पन्द्रह मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, 15 minutes.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल पर दो प्रस्ताव आये हैं। एक तो इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय और दूसरा यह है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। दो प्रस्ताव हाउस में हैं। उसके सम्बन्ध में जितने माननीय सदस्य बोले हैं, सिर्फ एक माननीय सदस्य के अलावा, सब कि यह राय मालूम होती है कि सचमुच इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं भी उसी राय का हूँ कि सचमुच इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, यदि कानून के प्रति न्याय करना है, यदि राजस्थान की जनता के प्रति न्याय करना है, यदि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की नीति के प्रति न्याय करना है तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिये। माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल के इन्चार्ज आज के लिए आप हैं, जैसे नसीराबाद से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि इसको डेमोक्रेटिक एप्रोच से देखिये कि इसको सिलेक्ट कमेटी में क्यों भेजने की आवश्यकता है ? कोई भी कानून राजस्थान में बनता है उसमें इतने अमेन्डमेन्ट्स इतने से समय में नहीं हुए होंगे जितने कि अमेन्डमेन्ट्स इस कानून में हुए हैं। ऑर्डिनेन्सेज़ निकाल कर किये गये हैं, ओक्टोबर नवम्बर में हुए हैं, चार चार अमेन्डमेन्ट्स पेश हो गये हैं। दूसरे किन्हीं कानूनों के लिए इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि इस प्रकार से उनमें अमेन्डमेन्ट्स हुए हों। चुनावों के पहले भी इस प्रकार के कभी किसी कानून में अमेन्डमेन्टस नहीं हुए हैं। मैं तो एक बात मानता हूँ कि पंचायत महकमे को तोड़ना ही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी हुई है। इस काम को करने के लिए सारे पंचायत के महकमे को ही तोड़ दिया गया। जहां पर कि एक दूसरे के विचार मालूम करके, आपस में विचार विनिमय करके कानून को सेट करना चाहते थे तो उसको तोड़ना एक बड़ी भारी गलती हुई और इसीलिए आपको इस तरह से इतने अमेन्डमेन्ट्स लाने पड़े। जो आये हैं अमेन्डमेंट्स और आज जो अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है उसको देखा है। उसमें आज भी बहुत सारी बातें अनावश्यक हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। चुनावों के समय हमने यह देखा है कि इस कानून में बहुत से

(२.५८ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(श्री मोतीलाल)

सबसे पहले प्रधान के चुनाव की चीज़ है। कोऑप्शन करना गलत है। कहा यह गया है कि सरपंच प्रधान बन जायगा तो क्या होगा? जब हाउस में इस कानून को पास किया जा रहा था तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव डाइरेक्ट किया जाय, यह मैंने कहा था और मैं इसी मत का था, कोऑप्शन न किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने अपोज़ किया था मेरे अमेन्डमेंट को उस समय।

श्री मोतीलाल : प्रोसिडिंग्स में मेरा भाषण है, आप उसको पढ़ लें। मैं उसी राय का अभी भी हूँ। प्रधान के चुनाव के लिये सरकार शान्ति से विचार करे, सरपंचों के द्वारा नहीं होना चाहिये। लेकर, उड़ा कर जावे गंगाजी और पहुंचे जमुनाजी। २६, २७ सरपंच हैं, १२ एक पार्टी ले गई और दूसरी पार्टी ले गई। जो हमारी मूल नीति है वह नीति यह है कि जनता के सही चुने हुये लोग ही काम को चलावें। हमें काफी प्रेक्टीकल अनुभव मिले होंगे। हमने इसका भी अनुभव लिया कि जितने भी सरपंच आये हैं........

(३.०० म. प.)

श्री पी० के० चौधरी : There is no quorum, sir,

(गणपूरक घंटी)

श्री मोतीलाल : माननीय सभापति, जैसा हम पिछले अधिवेशन के समय में कह चुके हैं १८ सितम्बर को हमारा हाउस चल रहा था और १८ सितम्बर के बाद तब तक सरकार को जरूरत नहीं पड़ी कि कानून में किस प्रकार का रद्दोबदल कर दें और इसके बाद अक्टूबर और नवम्बर में चुनाव हुये तो दो महीनों में ही सारे ऑर्डिनेन्सेज़ लाने पड़े। सही तो बात यह है कि हमें मालूम नहीं था कि वास्तव में इतनी दिक्कतें आयेंगी। मैं कह रहा था कि जो कोऑप्टेड मेम्बर्स के रखने का प्रावधान रखा है उनके लिये यह लिखा है कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स का आदमी चाहिये। वह कोऑप्टेड मेम्बर कहीं के भी हों वह कोऑप्शन में आये। लेकिन नतीजा क्या हुआ है, सभापति महोदय, कि जिनकी जेब में पैसा है वह प्रधान बन सकता है। यह सही रूप से प्रमाणित हो चुका है और मैं एक उदाहरण किशनगढ़ की पंचायत समिति का दूंगा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कितने पैसे ?

श्री मोतीलाल : हजारों, लाखों। मैं कह रहा हूँ कि उसकी जेब में भी पैसा है। मेरे कहने का मकसद यह था जिसके पास पैसा है वह बन सकता है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल के स्कोप में ही डिस्कशन हो तो अच्छा रहे। प्रधान के इलेक्शन वगैरह से इसका सम्बन्ध कोई नहीं है....

श्री श्रीभानसिह (बयाना) : और अपने एक्सपीरियन्स न कहे जायें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्कोप के अन्दर डिसकशन नहीं होगा तो समय मेरे ख्याल से बहुत कम है और इसको आज ही पास करना मुश्किल हो जायगा और इस ऑर्डिनेन्स को आज ही पास करना आवश्यक है। इसके ऊपर आप ज्यादा तवज्जोह दें तो अच्छा होगा।

श्री सभापति : That is true.

श्री मोतीलाल : मैं कहूँगा कि इसके बारे में हमें इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है और न ही जल्दी करना उचित होगा। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मैं सिफारिश करूंगा। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से दुबारा नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि हमें १॥ करोड़ की राजस्थान की जनता में जागृति लानी है और उसके लिए हम कोई कानून बना रहे हैं तो उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। पहले भी यह जल्दबाजी में किया था, इसी कारण ही यह ऑर्डिनेन्स लाने पड़े और दूसरे अमेन्ड-मेन्ट्स लाने पड़े और लाने पड़ेंगे, यह मैं आज कह दूं। जो सही रूप में कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं उनके ऊपर अभी हम काबू नहीं कर पाये हैं इसलिए मेरे ख्याल से मेरे जो आम्यूमेन्ट्स हैं वह सही हैं क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ करना है। अब एक बात इसमें रखी गई है कि जो सरपंच का चुनाव हो उसमें वही खड़े हो सकते हैं जो कि एजूकेटेड हों। इसमें क्या हुआ है कि ज्यादातर सरपंचों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। आप स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखिये। अक्सर यह देखा गया है कि सारे गांव में एक ही आदमी पढ़ा लिखा है, वहां पर वही हो गया, इसलिए ऑटोमेटिक्ली वही आये हैं। या फिर ऐसा हुआ है कि किसी गांव में दो–तीन पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने आपस में बातचीत करके एक दो ने विथड्रा कर लिया और निश्चय कर लिया कि दूसरे को बना दो। इसलिए सही रूप से गांवों में प्रति-निधित्व लोगों का नहीं आया है। आप सभा-पतिजी गांव के लोगों से पूछिये कि आप अपने सरपंच को जानते भी हैं? लेकिन जब कानून में प्रावधान है कि पढ़े लिखे आ सकते हैं तो वही लोग आये। हालांकि उन्हें ८० प्रतिशत लोग नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जो अमेंन्डमेंट आये हैं व अभी और भी बहुत आने हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा जो अमेंडमेंट रखे गये हैं उनसे जाहिर है और सरकार खुद मानती है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके अन्दर जो मूल कानून है उसके भी आगे जा रहे हैं। जो मूल कानून में मन्शा थी उससे भी आप आगे जा रहे हैं। इसलिए सिलेक्ट कमेटी भी इस पर दुबारा विचार करें तो अच्छा हो। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर पंचायत समिति काम नहीं कर पायेगी तो कलेक्टर उस काम को किसी भी आदमी के द्वारा कराके खर्चा काट करके भेज देगा। यह हमारी मूल नीति के विरुद्ध है। इसके अलावा सिर्फ एक ही बात कह कर मेरा भाषण समाप्त करूंगा। वह यह है कि एक सरपंच यदि प्रधान बन जाये तो उसके बाद में क्या स्थिति होगी? तो इसके लिए आपने रखा है कि यदि कोई सरपंच प्रधान या प्रमुख बन जाता है तो वह सरपंच भी बना रहेगा। मैं बहुत अदब से निवेदन करूंगा कि यह प्रावधान रखना ही गलत होगा। इस तरह से एक

(श्री मोतीलाल)

ही आदमी प्रधान भी है और सरपंच भी है तो इसमें काफी गड़बड़ियां हो सकती हैं। अब इसमें ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि मान लीजिए उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी लगनी चाहिए या, नहीं ऐसा मसला आता है तो उस एक ही आदमी का जो कि सरपंच से प्रधान बन गया उसका दो जगह वोट आ जायेगा। एक तो वह वोट देगा एज़ सरपंच और दूसरा वोट देगा एज़ प्रधान। इसलिए यह मूल नीति के खिलाफ पड़ता है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन सरपंच प्रधान बन गया उस दिन से वह सरपंच नहीं रहना चाहिए; बल्कि वह तो पंचायत समिति का प्रधान ही रहेगा। इसलिये यह जो प्रावधान रखा गया है यह बिल्कुल गलत है और मैं चाहूँगा कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें फिर से विचार करना होगा। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसे दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजें और जो माननीय सदस्य फुलेरा से आये हुए हैं और डीग से आये हैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ कहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय इसमें जल्दबाजी नहीं करें और शान्ति के साथ इस पर विचार करें। २० और २१ तारीख का समय और ले लें और २२ तारीख को इसको फिर ले आयें। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसको जरूर सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए स्वीकार कर लें और हाउस की भी मन्शा है कि यह सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए।

श्री सभापति : Hon'ble Minister. (श्री सम्पतराज जैन द्वारा बोलने हेतु खड़ा होना)

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा) : Hon'ble member from Jhunjhunu is trying since morning. He is speaking for the first time.

श्री सभापति : I shall give a chance to Hon'ble member Shri Shish Ram also.

I will also see that the Bill is passed to day.

श्री मोतीलाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने रूलिंग दे दी, बिल पास हो जाय....

श्री सभापति : It is not my ruling. It is according to the list of business.

श्री मोतीलाल : It should be at the discretion of the House, on the opinion of the House.

श्री सभापति : If it be the wish of the House to prolong the sitting, I will submit to it. The House has to be respected in all respects.

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् संशोधन विधेयक, १९६१ प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। सभापति महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल, १९५९ को लागू हुए लगभग डेढ़ साल का अर्सा हुआ है। इस बीच में पंचायतों के दो चुनाव हो चुके हैं और इसकी कार्य प्रणाली में जो कुछ अनुभव प्राप्त हुए

(श्री सम्पतराज जैन)

और जो कुछ डिफिकल्टीज़ आई हैं उनको यह संशोधन विधेयक कवर नहीं करता और जब यह उनको कवर नहीं करता तो संशोधन विधेयक पास करने के बाद फिर संशोधन विधेयक लाया जाय, यह उचित नहीं होगा। या तो सरकार सम्पूर्णतया सारी कठिनाइयों को दूर करने वाला विधेयक पेश करे और मूल विधेयक में जिन धाराओं में डिफिकल्टीज़ पेश होती हैं उनका संशोधन करके मुकम्मिल विधेयक पेश करें तो आपत्ति नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कुछ दिक्कतें आई हैं उन सबको यह विधेयक कवर नहीं करता। ऐसी स्थिति में प्रवर समिति में इसका जाना जरूरी है और ठीक तरह से विचार करने के बाद कौन कौनसे खण्डों में परिवर्तन करना आवश्यक है, इस पर सोचने के बाद इसे पेश करना चाहिये। जल्दी में पारित करना मूल विधेयक को समाप्त करना है।

हमने विकेन्द्रीकरण इसलिये किया है कि विकास कार्यों में जनता सहयोग करे और हम इन्हें ठीक तरह से कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि आज इस विधेयक के बनने के बाद आम जनता; विशेषकर पंच, सरपंच, जिला परिषद् के प्रमुख आदि का कार्य चुनाव तक ही सीमित रह गया है। जिस उद्देश्य के लिये हमने यह एक्ट पास किया था वह पूरा नहीं हुआ और जब यह पूरा नहीं हुआ तो डेढ़ साल के बाद तो अब इसे ठीक करना चाहिये।

इसमें जो खराबियें हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। धारा ८ में पंचायत समिति की रचना में खराबी है, लेकिन इसमें कोई संशोधन नहीं लाया गया है। पंचायत समितियों के इलेक्शन में काफी तादाद में भ्रष्टाचार हुआ होगा। सहवरण में अपनी पॉवर बनाने के लिये, अपने आदमी लाने के लिये किस किस तरह के भ्रष्टाचार किये गये हैं, यह सब जानते हैं। जैसे नसीराबाद के माननीय सदस्य ने कहा कि पुष्कर तीर्थ बना था। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि झालावाड़ भी तीर्थ बना था और वहां चन्द्रभागा में एक सरपंच के डुबकियें लगाई गई थीं। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पुष्कर में ही नहीं, झालावाड़ में चन्द्रभागा में अटरू के सरपंच ने, मनोहरपुरा के सरपंच ने, खानपुरा के सरपंच ने, बकानी के सरपंच ने डुबकियां लगाई थीं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Who defeated you...

श्री सम्पतराज जैन: मैं निवेदन करूंगा कि जिसने रचनात्मक कार्य नहीं किया हो, जिसने गड़बड़ी की हो....

श्री श्रीभानसिंह: जिससे आप हारे थे....

श्री सम्पतराज जैन: इसमें संशोधन करना जरूरी है इसलिये इसका सिलेक्ट कमेटी में जाना भी जरूरी है। क्योंकि सहवरण का प्रश्न जहां आता है वहां ऐसे आदमियों को लेना जरूरी होता है जिनको प्रशासनिक ज्ञान हो, जिनकी जन सेवा हो। ऐसे लोगों का चुनाव होना आवश्यक होता है लेकिन इसमें ऐसे आदमी लिये जाते हैं जो बहुमत वाली पार्टी के पक्ष के हों, चाहे वे अयोग्य हों, प्रशासनिक ज्ञान उनको न हो, चाहे उनका

(श्री सम्पतराज जैन)

गांव–सेवा में विश्वास न हो लेकिन ऐसे लोगों को भी यहां चुन लिया जाता है....

श्री श्रीभानसिंह् : ऐसा एक-आध व्यक्ति तो बताओ ?

श्री सम्पतराज जैन : ऐसे बहुत से हैं।

श्री श्रीभानसिंह् : झालावाड़ का झगड़ा यहां क्यों लाते हो ?

श्री सम्पतराज जैन : यह झालावाड़ का झगड़ा नहीं है। पंचायत समितियों को दुरुस्त करने का सवाल है। राजस्थान की नकल दूसरी जगह भी हो रही है, उनमें खराबी आयेगी, और भी गलतियां होंगी। कोटा में उन्होंने पूछा था कि क्या गलतियां हैं, आप भी अगर सुनना पसन्द करें तो ठीक है....

श्री श्रीभानसिंह् : मैंने तो माइक बंद कर दिया है।

श्री सम्पतराज जैन : इस प्रकार की जो खराबियां सामने आई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिये। यदि नहीं की तो आज नहीं तो कल करेंगे या दो तीन साल बाद फिर संशोधन पेश करने पड़ेंगे....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अभी चुनाव थोड़े ही हो रहे हैं ?

श्री सम्पतराज जैन : विकेन्द्रीकरण के मूल उद्देश्य को मिटा नहीं सकते। जो अच्छी चीज हुई है वह फले–फूले, उसकी बहबूदी हो इस बात को हरेक माननीय सदस्य चाहेगा। मैं झालावाड़ के झगड़े को यहां नहीं लाना चाहता हूँ। वह लंबा–चौड़ा है। उसकी पिटीशन अदालत में, कोर्ट में है। उसका फैसला आयगा तब नकल आपके सामने रख दूंगा....

श्री श्रीभानसिंह् : कोर्ट में आयगा, हमारे सामने क्यों आयगा ?

श्री सम्पतराज जैन : झालावाड़ का झगड़ा बहुत लम्बा है, छोटा नहीं है....

श्री श्रीभानसिंह् : आप जीते नहीं हैं।

श्री सम्पतराज जैन : हम दो पंचायत समितियों में जीते हैं।

श्री श्रीभानसिंह् : आप एक में भी नहीं जीते हैं।

श्री सम्पतराज जैन : लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी दो हमारे हाथ में हैं।

श्री श्रीभानसिंह् : मैं सच कहता हूँ एक भी आपके हाथ में नहीं है।

श्री सम्पतराज जैन : आप झालावाड़ को जानते नहीं हैं, कभी उधर गये नहीं हैं....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : आप चेयरमैन की तरफ भी ध्यान दें।

श्री सभापति : यहां हारने–जीतने का सवाल नहीं है।

Page No.78

श्री सम्पतराज जैन : लाखों रुपये खर्च करने पर भी हम जीते हैं, आपको शायद पता नहीं। इसलिये आप कहा करें इससे क्या होता है।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज, आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री सम्पतराज जैन : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के बारे में निवेदन करूंगा कि इसमें स्टेन्डिंग कमेटी के निश्चय के लिये २।३ मतों का प्रावधान रखा है जो उचित नहीं है। बहुमत वाली पार्टी आ जाती है, आप निश्चित मान लीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : अल्प मत वाले किस तरह से आयेंगे ?

श्री सम्पतराज जैन : आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं आपसे अलग डिस्कशन करने को तैयार हूँ, किन्तु आप सदन का समय वेस्ट न करें।....

श्री श्रीभानसिंह : हारे हुए कैसे आ सकते हैं ?

श्री सम्पतराज जैन : टू–थर्ड मेजोरिटी का जो प्रावधान रखा है, वह ठीक नहीं है। स्टेन्डिग कमेटी में अन्याय हो गया तो दुरुस्त नही कर सकेंगे इसलिये बहुमत के आधार पर निर्णय होना चाहिये। बहुमत हो जाय तो निर्णय बदल देना चाहिये। इसलिये दो तिहाई का प्रावधान रखना उचित नहीं है।

इसके अलावा, मैं निवेदन करूंगा कि धारा ४० में संशोधन किया है। मूल विधेयक में धारा ४० बढ़ी है। इसमें प्रावधान के साथ सरपंच को भी हटाने का अधिकार दिया है। यदि सरपंच को हटाने की शक्ति भी राज्य सरकार के सुपुर्द की तो बड़ा अन्याय होगा। जो आदमी गांव पंचायत का सरपंच है उस नाते वह पंचायत समिति का सदस्य है। तो यदि सरकार को शक्ति सौंपी जाती है कि उसे भी हटाया जा सकेगा तो यह अन्याय होगा। क्योंकि प्रधान, उप प्रधान तो पद धारण करते हैं और यदि वे प्रशासनिक कार्य में गलती करते हैं तो उनको हटाने का राज्य सरकार को अधिकार दिया है। माननीय सभापति। मगर सदस्यों को हटाने का अधिकार देना उचित नहीं होगा

(घंटी)

जैसा धारा ४० (ग) के अनुसार दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन कारणों से इसको प्रवर समिति के सुपुर्द अवश्य किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री शीशराम।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : सभापति महोदय, आज जो राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अमेंडमेंट) बिल हाउस के सामने पेश हुआ है, इसके सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है श्री पी० के० चौधरी ने, मैं उसका समर्थन करूंगा और कुछ बिल की बातें हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनका भी समर्थन करूंगा। कुल मिला कर कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में बोलना चाहूँगा।

एक-डेढ़ साल के पहले दो अक्टूबर को राजस्थान में प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण लागू

(श्री शीशराम ओला)

हुआ था। यह एक बहुत सुन्दर कदम था। इस कदम का सारे देश ने अनुकरण किया है, उसकी देखा–देखी सारे भारतवर्ष में यह काम शुरू हुआ है। पर हम जिस असलियत को लेकर चल रहे थे, जिस चीज को सोच कर डीसेन्ट्रलाइजेशन लागू किया था, वह बेस न रह कर अब कुछ दूसरी बात बन गई है यानी पंचायत की इकाई बनाई, पंचायत मूल वेस बनाया। अब क्या हुआ कि पंचायत के पास जो पॉवर्स पहले थी वे न रहीं, उनको एक तरह से पंगु बना दिया गया और वाकई एक लिफाफे की तरह खाली बैठी रहती है, पंचायत ऐसी बन गई....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): लिफाफा ?

श्री शीशराम ओला : जिस तरह लिफाफे में से कागज निकाल दिया जाता है फिर क्या रहता है, उसकी क्या वेल्यू है ? पंचायत एक ऐसी चीज़ बन गई और जिसके पास शक्ति इकट्ठी हो गई वह पंचायत को किसी स्टेज पर, किसी वक्त भी डिस्टर्ब करती रहती है। पंचायत के पास जो शक्ति पहले थी विकेन्द्रीकरण लागू होने से पहले वह अब नहीं रही। आज पंचायत पंचायत समिति की मोहताज बन गई। बात यह है कि या तो पंचायत समिति पंचायत को डिस्टर्ब न करे, उनके अधिकार सीमित हों। वे इस तरह से हों कि पंचायत समिति को पंचायत के काम में दखल देने का अधिकार न हो। यदि पंचायत समिति को पंचायत के कार्यक्रम में अधिकार देते हैं, एक्ट बना कर सौंपते हैं तो पंचायत समिति के काम को भी चैक करने वाला कोई हो। यदि पंचायत समिति को चैक नहीं करेंगे और उसको चेक करने वाली बॉडी उसके ऊपर नहीं होगी तो जो डीमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेला-जेशन शुरू हुआ है वह कतई असफल हो जायेगा और इनमें असंतोष आयेगा, जनता में असंतोष आयेगा और यह योजना सफल होने वाली नही है, क्योंकि जो बेस है, मूल है, वह इकाई है, वह पंचायत है। पंचायत समिति में देखते हैं कि एक तरफ १४ हैं, दूसरी तरफ १५ हैं, १४ किसी पार्टी के हैं तो १५ वाला प्रधान बन जाता है और १४-वाले उसके मुंह की तरफ देखते रहते हैं।

होता क्या है कि प्रधान १५ और ४,२२ की मेजोरिटी को लेकर विकास पंचायत बनाता है, जिसको मूलत: विकास पंचायत कहते हैं। वह उनको विकास के काम के लिए पैसा नहीं देता। इसलिए वे अलहदा ग्राम विकास मंडल या और किसी तरह का संगटन कर लेते हैं जिसके द्वारा विकास के लिए और दूसरे कामों के लिए पैसा खर्च करते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच की ड्यूटी है, क्योंकि विकास पंचायत आपने बनाई है, उसके पास गांव के विकास के लिए अधिकार आपने, यह कहना चाहिए, नहीं छोड़े हैं, इसमें नहीं छोड़े हैं। एक्ट ऐसा बना दिया है जिसके कारण पंचायत का जो अधिकार रहना चाहिए वह नहीं रहा है और पंचायत समिति के पास सारे पावर्स केन्द्रित हो गये हैं, सारे शासन के पॉवर्स पंचायत समिति को दे दिये गये हैं। इसके साथ ही पंचायत समिति पर किसी का चेक नहीं है। एक मिसाल बताऊं। एक पंचायत

(श्री शीशराम ओला)

समिति, जिसका नाम लेना उचित नहीं होगा, के प्रधान साहब का इलेक्शन होने के बाद २८ मास्टरों को निकाल दिया गया नौकरी से । उन्होंने जिला परिषद् से मांग की कि मास्टर देने चाहिए । जिला परिषद् को लैटर भेजा, लेकिन वहां उसकी परवाह न की । इस बीच प्रस्ताव पास किया शिक्षितों की बेकारी को दूर करने के लिए....

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : सदन उस पंचायत समिति का नाम जानना चाहता है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सदन नहीं जानना चाहता है, आप जानना चाहती हैं ।

श्रीमती सुमित्रा देवी : सदन उस पंचायत समिति का नाम जानना चाहता है ।

श्री शीशराम ओला : आपके और हमारे पंचायत सर्किल के पास रहता है, उस स्थान के पास है जहां की आप एम० एल० ए० हैं....

श्रीमती सुमित्रा देवी : नाम बताने में क्या दिक्कत है ?

श्री शीशराम ओला : चिड़ावा ।

श्री सोहनलाल भटनागर : उससे आपको चिढ़ क्यों है ?

श्री शीशराम ओला : यह हमारे अन्दर की बात है, उसमें आप दखल क्यों दें ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : यहां आप से राजस्थान की बात की आशा की जाती है ।

श्री शीशराम ओला : हम अपने जिले की बात बताना चाहते हैं, जिसके बारे में जानते हैं ।

तो पंचायत समिति में प्रस्ताव पास हुआ कि पांचवी-सातवीं क्लास पढ़े लड़कों को मास्टर बनाया जाय और जो बेसिक ट्रेन्ड हैं उनको सर्विस से मुक्त कर दिया जाय । क्या आप समझते हैं कि इस तरह पंचायत समिति सफल होगी ? क्या आपका डीमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन सफल हो सकता है ? कतई नहीं । यह बात रही तो जो सारी बातें हम सोच कर चले थे, जिस तरफ कदम उठाया था वह आगे के बजाय पीछे चलने लगेगा । अब बात यह है कि मेरे पास जिला परिषद् के ऑफिस के कागज हैं, बी. डी. ओ. और प्रमुख दोनों के हस्ताक्षरों के साथ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वहां के एम. एल. ए....

श्री शीशराम ओला : बाद में डिस्टर्ब कर लें, अभी पूरा करने दें ।

दोनों के हस्ताक्षरों के साथ लैटर दिया है, क्योंकि पढे लिखे लोग सर्किल में नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रस्ताव पास किया है और सरकार ने जो लम्प सम रकम भेजी है उसका हवाला दिया है कि सरकार दस पन्द्रह हजार की रकम भेजती है, उसको युटीलाइज करें शिक्षित लोगों की बेकारी को दूर करने के लिए, उन पर रकम खर्च की जाय और

(श्री शीशराम ओला)

शिक्षित लोगों की परिभाषा में पांचवीं–सातवीं क्लास पास लड़के हैं, जो सेमी लिट्रेट की....

श्री श्रीभानसिंह् : वहां इतने ही पढ़े लिखे होंगे।

श्री शीशराम ओला : उस सर्किल में इतने आदमी एम. ए., बी. ए. पढ़े लिखे हैं they are lying like dogs.

वहां के लिए कह दिया जाय कि पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते हैं, यह कहां तक उचित है ? क्या आपने इस तरह के अधिकार दे रखे हैं, सरकार ने अधिकार दे रखे हैं, जिसका जिस तरह चाहे उपयोग करें ? क्या इस तरह की शक्ति दे दी है कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है ? उसको कोई चैक करने वाला नहीं है, इसलिए पंचायत समिति ने २८ मास्टरों को नौकरी से हटा दिया। उनमें से दस पांच लड़के थे, वे बेसिक ट्रेन्ड थे। गवर्नमेंट उनको चालीस रुपया देती थी, वह खर्च हुआ, एक साल ट्रेनिंग ली। उनको हटा दिया कि ये क्वालिफाइड नहीं हैं और जिनको अशिक्षित कहना चाहिए उनको मास्टरी देनी चाहिए। यह एक मिसाल दे दी है....

श्रीमती सुमित्रा देवी : मैं जानना चाहती हूँ कि इस बात का इस बिल से क्या सम्बन्ध है ?

श्री श्रीभानसिंह् : ऐसे प्रधान को हटाना चाहिए, यह मांग की जानी चाहिए।

श्री शीशराम ओला : आगे सेक्शन ५८ के तहत बताया है कि जिला परिषद् की क्या पॉवर्स होंगी ? जिला परिषद् की पॉवर्स में बताया है कि वह केवल अपने ऑफिस सेक्रेटरी और स्टाफ की देख-रेख करे। तो जब केवल स्टाफ और सेक्रेटरी की देख-रेख करे, ऑफिस को कंट्रोल करे तो इस तरह के ऑफिस खोलने से क्या लाभ है ? एक तरफ बजट में कटौती चल रही है दूसरी तरफ जिला परिषद् के ऑफिस बनते हैं, जिसमें सेक्रेटरी होता है, दो तीन क्लर्क्स होते हैं, चपरासी होता है। मैं समझता हूँ कि ३० हजार रुपये के करीब हर बजट में खर्चा होता है। तो ऐसे ऑफिस बनने और जिला परिषद् को रखने की आवश्यकता क्या है ? जब कोई पॉवर नहीं है, कोई फंक्शान्स नहीं हैं तो फिर जिला परिषद रखने की आवश्यकता क्या है ? क्योंकि इस बिल में है, इसलिए मैंने बताया। अब और कुछ पूछें तो मैं उत्तर दे दूं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब तक कोई अधिकार न देंगे, पंचायत समिति को चैक करने के लिए जिला परिषद् को अधिकार नहीं देते हैं तो यह सारा काम, विकेन्द्रीकरण सफल नहीं हो पायगा। यदि पंचायत समिति इस तरह दखलन्दाजी करती रहे और जिला परिषद् को अधिकार न रहे तो फिर अराजकता फैलने वाली है जिसको कंट्रोल करना सरकार के लिए बड़ा कठिन हो जायगा। इसलिए मैं वक्त से निवेदन करना चाहूँगा, सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय को कि यह बिल भले ही आप पास करें, हमें एतराज नहीं, लेकिन इसमें जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए जो बात हम सुझा रहे हैं, उनको शामिल कर लिया जाय तो ज्यादा उचित होगा और मैं समझता हूँ इस पर माननीय मन्त्रीजी जरूर ध्यान देंगे।

श्री रामकरणसिंह् (कोटपुतली) : सभापति महोदय,....

श्री शीशराम ओला : मैं पूरा करूंगा दो मिनट में। You need not worry.

प्रशासनिक अनुभव के आधार पर सहवरण के बारे में कई बातें कही गईं कि इस प्रकार का सहवरण इनमें नहीं होना चाहिये, जिला परिषदों में नहीं होना चाहिये। जिला परिषदों में पंचायत समितियों के प्रधान, उप-प्रधान, एम० एल० एज़० और यहां तक कि मन्त्रि-मण्डल के सदस्य तक होते हैं; तो मैं नहीं समझता कि जिला परिषद् से बढ़ कर बुद्धिमान और कौन कमेटी होगी। पंचायत समिति तो कैसे अच्छी तरह सलेक्शन कर सकती है और जिला परिषद् कैसे अच्छी तरह सिलेक्शन नहीं कर सकती ! तो इसमें जैसे पंचायत समिति में है वैसे ही जिला परिषद् में भी रहना चाहिये।

स्टेन्डिंग कमेटी को पहले निर्णय लेने का अधिकार था कि पंचायत समिति उसमें दखल नहीं दे सके, यह सिद्धान्ततः गलत था। क्योंकि स्टेन्डिंग कमेटी कुछ भी गलत निर्णय ले सकती है, ऐसा वह गलत निर्णय ले ले तो हर तरह के फंक्शन्स पर सुपरविजन होता है, उसी तरह इस पर भी होना चाहिये। तो जो इसके लिये २।३ मेजोरिटी का प्रोविज़न रखा है वह बिल्कुल ठीक है। कोई गलत फैसला स्टेन्डिंग कमेटी दे देती है तो उसको २।३ मेजोरिटी से बदला जा सकता है।

पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के इलेक्शन की बात आती है तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि ये ऐसे इलेक्शन बना दिये हैं कि कोई भी दूसरा इलेक्शन इतना कोस्टली और तकलीफ देने वाला नहीं होगा। यह बहुत लम्बा प्रोसीजर है और शुरू से ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद् तक जाता है। गवर्नमेंट मशीनरी को इसमें बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है और वोटर्स को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरे इस सम्बन्ध में दो-तीन सुझाव हैं। आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे मैं नहीं कह सकता, पर फिर भी मैं तो सुझाव दे देता हूँ।

पहला सुझाव मेरा यह है कि अभी जो इनकी ३ साल की अवधि है उसके स्थान पर ५ साल की अवधि कर दी जाय। इसके साथ ही चुनावों के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि जिला प्रमुखों, सरपंचों और पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव एक ही दिन हो जायं, अलहदा अलहदा इनके बक्स हों या एक ही बक्स में तीनों के वोट डाल दिये जायं। इस प्रकार की व्यवस्था करने से भी काफी बड़ी दिक्कत दूर हो सकती है। मानना न मानना अलग बात है, पर मैं तो यह सुझाव पेश कर चुका।

सरपंचों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बताया कि जो सरपंच चुन कर आये हैं, लिखे-पढ़े नहीं हैं खास कर श्री मोतीलाल-जी ने कहा। यह बात गलत है। हमारे उधर कई नौजवान एम. ए., बी. ए. हैं और मैट्रिक पासवालों की तो कोई गिनती ही नहीं तो उनमें से निर्विरोध चुन कर आये हैं। हां, यह बात है कि यह अपने अपने काम पर डिपेन्ड करता है कि वह कितना लोकप्रिय है, लोगों को उस पर कितना विश्वास है, वे कितना जनता का भला कर सकते हैं....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : मैंने सब के लिये नहीं कहा, कुछ के लिये कहा है।

श्री शीशराम ओला: तो मेरा मतलब है कि सरपंच अशिक्षित नहीं होना चाहिये, क्योंकि वहां उनको कई तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। वैसे हमारे यहां बहुत से एम. एल.-एज़. बेचारे अंगूटा छाप रह चुके हैं। पर वहां सरपंचों को तो काफी काम करना पड़ता है। तो सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था जो मौजूदा एक्ट में है वह ठीक है; यह बात नहीं कि खूब पढ़ा–लिखा ही हो, अक्षर ज्ञान सरपंच को होना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

टाइम हो गया ? अन्त में, मैं यह बात रखना चाहूँगा कि जो सस्पेन्शन की बात रखी है उसकी कुछ लिमिट होनी चाहिये....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): There is no amendment for suspension in this.

श्री शीशराम ओला : सस्पेन्शन की लिमिट नहीं होने के कारण ऐसे कई केसेज़ हैं कि पहले उनका सस्पेन्शन किया गया, उसका निर्णय नहीं लिया गया और वे लोग दुबारा इलेक्शन में सरपंच बन गये; पर पीछे के ऑर्डर फाइनल नहीं हुए हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट किसी को सस्पेन्शन करती है तो उस सस्पेन्शन की अवधि होनी चाहिये कि दो महीने में या तीन महीने में निर्णय हो जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर मन्त्री महोदय हमारे सुझावों को बगैर प्रवर समिति के सुपुर्द किये ही मान लेते हैं तो ठीक है नहीं तो हमारा काम बताने का था जो बता दिया।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): सभापति महोदय,....

श्री सभापति : आप थर्ड रीडिंग के समय बोल लें।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : केवल पांच मिनट लूंगा। सभापति महोदय, आज जिसका ढिंढोरा भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में पीटते हैं, टीम्स चली हैं और टीम की ओर से पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में और पंचायतों में इन्टर्व्यू लेते हैं कि हमने राजस्थान में कैसा पंचायती राज्य कायम किया है, जिसका सुलभ सुन्दर ढंग है।

इसके बारे में आज चर्चाएं हुई। बहुत से माननीय सदस्यों ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के दो दफा के चुनावों के अनुभव बताये। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह माननीय सदस्य जिन्होंने इस प्रकार का बिल, इस प्रकार का कानून इस सदन में पारित किया था, एक सत्ताधारी दल की तरफ से व्हिप के जरिये पास कराया गया था उसमें कितनी खामियां रही हैं। उन्हीं खामियों के कारण सदन के, सिवाय एक सदस्य के, कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता कि इसे यों ही पास किया जाय। इसमें खामियां रही हैं इसलिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव आये हैं, उनका समर्थन करते हुए सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

हमारा सबसे पहला अनुभव यह है कि हमारे यहां जिस प्रकार की प्रथा बिलों के लाने

(श्री.रामकरणसिंह)

की, उनमें अमेंडमेंट लाने की, हाउस में उन पर विचार होने की रही है वह यह है कि हाउस में बहुमत के आधार पर विचार होता है, बहुत से सदस्यों की राय के अनुसार नहीं होता। माननीय सदस्यों की बहुमत से दी गई राय पर कोई विचार नहीं किया जाता, व्हिप के बल से निर्णय होता है, यह चन्द मिनट बाद ही आपको देखने को मिलेगा, वर्ना देखा जाय तो सिवाय एक माननीय सदस्य के और कोई ऐसे माननीय सदस्य नहीं हैं जिन्होंने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की खिलाफत की हो। सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का समर्थन किया है। ऐसी दशा में यदि निष्पक्षता से इस सदन में वास्तव में राय मानी जाती तो जो मिनट्स लिये जा रहे हैं वे मौजूद हैं। उनके अनुसार सभी माननीय सदस्यों ने अपनी राय इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की प्रकट की है। पर बहुमत की राय की कोई कद्र नहीं की जाती। पहले भी इस बिल को इस सदन में अंकुश से पास कराया गया था, उसी प्रकार का अंकुश अभी लागू किया गया तो यह समझा जायगा कि यहां बहुमत से जो राय प्रकट की जाती है सभी सदस्यों द्वारा उसकी कद्र नहीं की जाती। यदि वास्तव में सदन के जितने माननीय सदस्य हैं उनकी भावनाओं की कद्र की गई और बहुमत के विचार से बात हुई तो निश्चित रूप से यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जायगा। इस तरह की भावना नहीं रही तो समझा जायगा कि यह झूठा ढकोसला है और कह सकते हैं कि जितने बिल यहां आते हैं अंकुश से पास किये जाते हैं। वह अंकुश है कांग्रेस के टिकट का, इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जाती है, यह स्पष्ट जाहिर होता है और हो रहा है। यदि इस बिल को प्रवर समिति को नहीं भेजा गया तो एक तरफ एक वोट है और दूसरी तरफ सदन के सभी माननीय सदस्यों के वोट्स हैं, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की गई तो मैं इसे डेमोक्रेसी न कह कर डिक्टेटरशिप नाम देता हूँ। इसके लिये सभी माननीय सदस्य अनुभव करते हैं और सभी ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात रखी है। वास्तव में असली और अच्छी प्रकार की डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो ऐसा चाहिये। यदि ऐसा नहीं चाहते और दिखावे मात्र के लिये रखना चाहते हैं तो हर प्रकार के व्यक्तिगत दबाव से, किसी प्रकार से जनता के हक़ों पर कुठाराघात पहुँचाना चाहते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को प्रवर समिति में प्रस्तुत करने का जो प्रस्ताव आया है, उसमें जो विचार प्रकट किये गये हैं उनको मैंने बहुत गौर से सुना और इस नतीजे पर पहुँचा कि बिल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी हो। बहुत से माननीय सदस्यों ने जो वजुहात व जो कारण बताये हैं उनका इस बिल से कतई सम्बन्ध नहीं है।

मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस बिल के साथ-साथ कुछ एक्सट्रेक्टस राजस्थान पंचायत के ओरीजिनल एक्ट के दिये गये हैं उनको भी पढ़ लिया गया है और इसकी वजह से ये जो बातें कही गई हैं, कही हैं, अन्यथा

(श्री रामकरणसिंह)

माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रधान के चुनाव में एडमिनिस्ट्रेशन ने गडबड़ी की हो या यह कहना कि प्रधान के चुनाव के लिये वोटर इधर चले गये या और जगह चले गये, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह ऐसी बात हैं जिन कारणों से इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जा सकता है। और जिसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो एक्सट्रेक्ट सदस्यों को रेफेरेन्स के लिये दिया है। वे यह देख ले कि यह जो एमेन्डमेन्ट किया जा रहा है कहां फिटिंग होता है।

जहां तक पंचायत के चुनाव के बारे में, अनियमितताओं के बारे में कहा गया है, पंचायत समिति के चुनाव में पहले पंचायत चुनाव पर बहस हुई थी उस समय हमारे पंचायत मंत्री, उन्होंने ठीक तरह से बताया था कि पंचायत के चुनाव राजस्थान में बहुत शांतिपूर्ण और अच्छी तरह से संपन्न हुए हैं। किसी प्रकार की शिकायत का मौका किसी को नहीं मिला इतने बड़े चुनावों का शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाना और अच्छे ढंग से होना कोई मामूली बात नहीं है। कुछ जगह की शिकायतें हो सकती हैं कि कई सरपंच प्रधान के दबाव की वजह से कहीं चले गये हों और चुनाव के वक्त ही आयेगें। इसका मतलब यह नहीं है कि सरपंच के साथ जबरदस्ती की गई हो या उन्हें किडनेप किया गया है। जहां कहीं ऐसी शिकायत आई, पुलिस ने बराबर मदद की। रहा सवाल यह कि पंचायत समिति के सदस्य अपने प्रधान को चुनते हैं। चुनाव के वक्त लोग उन्हें परेशान करते हैं। इसलिये इस परेशानी से बचने के लिये वे कहीं छिप कर बैठ जाते हैं और एन वक्त पर ही निकल कर आते हैं। इसलिये यदि कोई कहीं चला जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उनको छिपा दिया या भगा दिया गया है। इसलिये जहां तक चुनावों से सम्बन्ध है मैं यह कहूँगा कि राजस्थान में चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी को शिकायत करने का मौका उस समय हुआ होगा।

कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सहवरण का तरीका बदल दिया जाय और सहवरण को नहीं रखा जाना चाहिये। उन्होंने इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं मगर मौजूदा बिल का जहां तक प्रश्न है, मैं यह कहूँगा कि जितने इश्यू उठाये हैं, रेज किये हैं वे रिलेवेन्ट नहीं हैं। ग्राम दान का रिप्रेजेन्टेशन हो, इसको इन्होंने नापसन्द किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि ग्रामदान को चुनावों और राजनीति से अलग रखा जावे और विनोबाजी का नाम लेकर यह कहा है कि विनोबाजी ने जो कार्य किया है उस कार्य की पवित्रता नष्ट हो जाएगी और नाम निशान नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि ग्रामदान एक्ट जो बना है उसमें इलेक्शन है। अगर कोई यह कहे कि ग्रामदान में इलेक्शन नहीं है तो उनकी यह धारणा गलत है। वे ग्रामदान एक्ट देख सकते हैं। अगर उनका कोई प्रतिनिधित्व ग्रामों की पंचायतों में नहीं रहेगा तो पंचायत राज्य में जो भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे उनसे ग्रामदान के ग्रामवंचित रह जावेंगे। इसका यही मतलब होगा कि पंचायत समिति के डेवलपमेंट के कार्यों की स्कीम है उनसे इन गांवों को महरूम रख दें। अगर ऐसा करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि उनके साथ

(श्री रामकरणसिंह)

अन्याय होगा और डेवलपमेंट कार्यों का जो फायदा उनको होना चाहिये, नहीं होगा। इसलिये यह ठीक नहीं होगा। अब यह पहलू रहता है कि रिप्रेजेन्टेशन देने का कोई दूसरा तरीका होना चाहिए इससे अच्छा तरीका माननीय सदस्य बनावेंगे और उस पर उस समय गौर किया जावेगा जिस समय क्लॉज बाइ क्लॉज इस बिल को लिया जावेगा। यह बिल्कुल गलत धारणा है कि पंचायतों के अधिकार ग्राम सभाओं को दे दिये गये हैं। जब दे दिये गये तो वे उन अधिकारों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनका पंचायत समिति में रिप्रेजेन्टेशन हो और उनको वहां से फन्ड मिलें; अन्यथा वे अपनी लैन्ड और दूसरे डेवलपमेंट के कामों में कोई उन्नति नहीं कर सकेंगे; क्योंकि उनके पास कोई फन्ड नहीं रहते और श्रमदान ही रहता है। इसलिये हर हालत में उनका वहां रिप्रेजेन्टेशन होना जरूरी है।

दूसरी बात, कृषि निपुण की बात को लेकर कहा गया है कि कृषि निपुण के चुनाव जिला परिषद द्वारा नहीं होने चाहिये। एक जिला परिषद के प्रमुख हैं उन्होंने अपनी वकालत की और कहा कि यह जरूर जिला परिषद के द्वारा ही होना चाहिये। यह बात ऐसी नहीं है कि कृषि निपुण का जिला परिषद के २० या ३० मेम्बर बैठ कर चुनाव करेंगे। इसका निश्चय करने के लिये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाये हैं और वे फाइनेलाइज होकर प्रेस में चले गये हैं। उसमें यह है कि इसके लिये एक कमेटी एक्सपर्टस की बनाई गई है जो कृषि निपुण का चुनाव करेगी। कृषि निपुण का चुनाव जिला परिषद और बोर्ड से नहीं होगा। इसके लिये क्रोप कम्पीटिशन होगा और जो व्यक्ति बैस्ट फसल पैदा करेगा और बैस्ट मैथ्ड काम में लावेगा और ज्यादा पैदावार जिसकी होगी उसको कृषि निपुण मुकर्रर किया जाना चाहिये। इसके लिये एक्सपर्ट बैठेंगे और तय करेंगे। अब रहा यह सवाल कि जब वह चुन लिया जाएगा तो उसको डिक्लेअर कौन करे गवर्नमेंट डिक्लेअर करे या जिला परिषद करे? इसके लिये गवर्नमेंट ने यह सोचा कि जिला परिषद ही इसको घोषित करे। एक्सपर्ट की राय उनको भेज दी जावेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): on a point of order, sir, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: इसलिए अगर कोई यह सोचे कि कृषि निपुण को जिला परिषद चुनेगी या उसके डिस्क्रिशन पर है, यह उचित नहीं होगा।

जब डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन करते हैं तो मामूली बातों के लिए गवर्नमेंट की ओर से इस तरह से नोटिफिकेशन्स इश्यु किये नहीं जाते। जिला परिषद् को अधिकार दिया जाय। एक्सपर्ट्स की कमेटी वह मुकर्रर करे और कम्पीटीशन से आये हुए व्यक्ति को वह डिक्लेयर करे, यह ज्यादा से ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के ऊपर उसको छोड़ दिया जाय। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स भी रहते हैं; ज्यादा इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इस कॉम्पीटीशन को और फैसल कर सकते हैं। यह आपकी भावना है कि जिला परिषद् न करे और गवर्नमेंट करे,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह ठीक नहीं है। सोच समझ कर ही इसको रखा गया है ताकि जिला परिषद् सही तरीके से कृषि निपुण को डिक्लेयर कर सके।

तीसरा, माननीय सदस्यों ने कहा कि महिलाओं के लिए, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड एरिया में हैं, वे म्युनिसिपल एरिया के पास रहने वाली होती हैं, यह रेस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिये। जो सदस्य हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। महिलाओं का म्युनिसिपैलिटी में रिप्रेज़ेन्टेशन हो, रूरल एरियाज़ में हो, माननीय सदस्यों के ध्यान में आया है और इस पर विचार–विनिमय हुआ है।

रिमूवल और एबसेन्स की बात रहती है। इसमें प्रोविज़न यह है कि कुछ सदस्य चार पांच कॉन्सीक्युटिव मीटिंग्स में नहीं हाजिर रहते हैं तो उनको रिमूव करने का अधिकार है। आपको रिमूवल के अधिकार सब जगह कानूनों में मिलेंगे। पंचायत एक्ट में भी हैं। मेम्बर बनने के बाद लगातार एबसेन्ट रहता है that means that he does not discharge his function और अपने फन्क्शन्स को डिस्चार्ज नहीं करता है then he should be removed and he is liable to be removed.

इसको पंचायत एक्ट और म्युनिसिपल एक्ट में भी देख लीजिये; सब जगह मिलेगा इसका प्रोविजन। बहरहाल पर्मीशन लेनी पड़ती है। विधान सभा में भी है कि जो माननीय सदस्य गैर हाजिर रहते हैं तो उनको विधान सभा से गैर हाजिर रहने के लिए पर्मीशन लेनी पड़ती है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a point of clarification, Sir. कोऑप्शन से ग्राम पंचायतों में महिलाओं को लेते हैं। सरपंच को यहां अधिकार नहीं होना चाहिये। पंचायत केन्द्र को हटा कर दूर न ले जाय....

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not relevant to this. आप फरमा रहे हैं, उससे इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है। आपको मालूम होना चाहिये कि यह जिला परिषद् और पंचायत समिति के सम्बन्ध में बिल है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कोऑप्शन के लिए कह रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए पंचायत एक्ट में प्रोविज़न है।

श्री दलीपसिंह (बारां) : डबल मेम्बरशिप के लिए आपने रखा है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी उस पर आया ही नहीं हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रेजिडेन्स वाला मामला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उस पर आ रहा हूँ। मैंने कहा कि बहुत से मामले हैं, but they are not relevant to the Bill under discussion.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I can talk it or the House can talk it now. रेज़िडेन्स का मामला है....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप फरमा रहे थे, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बिल का तरीका यह है कि जो बिल आये उसके लिए तरीका यह है कि उसी बिल के बारे में और उसके क्लॉजेज के बारे में बहस की जाय और जो अमेंडमेंट आये उन्हीं पर विचार किया जा सकता है। लेकिन बिल पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो, क्लॉजेज़ ही पर न हो तो फिर उन पर कोई डिस्कशन या अमेंडमेंट नहीं हुआ करता है। माननीय सदस्यों को पंचायत एक्ट के प्रोविजन्स पर आपत्तियां हैं he is free to bring a fresh bill. गवर्नमेंट को सुझाव दें तो गवर्नमेंट उन पर विचार करके आवश्यक हो तो कोई बिल ला सकती है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है उन मुद्दों पर विचार नहीं किया जा सकता। वे मुद्दे इस समय सदन के सामने जेर गौर नहीं हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मिनिस्टरों के बचने का तरीका अच्छा है। वह रिलेवेन्ट इस लिए है कि तीन तीन, चार चार मीटिंग्स हो जाती हैं, २८० के क्लॉज़ के तहत मिस यूज़ करता है, उसकी वजह से गड़बड़ियां होती हैं, तो कर सकते हैं उसको।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको गलतफहमी है। मीटिंग्स में एब्सेन्ट होना और वहां का रेजिडेन्ट होना। आप इसको इन्टर कनेक्टेड करते हैं। एक आदमी गांव में रह सकता है but still he will not attend the metting. यह क्यों कहते हैं कि नहीं रह सकता ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्रवर समिति में भेजने का होता है तो सारी बातें बोलनेवाले बोल सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका यह गलत ख्याल है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप उस बात को नहीं कह सकते कि इर्रिलेवेन्ट है। प्रवर समिति में भेजने के लिए कहते हैं तो सब बातें उसमें शामिल हो जाती हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को, सभापति महोदय, गलत फहमी है। वे नहीं आ सकती हैं। एक्ट पढ़ लीजिये।

एक प्रोविजन इसमें है कि जिला परिषद् और पंचायत समितियां जहां पर फन्क्शन न करें तो गवर्नमेंट को अधिकार होना चाहिये कि उसके लिए व्यवस्था करे कलेक्टर को नहीं। जब रिलेवेन्ट क्लॉज आवेगा तो मैं उस पर विचार करूंगा। मैं माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करता हूँ। जैसा अमेन्डमेंट उनकी ओर से आवेगा उस पर विचार करूंगा।

यह कहा गया कि पंचायत समिति को स्टेन्डिंग कमेटी के बारे में रीजनल पॉवर्स दी जा रही हैं वह गलत है। यह कहा गया। लेकिन मैं कहता हूं कि यह जरूरी है। जब कोई अधिकार दिया जाता है तो उसको कोई बोडी यह देखे कि उन पॉवर्स का कहीं मिस यूज़ तो नहीं हो रहा है। पांच आदमी मिल कर किसी काम को करते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं। फर्ज करिये कि पांच आदमी मिल कर करते हैं, तकावी वितरण का सवाल है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कुछ लोगों को कर दी और बाकी के लोग रह गये। तो इसके लिए पंचायत समिति को अधिकार होना चाहिये। मयाद एक महीने की रखी है, उसके डिसीज़न्स को मोडीफाई करें, यदि उचित नहीं किया गया है तो, उसको अमेन्ड करें, अॉल्टर करें, resent करें, but the Panchayat Samiti should have this power. स्टेन्डिंग कमेटी इसीलिए बनी है कि पंचायत समिति का काम तेजी से चले, गड़बड़ी न हो। बेयर मेजोरिटी रख देते हैं तो क्या होगा कि रोजमर्रा स्टेन्डिंग कमेटी के जो निर्णय होंगे, डिसिजन्स होंगे उनको ग्रुप लेवल पर बदला जावेगा और स्टेन्डिंग कमेटी न डिसिजन्स ले सकेंगी और न ही पंचायत समितियों का अंकुश रहेगा। इसलिए इन्सर्ट किया है कि २।३ मेजोरिटी पंचायत समितियों की होनी चाहिये और वह चाहे तो उसको अमेन्ड करें, अॉल्टर करें। हम इनमें एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। प्रोग्रेस पंचायत समितियों के वर्क की रिटार्ड न हो, इसीलिए २।३ की मेजोरिटी रखने की आवश्यकता है।

रिमूवल अॉफ मेम्बर्स के लिए प्रोविजन है, उसमें माननीय सदस्यों ने एतराज़ किया है। कहा गया कि प्रधान, उप सरपंच और सरपंच का रिमूवल मेम्बर्स का रिमूवल डिसओबिडियेन्स के लिए नहीं किया जाय, लेकिन दूसरी जो बातें हैं, he is guilty of mis Conduct. लोकल बॉडीज़, म्युनिसिपल एक्ट आदि में आप इसको मिलान कर सकते हैं। बहुत से फन्क्शन्स ऐसे करने पड़ते है, एक्जीक्युटिव फन्क्शन्स, यदि मिसयूज़ किये हैं, मिसकन्डक्ट किया है तो उनका रिमूवल नहीं रखना ठीक नहीं है। पंचायतों और म्युनिसिपल बोर्ड में भी रिमूवल का अधिकार है। जब रिमूवल के बारे में रिलेवेन्ट क्लॉज आवेगा उस पर विचार किया जा सकेगा।

जितने पोइन्ट्स माननीय सदस्यों ने रेज़ किये हैं और खास तौर पर माननीय सदस्यां ने जो कि उस समय यहां नहीं थी जब कि मैंने बताया था कि उनको जो चुनाव के दौरान में अनुभव हुए, कुछ मंत्रियों की हरकतें भी उनके सामने आई जो रात दिन आती रहती हैं। मेहरबानी करके जब रिलेवेन्ट क्लॉज़ आवे तब अपने उन अनुभवों को बयान कर सकती हैं। उनकी दिक्कतों और परेशानियों का मेटीरियली इससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, जब इससे सम्बन्धित बिल आवे तो वे उन पर बहस कर सकती हैं और नया बिल ला सकती हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लाने वाले नहीं हैं, इसलिए कह देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : लाने की जरूरत माननीय सदस्यों को नहीं है दरअसल।

(४.० म. प.)

डॉ. चन्द्रकला(किशमपोल बाजार, जयपुर): सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूँ।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है कि डॉ. चन्द्रकला ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर): मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूँ ।

श्री सभापति : जो संशोधन प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी व श्री दयाकृष्ण विजय ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

(बिल विचारार्थ लिया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ व ४ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड २, ३ व ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड ५

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I do'nt want to move.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५ व ६ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५ व ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड ७

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ७ में वर्बल अमेन्डमेंट है जो सिर्फ यह है :

"In part (ii) insert 'or' 'before any other subordinate'.

श्री सभापति : क्लॉज़ ७ में जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

क्लॉज़ ७ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ८

I hope, Mr. Laddha, you will co-operate with me in disposing of your amendment in a very short time.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : सभापति महोदय, मैंने जो तरमीम की है उस सम्बन्ध में, मैं पहले बोल चुका हूँ वह यह है कि अगर कोई सरपंच, प्रधान या प्रमुख हो जाय उसके बाद में सरपंच उस पंचायत का उप सरपंच हो जाता है और सरपंच का काम करता है। लेकिन उप-सरपंच प्रधान या प्रमुख बन जाता है वैसी हालत में नोमीनल सरपंच रहता है। नोमीनल सरपंच रहने की सूरत में नो-कॉन्फिडेन्स का मोशन किया जा सकता है या नहीं ? उसके खिलाफ किया जा सकता है। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव तरमीम के रूप में रखा है। ऐसे सरपंच के खिलाफ, जो केवल नोमिमल सरपंच रहता है लेकिन पंचायत समिति का प्रधान जिला परिषद् का प्रमुख हो जाने की वजह से काम तो कुछ नहीं करता केवल नोमिनल सरपंच रहता है। ऐसे नोमीनल. सरपंच को नो कोन्फिडेन्स के मोशन पर रिमूव नहीं होना चाहिये। ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिये। ऐसा प्रस्ताव पास किया जा सकता है जब कि मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब किसी भी सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाता है वह ३।४ के बहुमत से किया जाता है, जो कि पंचायत के सरपंच और पंचायत की संख्या के अनुपात से होता है। नोमिनल सरपंच के रहते हुए उसका महत्व है कानून की दृष्टि से उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेन्स मोशन पेश किया जा सकता है, यह अवांछनीय है।

दूसरी मेरी तरमीम सब क्लॉज़ (५) में है वह इस प्रकार है: "Sub-Clause five reads as 'if during that period he vacates the office of the Pradhan upon removal or otherwise, he will resume charge of the office of the Sarpanch and shall as such replace the Up-Sarpanch as a representative of the Panchayat on the Panchayat Samiti."

मैंने 'Removal or otherwise' शब्दों की इस तरह तरमीम चाही है कि Removal or otherwise के बजाय इस तरह से रखा जाय :

"Replace the words 'removal or otherwise' by the words his resignation or no-confidence motion having been passed against him under section 39."

इसके पीछे यह ग्राउन्ड है कि अगर कोई सरपंच, प्रधान या प्रमुख हो जाता है प्रधान की हैसियत से रिमूव हो जाय जो कि सेक्शन ४० के तहत तो यह सरपंच का स्थान रिज्यूम कर लेगा। वह जब रिज्यूम कर सकता है जब कि या तो वह रिजाइन कर दे प्रधान पद से या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेन्स का मोशन पास हो जाय। इन दो सूरतों में सरपंच ऑफिस को रिज्यूम कर सकता है,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उप सरपंच को हटाकर सरपंच काम कर सकता है। रिमूवल का जो क्लॉज़ ४० में बताया गया है या तो बिल फुल डिक्लेअर करें या ग्रेव मिस कंडक्ट का केस हो उन सूरतों में गवर्नमेंट ऐसे प्रधान या उप प्रधान को चार्जेज की वजह से हटा सकती है और हटने के बाद यह भी कार्य रखा है :

"A Pradhan or Up-pradhan, removed from his office under this section shall not be eligible for re-election as Pradhan Or Up-pradhan for a period of 3 years from the date of his removal."

इसका मतलब यह है कि सेक्शन ४० के तहत रिमूव किये हुए प्रधान या उपप्रधान तीन साल के लिये प्रधान या उपप्रधान के चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकेंगे। अगर उनको सीरियस मिस कंडक्ट की वजह से हटाया गया हो वे तीन साल के लिये खड़े नहीं हो सकते। 'रिमूवल अदरवाइज' शब्दों की वजह से सरपंच को स्थान देते हैं, यह ठीक नहीं है। 'अदरवाइज' जो रखा है उससे मतलब आता है १५–१६ सेक्शन से जिसका मतलब यह है किसी सूरत में upon his resignation or no-confidence motion having been passed against him under section 39.

सभापति महोदय, रिमूवल का सेक्शन १६ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कोरम नहीं है, सभापति महोदय।

(गणपूरक घन्टी)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेक्शन ४० और १५ और १६ की तहत हटाया हुआ प्रधान वापिस सरपंच बन जायगा। गलत काम करने की वजह से मिस कन्डक्ट की वजह से हटाया हुआ प्रधान वापिस सरपंच इस क्लॉज के जरिये से बन जायगा क्या यह ठीक होगा? इसलिये रिमूवल अदरवाइज़ के बजाय मेरे ख्याल से मेरी दोनों तरमीमें उचित हैं और ये इस कानून को पूरा बनाने के लिये सहयोग देंगी, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I think, his time is over...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : एक मिनट में बताना चाहूँगा। पहला जो उनका अमेन्डमेन्ट है उसके बारे में वे समझते हैं सरपंच प्रधान हो जाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेन्स उसके लिये नहीं होना चाहिये। दलील वजनदार है नोमीनल सरपंच रह जाता है उस हालत में अविश्वास का प्रस्ताव कोई वाजिब नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेन्स जब वह सरपंच रहता है, अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का राइट है। इसलिये इस राइट को लेना ठीक नहीं होगा। प्रधान बनने से पहले ऐसी कोई शिकायत हो तो भी क्या उसके प्रधान बनने से वे सब शिकायतें खत्म हो जायगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : प्रधान बनने के बाद की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रधान बनने के पहले की भी शिकायत हो सकती है। There may be so many ommissions. It is not necessary that he

(श्री दामोदरलाल व्यास)

should be elected as Pradhan, which may be after six months...

छः महीने काम किया और कुछ गड़बड़ियां की हैं, उस पर राइट ले लेना ठीक नहीं ।

श्री सभापति : Election as such or as a Sarpanch ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He ceases to be a Pradhan also.

दूसरी बात यह है कि रिमूवल और अदरवाइज़ के बजाय माननीय सदस्य जो सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं वह इस तरह से चाहते हैं his resignation or no confidence motion having been passed against him he has to vacate when his resignation is accepted. He has to vacat on many other grounds...

"टू वेकेट" शब्द हैं अदरवाइज़ इम्प्लाइड एवरी थिंग । इसके लिये पंचायत एक्ट में अमेन्डमेंट हो चुका है, रिमूवल हो चुका, मिस कंडक्ट है । He will not be eligible for Sarpanch...

वैसी हालत में ऑटोमेटिकली एप्लाई हो जायगा, इस प्रकार का पंचायत एक्ट में प्रोविज़न है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेन्ट के पास पॉवर्स हैं उनमें सस्पेन्डेड के पेपर्स उन्हीं के पास पड़े रहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Suspension has nothing to do with it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गवर्नमेंट के पास जो सस्पेन्शन के पेपर्स पड़े रहते हैं उनके निकालने के लिये कोई टाइम लिमिट मुकर्रर कर दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the amendment ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो मिनिस्टर महोदय के जानने की बात है उसको रिमूव कर दे उसके बाद भी उसके पेपर्स आपके यहां लेकर बैठ जाते हैं, यह भली बात नहीं । इसके लिये कुछ न कुछ करना चाहिये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेंट श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : I writhdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

(श्री सभापति)

श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ १० में मेरा अमेन्डमेंट है।....

श्री सभापति : मेटीरियल है क्या? Something very material or to just have a chance.

श्री सोहनलाल भटनागर : इसमें जो वर्डिंग्ज हैं वे :

"In clause (k) after the words: 'Panch of a Panchayat' the words: 'or as the Chairman or member of a Nyaya Panchayat shall, as from the 9th day of November. 1960 be inserted and be deemed to have been inserted..."

अब इसमें ओरीजिनल को आप देखेंगे तो उसमें साफ है :

"if disqualified for election as the Sarpanch or Up-sarpanch or Panch of a Panchayat or a Tehsil Panchayat under Sub section (4 B) of Section 17 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 (Rajasthan Act 21 of 1953)."

'चेयरमैन ऑफ न्याय पंचायत' है उसकी अवधि ३० वर्ष की है और इसमें २५ वर्ष रखी है। इसलिये एनोलोजी रहेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एनोलोजी लों में है। इसमें नहीं होगी। May I explain, disqualification in general should be applied, to the Chairman और वह इसीलिये एप्लाई किया है। यह स्पेसिफिकली रखा है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I want to withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री सोहनलाल भटनागर ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

क्लॉज़ १० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ११, श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ११ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"In Section 16-Clause (cc) sought to be inserted in sub section (1) be deleted. Both the provisos to new sub section (2) be deleted." फर्स्ट रीडिंग में भी इसके बारे में बहस हुई और कोई जवाब नहीं दिया । मैं यह कहूँगा कि उनको मोरल पर्सुएशन से भेजा जावे । उन पर यह बात नहीं लगाया जाना चाहिये कि अगर तीन दफा जिला परिषद भेजे और नहीं जावे तो उनको डिसक्वालिफाइ किया जावेगा । यह नहीं होना चाहिये । यह तो मैं समझता हूँ कि वाजिब बात है और सरकार को इसको मान लेनी चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेन्टर के लिये हैवी एक्सपेन्सेज करती है और वहां पर उनको डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के डेवलपमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्लान हैं उसकी सारी बातें मिलती हैं और दूसरी और बातों की भी पर्फेक्ट नॉलेज उनको मिलती है । इससे वे वहां पर काम अच्छी तरह से कर सकते हैं । जब सरकार का इतना बड़ा सरफा होता है और इसके अलावा यह भी है कि जिला परिषद ने टर्न बाई टर्न प्रोग्राम रखा है, उसमें भी उन्होंने ऐसा रखा है कि यदि तीन दफा नहीं आवे तो डिसक्वालिफाइड किया जावेगा । यह तो एक प्रकार से पर्सुएशन है अगर वह नहीं जावेगा तो अपना चान्स लूज कर देगा । इसलिये यह रखा गया है । अगर पर्सुएशन नहीं होता तो तीन दफे का चान्स नहीं दिया जाता । इसमें कोई एन्टी डेमोक्रेटिक चीज नहीं है । यह डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिये रखा गया है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I beg to withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ११, १२ व १३ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड ११,१२ व १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १४.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : सभापति महोदय, संशोधन इस प्रकार है: क्लॉज़ १४ के सब क्लॉज़ (२) में लिखा है:

"17. In sub-section (21)After th words 'thereof' insert the words 'ande the Chrirman without the previous permission of the pradhan'.

In the proviso after the words 'is himself the Pradhan' add the following words 'or if the Pradhan is inclined to refuse such permission to the Chair-man'.

"If a member of a standing commi-ttee absents himself, without the previ-ous permission of the Chairman there of from five consecutive meetings of the standing committee of which he had due notice, his seat on the stand-ing committee shall be liable to be declared vacant."

इसके अन्दर स्टेन्डिंग कमेटी का कोई सदस्य उसके अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना स्थायी समिति की ऐसी पांच लगातार बैठकों में बिना परमिशन अनुपस्थित रहे तो उसके लिये यह प्रावधान किया गया है कि स्थायी समिति में उसका स्थान रिक्त घोषित कर देने योग्य होगा।

श्री सभापति : Yes, Hon'ble Mini-ster.

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): Because I have already submitted an amendment that will serve his purpose. It is more properly worded.

श्री अध्यक्ष : You move that amendment, if It is......

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"Clause 14-In the proviso to the proposed Sub-Section (12)—

(i) insert 'if the Chairman himself is so absent or' after 'Provided that' and

(ii) inseif 'absence or' between 'such' and 'refusal.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस क्लॉज़ पर माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : Mr. Laddha, you have withdrawn.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes, Sir, I beg leave to withdraw.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राम प्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज़ १४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५, श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ १५, १६, १७, १८ और १६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १५,१६, १७,१८ और १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २०

दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, क्लॉज़ २० में मेरा अमेन्ड मेंट इस प्रकार है :—

"Add the following new part-

(ia) of sub section (1) the following proviso shall be added namely:

"Provided that the members of Panchayat Samiti shall be so removable from his office only if found to have abused his powers as such member or to have been guilty of misconduct in the discharge of his duties as such member." मैंने जैसा पहले अर्ज किया माननीय सदस्यों को यह बताया था कि मेम्बर्स को हटाने की पॉवर्स गवर्नमेंट को होनी चाहिये। मैंने इस क्लॉज़ में यह रखा है :—

"He will be removable only on these two grounds."

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इससे मेरी एक इन्टेन्शन तो पूरी हो गई, लेकिन दूसरी इन्टेन्शन पूरी नहीं हुई। मेम्बर्स को भी रिमूव करने का अधिकार दिया है और एक्स-ओफिशियो मेम्बर होता है बिकाज़ हो इज़ सरपंच ऑफ ए पंचायत, तो यहां रिमूव करेंगे और वहां सरपंच बना रहेगा। तो यह बिलकुल एनोमोलस पोज़ीशन हो गई। उसके लिये रिमूवल का अधिकार पंचायत अधिनियम में दिया हुआ है अगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत सरपंच को नहीं हटायेंगे तो यहां भी नहीं हटायेंगे....

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत अधिनियम में संशोधन हो गया है।

श्री सोहनलाल भटनागर : नहीं होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : हट जायेगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमैन्ट क्लॉज २० में श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० में जो मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २१, श्री सोहनलाल भटनागर ।

(श्री सोहनलाल भटनागर ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २१, २२ और २३ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २१ २२ व २३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ २४

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): 'क्लॉज़ २४ में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है:–

"In part (i) insert 'and' before 'after the words' occuring in line 3."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ में जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

(श्री सभापति)

क्लॉजेज़ २५, २६ व २७।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २५, २६ व २७ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २५, २६ व २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २८

(विराम)

श्री सभापति : Shri Sohan Lal Bhatnagar. If it is very material.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, 'कलेक्टर' के बजाय स्टेट गवर्नमेंट कर दिया जाय क्योंकि काम करायें तो इसका कलेक्टर को ही अधिकार क्यों दिया जाये ? यह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन की भावना के खिलाफ है। इस पोइन्ट पर बहुत बहस हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इसमें 'कलेक्टर' के बजाय स्टेट गवर्नमेंट का अमेंडमेंट रखा है लेकिन मेरा अमेंडमेंट दूसरी तरह का है। मैंने अमेंडमेंट यह किया है कि जहां पंचायत समितियों का सवाल हो और उनके खिलाफ एक्शन लेने का सवाल हो वहां तो कलेक्टर को अधिकार दे दिये जायें लेकिन जहां तक जिला परिषद् का प्रश्न है उसमें कलेक्टर के बजाय कमिश्नर होना चाहिए।

श्री सभापति : This has already been abolished.

(विराम)

Which post you are going to suggest?...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमिश्नर की पोस्ट हटा दी, लेकिन सारे एक्ट में यह अभी तक चला आ रहा है। तो जिस रोज़ कमिश्नर की पोस्ट हटेगी उस रोज़ सारे एक्ट में ही तरमीम करने की आवश्यकता होगी और इसमें भी तरमीम उसके अनुसार कर ली जा सकेगी।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : सभापति महोदय, मुझे आज्ञा दें तो मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ इसके विरोध में।

श्री सभापति : Clause as such का विरोध करते हैं या अमेंडमेंट का ?

श्री मोतीलाल : Clause as such. मैं यह उचित नहीं समझता कि पंचायत समिति या जिला परिषद् के काम को जब कि हम मान चुके हैं कि जनता द्वारा चुनी हुई संस्थाओं को काम सौंप रहे हैं तो कभी भी कोई आदमी कलेक्टर से जाकर कह दे कि फलां आदमी काम नहीं कर रहा है और

(श्री मोतीलाल)

कलेक्टर कह दे कि मैं नोटिस देता हूँ और इस पर भी वह काम नहीं करता है तो बाद में कोई भी आदमी कह सकता है तो यह तो ऐसा ही हुआ कि गवर्नमेंट की नीति में दूसरी नीति को डाल देना और यह कहना कि अगर वह काम नहीं करे तो इस तरह से करा सकते हैं। आखिर वह चुनी हुई संस्था है, उसमें एम. एल. ए. भी हैं और एम. पी. भी हैं तो दोनों दृष्टिकोणों से ये इलेक्टेड मेम्बर्स हैं। वहां का प्रधान उसमें रहता है और पंचायत समिति में सरपंच और एम. एल. ए. और एम. पी. वगैरह रहते हैं; तो जिस काम के लिए पंचायत समिति मना करती है तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से उस काम को नहीं करना चाहिए। जब कि सारे इलेक्टेड मेम्बर्स ही किसी काम के लिए खिलाफ हैं तो वाकई में उस काम को नहीं करना चाहिए। फिर इसमें यह भी लिखा है कि यदि पंचायत समिति काम को नहीं करती है तो कलेक्टर उस काम को किसी भी व्यक्ति से करा लेगा और उस व्यक्ति को पेमेन्ट पंचायत समिति के फण्ड में से करा देगा। तो यह तो सभापति महोदय, किसी भी इलेक्टेड बॉडी के साथ अन्याय होगा और यह अन्याय विधान की दृष्टि से होगा। वह इलेक्टेड बाडी है और उसमें जनता के प्रतिनिधि हैं; M. Ps. are elected by the people and M. L. As. are also elected by the people. उनकी इच्छा कोई काम करने की नहीं है तो कलेक्टर उस काम को कैसे करा सकता है? यह नहीं होना चाहिए। जो काम वह नहीं करना चाहते उसके लिए जबरदस्ती नहीं हो सकती। यह किसी भी लॉ में नहीं हो सकता कि इच्छा के विरुद्ध कोई काम कराया जाये। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूँ कि वे इस बात को मानेंगे।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जहां तक इस क्लॉज़ का संबंध है और जो डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस क्लॉज़ का विरोध किया है मेरे ख्याल से उनका विरोध बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि इस क्लॉज़ में वर्ड्स हैं उनको आप देखेंगे तो उसमें साफ है: On complaint made or otherwise, that a panchayat Samiti or a Zila Parishad has made default in performing any duty imposed upon it by or under this Act and if satisfied after due inquiry..." तो सिर्फ इसी बात के लिए है, हर बात के लिए नहीं है। हर बात के लिए मजबूर नहीं किया जायगा। जिला परिषद् में एम. एल. एज़. होते हैं, एम. पी. होते हैं तो ठीक है, इसमें दो राय नहीं है; लेकिन यह मानना होगा कि जिला परिषद् और पंचायत समिति के जो फंक्शन्स हैं उनमें ऐसे फंक्शन्स हैं कि जो आम जनता से संबंध रखते हैं और यह भी ठीक है कि सारे काम मैजोरिटी से होते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं मवेशियों में बीमारी फैल गई और ऐसी जरूरत पड़ गई जहां पंचायत समिति को रिलीफ देनी चाहिए और जहां पंचायत समिति को अपने फंक्शन्स अदा करने चाहिए वहां आपस की पार्टीबाजी के कारण वह फंक्शन्स अदा नहीं करते हैं तो फिर यह गवर्नमेंट का काम है कि वह सब जगह काम कराये। इसलिए यह क्लॉज़ ऐसी कन्टीन्जेन्सी के लिए रखा गया है। एक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माननीय सदस्य ने कहा कि कलेक्टर नहीं रहना चाहिए कमिश्नर रहना चाहिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि कलेक्टर नहीं सही कमिश्नर । लेकिन गवर्नमेंट को ही इसमें रख दिया जाये कि जिला परिषद् और पंचायत समिति कोई अपनी ड्यूटी अदा नहीं करे तो वह अपनी तरफ से करवा सके । The Government can appoint an officer to perform the duties. In place of Collector he may be placed.

श्री सभापति : You are accepting the amendment no. 24 moved by Shri Bhatnagar or what ? स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करना चाहती है तो क्या आपत्ति होनी चाहिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्योंकि 'कलेक्टर' के बजाय 'स्टेट गवर्नमेंट' करने के लिये माननीय मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है इसलिये मैं अपना तरमीमी प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २८ में क्रमांक २४ पर श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्रमांक २३ पर श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज़ २६, ३० व ३१ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २६, ३० और ३१ विधेयक के अंग बनें ।

(विराम)

क्लॉजेज़ २६, ३० और ३१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ ३२

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ३२ में माननीय सदस्यों की बहस सुनने के बाद एक अमेन्डमेंट मैंने पेश किया है जिससे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को जितनी गलत फहमियां हैं वे दूर हो जायेंगी। सेक्शन ३२ एज़ इट स्टेन्ड्स, में किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अराई पंचायत को देख कर यह ख्याल कर लिया तीन महीनों में ओथ नहीं दिलाई जायगी तो मेम्बर नहीं समझा जायगा; यह गलत है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक पंचायत समिति का कोई सदस्य ओथ नहीं लेता है he cannot enter upon his duties. इसलिये यह धारणा कि उसको वेलिडेट करने की कार्यवाही की गई है, यह गलत है।

दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के सामने यह दिक्कत आई कि after the constitution of Panchayat Samitis, if any new member is co-opted, he has to be administered oath. तो इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें आई कि प्रधान ने इलेक्टेड सरपंच जो आये उनको ओथ एडमिनिस्टर नहीं कराई और ३ महीनों की मयाद गुजरने दी और तीन महीनों के बाद लिख दिया कि ओथ लेने का टाइम गुज़र गया है। इसलिए ही सीजेज़ टू बी ए मेम्बर। ऐसी बातों को एवोइड करने के लिये पॉवर दें तो ठीक होगा। यह नहीं कि कलेक्टर्स को पॉवर देने से किडनेपिंग होगा या चुपचाप कर देंगे।

इन सब बातों को एवोइड करने के कारण मैं यह अमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूँ : "In sub-section (4) of Section 72 of the Principal Act the following proviso shall be added:—

"Provided that if it is made to appear to the State Government that the Pradhan or the Pramukh, as the case may be, does not administer the oath or affirmation to any member as provided in this sub-section, the State Government may direct that such member shall take oath or affirmation before the Collector."

तो मतलब यह है कि जो ऑलरेडी प्रोविज़न है वे रहेंगे ही और यह उस सूरत में होगा जब किसी प्रधान पर शक होगा कि वह किसी मेम्बर को ओथ एडमिनिस्टर नहीं कराता है; then only the State Government will empower the Collector to administer the oath instead of the Pradhan. I think that will serve the purpose.

श्री सभापति : Any other Hon'ble member:

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२ में जो संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३२

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३२ संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३३ से ३६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३३, ३४, ३५ और ३६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३३, ३४, ३५ और ३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् (अमेन्डमेंट) बिल, १९६१ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (अमेन्डमेंट) बिल, १९६१ पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही, सोमवार, प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४. ३५ बजे, सोमवार, दिनांक २० मार्च, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, १८ मार्च, १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

स्टेट आर्किटेक्ट के पद पर नियुक्त श्री परमानन्द गजरिया।

भाखरा में हुई दुर्घटना पर समिति की जांच-रिपोर्ट।

देवली तथा उनियारा नगरपालिकाओं के चुनाव।

चम्बल बांध से सिंचित जमीन।

बाड़मेर के एस. डी. एम. श्री ताराचन्द के विरुद्ध दायर रिश्वत का मामला।

दौसा-लालसोट लाइन पर बिजली का कार्य।

ग्राम कोलासर (सुजानगढ़) के अर्जुनराम को जिन्दा जला देने का मामला।

काली सिन्ध बांध।

बीकानेर नगरपालिका का चुनाव।

अवशिष्ट बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण एवं बस स्टेन्ड्स पर उपयुक्त व्यवस्था।

स्कम्भ

३४४७ बिहार बांध (नीम का थाना)।

नीमच से चम्बल की बिजली का प्रान्त में वितरण।

पाली जिले में तिजोरे के डोडे बेचने का लाइसेन्स।

प्रान्त में प्रस्तावित तृतीय मेडिकल कॉलेज़।

मालीखेड़ा तालाब (भूपाल सागर) का निर्माण।

पाली शहर का बिजलीघर।

जयपुर शहर में मैला उठाने व ढोने की उपयुक्त व्यवस्था करना।

जमदारामगढ़ से नये मोरे व नहरें निकालना तथा नहरों व नालों की मरम्मत करवाना।

महुआ मुख्य सड़क पर पैट्रोल पम्पों के बीच मकान का निर्माण।

सहायक कलेक्टर व प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, बांदीकुई, हेतु उपयुक्त भवन।

	स्कम्भ		स्कम्भ
नगरपालिका के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता ।		प्रस्ताव प्रस्तुत किये ।	
स्थगित प्रश्न ।		वाद-विवाद के पश्चात् डॉ०-चन्द्रकला ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया तथा श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुआ।	
८-३-१९६१			
राजस्थान नहर के फ्लो एवं लिफ्ट एरिया में सम्मिलित बीकानेर जिले के ग्राम ।			
८-३-१९६१ :		विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उस पर खण्डशः विचार किया गया ।	
सीकर नगरपालिका द्वारा ट्रैक्टर व ट्रॉली की खरीद ।			
विधायी कार्य			
राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१	३५००	खण्ड २ से ६, ८ से १३, १५ से १९, २१ से २३, २५ से २७, २९ से ३१, ३३ से ३६ तथा खंड १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।	
श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, डॉ० चन्द्रकला ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने तथा श्री दयाकृष्ण विजय ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संशोधन-		खण्ड ७, १४, २०, २४, २८ व ३२ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये । तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित भी किया गया ।	

सदन की बैठक ४ बज कर ३५ मिनट पर सोमवार, दिनांक २० मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक २० मार्च, १९६१
की कार्य-सूची

१. मांग संख्या १५–शिक्षा

२. मांग संख्या ६–सिंचन, नौचालन इत्यादि।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ का उत्तर देखिये)

नकल फर्द खाना तलासी हस्ब जेल है :

१— एक नोट कीमती एक हजार रुपया नं० ११२२६६ ।

२— सौ सौ के नोट ४६ (छयालीस) कीमती ४,६०० रुपये ।

३— दस दस के नोट ५१७ (पांच सौ सतरह) कीमती ५,१७० रुपये ।

४— पांच पांच के नोट १३६ (एक सौ छतीस) कीमती ६८० रुपये ।

कुल टोटल ११,४५० (ग्यारह हजार चार सौ पचास) रुपये ।

फहरिश्त फाइल्स

१— रेवन्यू दावा भगता सोना जाट

२— दावा खेत मुदई भच्चू वगैरह :

३— दावा खेत थाना वगैरह :

४— दावा खेत जवाहरा वगैरह :

५— रेवेन्यू दावा अहम्मद जालीला

६— रेवन्यू दावा मुदई नीमका साकिन वीसासर

७— मुकदमा सरकार बनाम हाजी अली मोहम्मद जुर्म बी १६ आर. आर.- बी. पी. एक्ट

८— स्टेट बरसेज मुकदमा बनाम हाजी अली मोहम्मद जुर्म १३।११ ,, ,,

६— स्टेट ,, हाजी मोहम्मद जुर्म १३।११ आर. आर. बी. एक्ट

१०— ,, ,, मुराद जुर्म दफा १६३ आई. पी. सी.

११— ,, ,, चुगडा ,, ,, १०७ सी. आर. पी. सी.

१२— ,, ,, रतन ,, ,, ३८६, ४५६, ३६६, २७६ आई. पी. सी.

१३– स्टेट वर्सेज हाजी अब्दुल करीम जुर्म दफा ३।६ आई. पी. रूल्स

१४– ,, ,, अब्दुल जुर्म दफा ३।८ आई. पी. सी. एक्ट

१५– ,, ,, शलाली सहारिया जुर्म दफा ३०७, ३७६, ३६३ आई. पी. सी.

१६– ,, ,, जमालीया जुर्म दफा ३६५, ३६७, आई. पी. सी.

१७– ,, ,, गंगिया ,, ३०७, ३७६, २१६, ५१२ ,, ,,

१८– ,, ,, अहमद आदि ,, ३२६, ४५२ आई. पी. सी.

१९– ,, ,, ताराचन्द धन्नामल तिहारी जुर्म दफा ४।६ चाइल्ड मेरेज ।

२०– डूंगुर वर्सेज शेरसिंह बाबत खसरा नं० ४७६

२१– केशरीमल बनाम सरकार जुर्म दफा ६ जागीर डिलीसन

२२– मिसल बाबत खसरा नं० २७१, २८७ भीखा पुत्र सोना

२३– मिसल महबूब वर्सेज अलाहबक्स वगैरह : बाबत खसरा नं० ३८६

२४– स्टेट वर्सेज जमालिया १४ एफ एक्ट

२५– ,, ,, उसमान १४ एफ एक्ट

२६– ,, ,, शीरमल ४।६ चाईल्ड मैरेज एक्ट

२७– दावा कामल वगैरह : बनाम दाऊ वगैरह :

२८– मुतफार्रिक कागजात दरख्वास्तें वगैरह : कुल ४६

२९– रजिस्टर पटेलान, नम्बरदार, चौधरीयान

३०– राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स, १६५७

३१– रिपोर्ट स्टेट लैण्ड कमीशन राजस्थान ।

———

३६६१]

परिशिष्ट २

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या २६० का उत्तर देखिये)

FULL DESCRIPTION OF TRACTOR

FORDSON POWER Major diesal tractor, 10 Werop, Engine H. P. 51.8 Sterring brakes generator, penumatic tyres front 6,0019 and rear 11x36 Electric horn, Electric starter, temperature meter, oil gauges, adjustible front axle verticle exhaust, standard set of tools and proof meter price Rs. 16,000/-

The tractor was purchased from Messers. Hindustan Engineering Company, Mirza Ismail Road, Jaipur.

———

फुल डिस्क्रिपशन

ट्रॉली : साइज़ १० ६´ २॥ फीट खुली। नीचे का फर्श एम० एस० सीट० का एक सूत मोटा और साइड १।२ सूत एम० एस० मोटी चादर की। तीन साइड खुली और एक साइड फिक्सड। चैनल ४ २ चैसिस, हैवी ड्यूटी एक्सेल २ १।४ मय सी० आई० हन्स व बियरिश ७–५.० १६।

यह ट्रॉली मैसर्स रामेश्वरनारायण सौभाग्यनारायण अजमेर से खरीदी गई है।

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, १८ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३४४८	८	एक्सपर्ट	एक्सपर्ट्स
३४४९	शीर्ष	(श्री हरश्चन्द्र	(श्री हरिश्चन्द्र)
,,	१५	दी की	दी कि
३४५०	११	क्योंकि	क्या कि
३४५१	१४–१५	be fore the pvnjab	before the Punjab
३४५३	२४–२५	गवर्नमैन्ट	गवर्नमेन्ट
३४५५	१६	अग्राल	अग्रवाल
३४५६	१४	का चुनाव	के चुनाव
३४६०	अन्तिम से ३	डिपाटमेंटल	डिपार्टमेंटल
३४६४	७	मुस्म्मात	मुसम्मात
,,	१७ व २२	श्री सतीशचम्द्र	श्री सतीशचन्द्र
३४६६	४	देने क	देने की
३४६७	५	बाकी है ?	या बाकी है ?
३४६८	६	बस टैरण्ड	बस स्टैन्ड
३४७१	११	ओवर फूलों	ओवर फ्लो
,,	१४	कई प्रकार	कई प्रकार के
,,	अन्तिम से ४	बन्द जाने	बन्ध जाने
३४८०	१५	बाजारज यपुर	बाजार, जयपुर
३४८४	१ व १०	जोरोता	जीरोता
३४८५	२	जोरोता	जीरोता
,,	१०–११	मैं धारणा के आधारित प्रश्न पर	मैं धारणा पर आधारित प्रश्न का
३४८६	३	श्री विशम्बरनाथ	श्री विशम्भरनाथ
३४८९	१६	उपरोक्र	उपरोक्त
३४९० से			
३४९५	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगित प्रश्न
३४९१	८	श्री सतीचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
३४९३	१९	पार्टस को	पार्ट्स को
३४९४	२४	नया थ या	नया था या
३४९७	१०	क्लेक्टर	कलेक्टर
३४९८	१०	श्री सतीशचम्द्र	श्री सतीशचन्द्र

१	२	३	४
३५०६	१८	प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधि
३५०७	शीर्षक	परिपद्	परिषद्
३५०८	१५	पाठ्ययक्रम	पाठ्यक्रम
३५१३	शीर्षक	१८ माच	१८ मार्च
३५१४	१३	अधिक कहीं	कहीं अधिक
३५१७	१२	समितियां	समितियों
३५२८	७	उन करो को	उन करों को
३५२९	शीर्षक	जिल परिषद्	जिला परिषद्
,,	१५	''शब्दों 'नहीं रहेग'	श दों 'नहीं रहेगा
३५३१	शीर्षक	ंचायत	पंचायत
३५३२	६	इनसे	इनके
३५३३	१७	प्रशानिक	प्रशासनिक
,,	२३	जाती है।	जाते हैं।
,,	२४	करते	करने
३५३७	शीर्षक	पचायत	पंचायत
३५३८	६	रहे हैं।	रहा है।
,,	१८	बाढ़ दी है	बढ़ा दी है
३५३९	शीर्ष	भटनाार	भटनागर
,,	११	समात	समाप्त
३५४०	२१	या ती	या तो
३५४१	१७	मेंबर	मेम्बर
३५४५	५	the to Subject	to the Subject
,,	१३	डीमोक्रेटिक	डेमोक्रेटिक
३५४६	११ व २६	कास्टस	कास्ट्स
३५४७	२४	वार्डस	वार्ड्स
३५४९	१२	उल्लघंन	उल्लंघन
३५५०	१	उसमें	उनमें
,,	११	aggriedev	aggrieved
३५५१	४	लाग	लोग
३५५३	शीर्षक	जिया परियद्	जिला परिषद्
,,	१०	श्री सतीशाचन्द	श्री सतीशाचन्द्र
३५५५	२	स ति	समिति
,,	४	चाह	चाहे
,,	१३	में भेज	में भेज
३५५५	अन्तिम-से-२	रिप्रेजेन्टशन	रिप्रेज़ेन्टेशन